डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 08.09.2025 से 14.09.2025

वर्ष-42 अंक-37 मूल्य ₹ 10.00

संक्षिप्त खबर

62 हजार 124 विद्यार्थियों के आइडियाज इंस्पायर अवॉर्ड के लिए हुए अपलोड

भोपाल, केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवॉर्ड मानक योजना प्रदेश के युवाओं में किया गया एक ऐसा निवेश है, जो विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को विकसित करता है। स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से इंस्पायर अवॉर्ड मानक योजना प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विज्ञान, अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल), नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं केन्द्र सरकार के अन्य विद्यालयों में लागू है। योजना में कक्षा-6 से 10वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी पुरस्कार के लिये पात्र होते हैं। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के करीब 62 हजार 124 विद्यार्थियों के आइडियाज भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किये गये।

मुरैना को मिला नया विकास मॉडल - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना जिले के अंबाह में 31 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करना सौभाग्य का क्षण है। 'अटल स्मृति संघ, अंबाह की पुण्य भूमि पर एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है।' उन्होंने कहा कि अटल जी की यह प्रतिमा जयेश्वर महादेव पार्क में स्थापित की गई है, जहां 25 लाख रुपये की लागत से जिम और 40 लाख रुपये की लागत से लाइटिंग एवं प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया है। यह प्रतिमा लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि पर स्थापित की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने किया है नवाचार - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंत्रालय में प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव श्री विनोद बिहारी सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों के 38 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हृदय प्रदेश में सभी का स्वागत है। मध्यप्रदेश अनेक नवाचारों को अपनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के पैमानों पर कार्य कर रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

नई दिल्ली में हुआ इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन पीएम-मित्र पार्क

निवेशकों के व्यापार-व्यवसाय की सफलता की गारंटी हमारी, इंटरैक्टिव सेशन में प्राप्त हुए 12 हजार 508 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव-मुख्यमंत्री

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को करेंगे साकार।
- टेक्सटाइल सेक्टर को नया विजन और नई दिशा देगा मध्यप्रदेश का पीएम-मित्र पार्क।
- धार का पीएम-मित्र पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल केपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम।
- देश के सभी 7 पीएम-मित्र पार्क में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 10 लाख लोगों को मिलेगा रोज़गार।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली में "इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन पीएम मित्र पार्क" को सम्बोधित करते हुए

नई दिल्ली, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार स्थित पीएम-मित्र पार्क में इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज के इंटैरेक्टिव सेशन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब बदलते दौर के साथी हैं। उम्मीदों और अवसरों का विराट क्षितिज हमारे सामने है। अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए निवेश का एक स्वर्णिम अवसर आप सबके सामने है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे बेहिचक मध्यप्रदेश में पूंजी लगाएं। निवेश आपका, बिजनेस आपका, प्रॉफिट भी आपका और सरकार की सभी सुविधाएं भी आपके लिए ही हैं। उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप सभी अपने कारोबार में आगे बढ़ें, आपके व्यापार-व्यवसाय की सफलता की गारंटी हमारी सरकार है। मध्यप्रदेश पूंजी निवेश के लिए देश का मॉडल स्टेट बन रहा है। शीघ्र ही धार के पीएम-मित्र पार्क का भूमिपूजन होगा। यह पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल केपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। हम मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अभियान अंतर्गत मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। सेशन में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेस टायकून्स, कॉमर्शियल हाउसेस और इन्वेस्टर्स शामिल हुए।

आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा

मुख्यमंत्री ने धार जिले के बदनावर के समीप स्थापित होने वाले पीएम-मित्र पार्क में निवेश की अपार संभावनाओं पर कपड़ा उद्योग से जुड़े विभिन्न उद्योगपतियों से विचार-विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम-मित्र पार्क युवाओं के लिए रोज़गार और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा। दिल्ली में हुए इंटैरेक्टिव सेशन में शामिल उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की रुचि दिखाई है। इससे 15 बड़ी कंपनियों से 12 हजार 508 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें लगभग 18 हजार से अधिक रोज़गार सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री की पहल पर मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश का पहला पीएम-मित्र पार्क धार जिले में स्थापित होगा, जिसका भूमिपूजन शीघ्र ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के 5एफ विजन 'फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन' को मध्यप्रदेश सरकार ने एक मिशन के रूप में अपनाया है। हमारा उद्देश्य स्वदेशी कपड़े की गुणवत्ता को वर्ल्ड क्लास बनाकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है।

'मॉडल स्टेट' के रूप में उभरता मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निवेश को लेकर पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वह है मध्यप्रदेश। निवेश के मामले में हमारा प्रदेश देश का मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। प्राकृतिक सौंदर्य, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जलीय एवं वन्य जीवों की मौजूदगी से समृद्ध मध्यप्रदेश की पावन धरती पर सभी निवेशकों का हृदय से स्वागत है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी हर अपेक्षा पर खरी उतरेगी और उनके सपनों को साकार करने में सहयोगी बनेगी। इसके लिए हम सभी प्रबंध कर रहे हैं।

ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव में मिले साढ़े तीन हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

ग्वालियर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न रीजनल टूरिज्म कान्क्लेव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। पर्यटन से राष्ट्रीय आय तो बढ़ती ही है, साथ ही बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर भी सृजित होते हैं। पर्यटन और तीर्थाटन, ये हमारे देश और विशेषकर मध्यप्रदेश की समृद्धि के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं।

मध्यप्रदेश, देश का दिल है। प्रदेश की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ही पर्यटन विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार समावेशी प्रयासों के जरिए समाज के सभी वर्गों को जोड़कर पर्यटन क्षेत्र के विस्तार और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6 निवेशकों को लैटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदाय किये गये, इससे 60 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोज़गार सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र हैं। इनके संरक्षण और प्रचार-प्रसार से प्रदेश न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि 'आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध भारत' के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जा रहा है।

प्रदेश में रीवाइल्डिंग से संतुलित होगी वाइल्डलाइफ इकोलॉजी

भोपाल, मध्यप्रदेश में स्वैम्प डियर (बारहसिंगा) सहित कई प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पुनर्वास एवं पुनर्प्रवेश कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने का प्रयास हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिये 'रीवाइल्डिंग' की अभिनव पहल की गई है। रीवाइल्डिंग का उद्देश्य वाइल्डलाइफ इकोलॉजी को संतुलित कर लुप्त होती प्रजातियों को पुनर्जीवित करना, संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना और जैवविविधता को बढ़ावा देना है। प्रदेश में की गई यह पहल अन्य राज्यों के लिए वन संरक्षण का मॉडल बनेगी।

शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट वाला पहला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगीकीकरण और विकास की नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का फोकस केवल आर्थिक वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि रोज़गार सृजन, आधारभूत संरचना निर्माण और सामाजिक न्याय पर भी है। इसी दिशा में सरकार ने मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये बजट को अगले 5 वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इससे हर क्षेत्र में निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही बढ़ते बजट प्रावधान में विभागों के बजट पर अनुशासन लगाने की महत्वपूर्ण पहल भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास की ठोस रणनीति तैयार करते हुए शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री

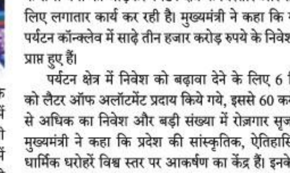

श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह पहल 'विकसित मध्यप्रदेश 2047' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस आधार बनेगी और देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श साबित होगी। श्री देवड़ा ने कहा 'शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट से न केवल प्रदेश की योजनाओं का ठोस मूल्यांकन होगा, बल्कि प्रत्येक खर्च का सीधा संबंध समाज की आवश्यकताओं और राज्य की प्राथमिकताओं से जोड़ा जा सकेगा। यह कदम मध्यप्रदेश को विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश 2047 की दिशा में सबसे मजबूत आधार प्रदान करेगा।'

महत्वपूर्ण है यह पहल

अब तक अधिकांश राज्यों में पारंपरिक बजटिंग पद्धति लागू होती रही है, जिसमें पिछले वर्षों का व्यय आधार बनते थे। इसके विपरीत 'जीरो बेस्ड बजटिंग' में हर योजना को शून्य से शुरू कर उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। इससे अप्रभावी योजनाएं स्वतः समाप्त होंगी और संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इसको अपनाया है, जहां इससे गुड गवर्नेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूती मिली है।

30 अगस्त

डिजिटल पता प्रणाली को उन्नत करेगा डाक विभाग

● संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) ने मैपमाईइंडिया-मैपल्स के साथ एक

समझौता किया है। इसका उद्देश्य डिजिपिन के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिए मैपमाईइंडिया के मानचित्रण प्लेटफॉर्म और उत्पादों का उपयोग करना है। समझौते के तहत मैपमाईइंडिया 'अपने डिजिपिन को जानें' अनुप्रयोग में एकीकरण के लिए आधार मानचित्र प्रदान करेगा, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्यता बढ़ेगी और भौगोलिक स्थान के आधार पर सटीक डिजिपिन तैयार करना संभव होगा। इसके अलावा, मैपल्स अनुप्रयोग में डिजिपिन कार्यक्षमता को शामिल किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता डिजिपिन का उपयोग करके स्थानों की खोज कर सकेंगे।

● सरकार ने उन अधिकारी कैडेटों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) सुविधा प्रदान करने को मंजूरी दे दी है, जो सैन्य प्रशिक्षण की वजह से या उसके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से वंचित (बोर्ड-आउट) रह जाते हैं। देश की सेवा करने की आकांक्षा से एनडीए, ओटीए और आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल होने वाले कैडेट अक्सर आजीवन विकलांगता का सामना करते हैं, लेकिन वर्तमान में वे ईसीएचएस के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पूर्व सैनिक (ईएसएम) का दर्जा नहीं दिया जाता है। यह कदम उन कैडेटों पर लागू है जिन्हें प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से वंचित कर दिया गया है।

31 अगस्त

उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत

● नई दिल्ली में 17वें सीआईआई ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन

किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय 'स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार-वैश्विक प्रभाव के लिए मेडटेक को आगे बढ़ाना : मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' था। इस दौरान फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल ने कहा कि कोविड के बाद भारत ने एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों, मैमोग्राफी इकाइयों, वेंटिलेटर, स्टेंट, हार्ट वाल्व, डायलिसिस मशीनों और कई प्रकार के प्रत्यारोपण उपकरणों सहित उन्नत उपकरणों के घरेलू निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल कर ली है।

● भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने गुजरात के चोर्यासी शुल्क प्लाजा में एनएच-48 पर देश की पहली व्यापक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली लागू करने हेतु आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौता किया है। अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर बाधा-मुक्त टोलिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है जिससे फास्टैग के माध्यम से निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह संभव होगा। गुजरात स्थित चोर्यासी शुल्क प्लाजा देश का पहला बाधा-मुक्त टोल प्लाजा बनेगा। इसके अलावा, हरियाणा के घरौंदा शुल्क प्लाजा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो आधारित टोल व्यवस्था लागू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

1 सितम्बर

भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत पर पहुंची

● राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक

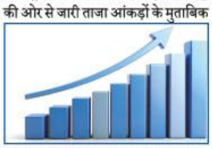

भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 6.5 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर सुरेश भाई परदवा ने इस वृद्धि का श्रेय अच्छे मानसून और कृषि उत्पादन को दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है। अच्छे मानसून से कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। जीएम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. उमा चरण ने इस वृद्धि को 'सकारात्मक और अपेक्षित परिणाम' बताया।

● कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने शिमला में केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम बैठक में एमनेस्टी योजना 2025 को मंजूरी दी। ईएसआईसी द्वारा अनुमोदित एमनेस्टी योजना 2025 एक बार की विवाद समाधान पहल है जिसका उद्देश्य अदालती मामलों के बैकलॉग को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है।

2 सितम्बर

भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बैंकिंग उद्योग

● राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु तमिलनाडु के चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग देश के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

है। सशक्त आर्थिक परिदृश्य में लोगों की आकांक्षाएं व्यापक रूप से बढ़ी हैं। बैंकों की भूमिका वित्तीय लेन-देन से कहीं आगे तक विस्तृत हो गई है। बैंक केवल धन के संरक्षक नहीं हैं। वे विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे समावेशी और सतत विकास में भी सहायक हैं।

● केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जुलाई तक मासिक खातों की समीक्षा जारी की है। इस अवधि में केंद्र ने राज्यों को कर राजस्व के रूप में 4,28,544 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61,914 करोड़ रुपये अधिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में केंद्र को कुल 10,95,209 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो बजट अनुमान का 31.3 प्रतिशत हैं। इसमें शुद्ध कर राजस्व 6,61,812 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 4,03,608 करोड़ रुपये और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां 29,789 करोड़ रुपये शामिल हैं। केंद्र का कुल व्यय इस अवधि में 15,63,625 करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 30.9 प्रतिशत है। इसमें से 12,16,699 करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 3,46,926 करोड़ रुपये पूंजी खाते से खर्च किए गए। कुल राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान 4,46,690 करोड़ रुपये और मुख्य सब्सिडी 1,13,592 करोड़ रुपये शामिल हैं।

3 सितम्बर

राज्यों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आकलन के लिए केन्द्रीय दल गठित

● गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़,

अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों का गठन किया है। ये केन्द्रीय दल मौके पर जाकर स्थिति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का आकलन करेंगे। इन केन्द्रीय दलों का नेतृत्व गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इनमें व्यय, कृषि और किसान कल्याण, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। गृह मंत्रालय इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है और आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है।

● सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्वायत्त निकाय डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेधावी पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने कक्षा 10वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और अनुसूचित जाति (एससी) के उन मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने मान्यता प्राप्त राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों और परिषदों द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए कुल 29 राज्य/केंद्रीय बोर्डों और परिषदों को ध्यान में रखा गया। सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 10वीं से कुल 367 छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिनमें से 22 टॉपर थे और कक्षा 12वीं से कुल 563 छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिनमें से 49 टॉपर थे। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं से कुल 198 छात्रों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 17 टॉपर थे और कक्षा 12वीं से कुल 362 छात्रों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 29 टॉपर थे।

4 सितम्बर

वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया कपास किसान ऐप

● न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद सुविधाजनक

बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय के भारतीय कपास निगम द्वारा कपास किसान ऐप विकसित किया गया है। यह मोबाइल ऐप किसानों को स्व-पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान स्थिति जानने में सहायक है। यह ऐप किसानों को भुगतान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक तेजी, पारदर्शिता और सुगमता आएगी। इस ऐप के जरिये किसान एमएसपी के तहत कपास बेचने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

● भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी) द्वारा यस बैंक की कुछ शेयर पूंजी और वोटिंग राइट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। एसएमबीसी जापान स्थित वाणिज्यिक बैंक, सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक प्रमुख परिचालन इकाई है। एसएमबीसी भारत में एक विदेशी बैंक है, जिसकी ब्रांच नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हैं और गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक ऑफशोर ब्रांच है। वहीं, यस बैंक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जो विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।

5 सितम्बर

नई दवा और क्लिनिकल ट्रायल नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी

● केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 में संशोधन का

प्रस्ताव रखा है। संशोधित प्रस्ताव के तहत टेस्ट लाइसेंस आवेदन की मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को सूचना/अधिसूचना प्रणाली में बदला जाएगा। उच्च-जोखिम श्रेणी की दवाओं को छोड़कर, अन्य आवेदकों को लाइसेंस की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। प्रोसेसिंग का समय 90 दिन से घटाकर 45 दिन किया जाएगा। इससे अनुसंधान और दवा परीक्षण तेजी से शुरू हो सकेंगे और दवा विकास एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

● वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयला उत्पादन 14.43 मिलियन टन (एमटी) दर्ज किया गया, जबकि प्रेषण 15.07 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अगस्त तक के संचयी आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दर्शाते हैं, जिसमें उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.88 प्रतिशत और प्रेषण में 9.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय रणनीतिक नीतिगत उपायों, कड़ी निगरानी और हितधारकों के निरंतर समर्थन को जाता है। इन प्रयासों ने परिचालन स्वीकृतियों में तेजी लाने और उत्पादन क्षमताओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कोयला उत्पादन और प्रेषण में समग्र वृद्धि हुई है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

APPLICATION INVITED

Application are invited for the teaching positions under University College Code-28 and UGC/AICTE norms

LNCT (Bhopal) Indore Campus, Indore

Principal/Professor/Associate Professor/Assistant Professor
For MBA/B.Tech Department - Finance/Marketing/HR/IT/ Production & Operations, ME/CSE/CE/EC - Physics, Chemistry, Maths.

LNCT Indore Campus, Indore

Principal/Professor/Associate Professor/Assistant Professor
For BBA/BCA Department - General Management, Economics, Business Communication, Business Statistics, Financial Accounting, Hindi, English, Yoga, Meditation, Sports officer, Computer Fundamental, Organization & Architecture, Programming Methodology & Data Structures, Operating System.

LN College of Pharmaceutical Studies

Principal/Professor/Associate Professor/Assistant Professor-
Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacology, Pharmacognosy (Qualification as per RGPV & PCI norms)
Lab technician/ Lab Assistant

Apply within 10 days to Registrar.

PhD/UGC NET Qualified candidates may directly Contact to Registrar.

LNCT GROUP OF COLLEGES
Rau-Pithampur Road, Ahead IIM, Gram Bheslay Indore-453556
Phone : 85179 96688 | Email : indorelnct@lnct.ac.in

deepak

R-51508/2025

वर्ष 42, अंक 37 08.09.2025 से 14.09.2025

रोज़गार और निर्माण

rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
- सम्पादक - रंजना चितले
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

विकसित मध्यप्रदेश का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास

देश की विकास यात्रा में मध्यप्रदेश नई ऊर्जा और नई दृष्टि के साथ उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात कर, योजनाओं और नीतियों को धरातल पर उतार रही है। प्रदेश की पहचान पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान राज्य की रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि और उद्यानिकी को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसे मूल्यवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक खेती, ड्रिप इरिगेशन और तकनीक आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक मजबूत केंद्र बनेगा। यही आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्यप्रदेश की नींव है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। गांवों में आजीविका का यह सबसे बड़ा साधन हैं और इसके माध्यम से रोज़गार के नए अवसर भी तेजी से सृजित हो रहे हैं। सहकारी समितियों और निजी निवेशकों की मदद से दुग्ध उत्पादन को औद्योगिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा। मध्यप्रदेश में पिछले एक वर्ष में निवेश प्रोत्साहन की नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। लैंड बैंक की उपलब्धता, सरप्लस बिजली और मजबूत अधोसंरचना ने मध्यप्रदेश को निवेशकों के लिए आकर्षक बना दिया है। जिससे युवाओं के लिए रोज़गार के नये द्वार खुल रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'विरासत से विकास' के मार्ग पर चल कर सांस्कृतिक अभ्युदय और वैश्विक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसमें पर्यटन की भूमिका भी अभूतपूर्व है। पर्यटन आर्थिक लाभ का साधन होने के साथ ही भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का साधन है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पर्यटन को केवल प्राकृतिक धरोहरों और ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं रख गया है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देकर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय अस्पताल, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता ने इसे नई पहचान दी है। उज्जैन, अमरकंटक, ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने का अभियान भी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। फारेस्ट और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की ओर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के 13 प्रमुख तीर्थस्थानों में स्थायी प्रकार के निर्माण कार्यों एवं नियमित प्रबंधन कर इनका विकास हो रहा है। श्रीमहाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में तेजी से टूरिज्म बढ़ा है। वर्ष 2024 में करीब 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन आए। इसी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार अब प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाने का प्रबंध कर रही है। बहुत जल्द प्रदेश में इसकी शुरुआत होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि मध्यप्रदेश देश का हृदय है और यह केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रतीक है। यही कारण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के प्रति आकर्षित हो रही हैं। यह निवेश केवल उद्योगों तक सीमित नहीं, बल्कि आईटी, सेवा क्षेत्र और कृषि प्रसंस्करण तक फैला हुआ है। आज मध्यप्रदेश एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की नीतियां यह दर्शाती हैं कि कृषि से लेकर उद्योग तक, पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र को नई गति प्रदान की गई है।

गांवों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों को सशक्त बनाने वाली 'एजुकेट गर्ल्स' को मिला रेमन मैग्सेस पुरस्कार

पिछले दिनों एशिया के सबसे प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई। यह सम्मान ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था 'एजुकेट गर्ल्स' को दिया गया। यह संस्था रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संस्था है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने "सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने, निरक्षरता को समाप्त करने और युवा महिलाओं को अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने" में संस्था की भूमिका का उल्लेख किया है। इस पुरस्कार में एजुकेट गर्ल्स को विनोबा भावे, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी और सत्यजीत रे जैसे प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार विजेताओं के साथ रखा गया है। इस संस्था की स्थापना सफीना हुसैन ने दूरदराज के गांवों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए की थी। सफीना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। सफीना के अनुसार यह मान्यता बालिका शिक्षा के लिए भारत के जन-संचालित आंदोलन को वैश्विक स्तर पर प्रकाश डालती है, जो दूर-दराज के गांव में एक लड़की से शुरू हुआ और जिसने पूरे समुदाय को नया रूप दिया। परंपराओं को चुनौती दी और मानसिकता में बदलाव लाया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1958 में शुरू किए गए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह एशिया में उत्कृष्ट नेतृत्व और सामुदायिक योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में अमेरिका के रॉकफेलर परिवार द्वारा स्थापित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों और फिलीपींस सरकार द्वारा की गई थी। पिछले दशकों में 300 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार हर वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती पर दिया जाता है। आरएमएएफ का न्यासी बोर्ड एक गोपनीय नामांकन प्रक्रिया और अपनी जांच के बाद विजेताओं का चयन करता है। विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है जिस पर रेमन मैग्सेसे की उभरी हुई छवि दाईं ओर अंकित होती है। पदक उसी वर्ष नवंबर में मनीला (फिलीपींस) में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

14 सितम्बर : हिन्दी दिवस

संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली संपर्क भाषा हिन्दी

संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। यह प्रावधान संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में है। इसके अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिन्दी, लिपि देवनागरी और अंक अंग्रेजी के स्वीकृत किये गये। वर्ष 1953 में 14 सितम्बर को 'राष्ट्रीय हिन्दी दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। तब से 14 सितम्बर 'राष्ट्रीय हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व से ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का अभियान आरंभ हो गया था।

महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बंगाल और बिहार ही नहीं सुदूर दक्षिण से भी हिन्दी को भारत की संपर्क भाषा बनाने का अभियान चला। वर्ष 1826 में भारत का पहला हिन्दी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' किसी हिन्दी भाषी प्रांत से नहीं अपितु कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। राजा राममोहन राय का 'बंगदूत' बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी छपता था। वर्ष 1873 में महेन्द्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दी में 'पदार्थ- विज्ञान' शोध ग्रंथ की रचना की थी। वर्ष 1882 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हन्टर कमीशन के समक्ष हिन्दी को न्यायालयों की भाषा बनाने की मांग की। इसके अनुरूप बिहार के 'इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स' भूदेव मुखोपाध्याय ने वर्ष 1886 में न्यायालयों में फारसी के स्थान पर हिन्दी के उपयोग करने का आदेश दिया था।

हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये वर्ष 1893 काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। वर्ष 1898 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनेल को 'कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज' नामक ज्ञापन सौंपा। जिसमें हिन्दी की शिक्षा की मांग की। इस आधार पर 18 अप्रैल, 1900 को पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर एण्टोनी मैकडानेल ने 'बोर्ड ऑफ रिवेन्यु', हाई कोर्ट, पश्चिमोत्तर प्रान्त के न्यायालयों में हिन्दी को मान्यता तथा प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा आरंभ करने के आदेश जारी कर दिए।

गांधी जी ने वर्ष 1917 भरूच गुजरात के शैक्षिक सम्मेलन तथा वर्ष 1918 इंदौर में सम्पन्न आठवें हिन्दी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। गांधीजी ने इसी वर्ष दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। इसके बाद देशभर में हिन्दी को समर्थन मिला। संस्थाएं भी बनीं और भाषाई आयोजन भी संपन्न हुये। संपूर्ण देश की इस भावना के लिए हरिविष्णु कामथ, काका कालेलकर, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविन्द दास, व्यौहार राजेन्द्र सिंह आदि साहित्यकारों ने अथक प्रयास किये और हिन्दी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।

हिन्दी भाषा की वैज्ञानिकता

संसार में प्रचलित सभी भाषाओं में हिन्दी सबसे समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत के बाद हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है, वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दुनिया की अन्य भाषाओं में वर्णाक्षरों का उच्चारण शब्दों के प्रयोग में बदल जाता है। कभी-कभी तो एक ही अक्षर का अलग-अलग शब्दों के प्रयोग में उच्चारण अलग हो जाता है। लेकिन हिन्दी में ऐसा नहीं होता। वर्ण या अक्षर के रूप में जो उच्चारण होता है, वही शब्द प्रयोग में भी होता है। हिन्दी की यह विशेषता भी है कि संसार की किसी भी भाषा के शब्द या उच्चारण को हिन्दी में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है। भले वे उच्चारण अंग्रेजी के हों, चीनी भाषा के हों या अरबी फारसी के। यह विशेषता संसार की किसी भाषा में नहीं। इसका कारण यह है कि हिन्दी की वर्णमाला ध्वन्यात्मक सिद्धांत पर निर्धारित है। यही नहीं वर्णमाला में वर्णाक्षर की पंक्ति का निर्धारण भी वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हुआ है। जैसे 'क' पंक्ति के पांचों अक्षर एक 'स्वर शैली' के और 'च' पंक्ति के पाँचों अक्षर दूसरी 'स्वर शैली' के हैं।

हिन्दी भाषा की प्राचीनता

भारत में हिन्दी भाषा के अस्तित्व का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास में जहां तक दृष्टि जाती है। हिन्दी का अस्तित्व मिलता है। प्राचीन भारत में यदि शोध, अनुसंधान और आख्यानों की भाषा संस्कृत रही है तो सामाजिक जीवन में बोलचाल की व्यवहारिक भाषा हिन्दी ही रही है। इसका प्रमाण लोकभाषा में रचा गया साहित्य है। हिन्दी को संस्कृत का सरलीकृत स्वरूप माना जाता है। यह अलग बात है कि मध्यकाल में हुये सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल के चलते हिन्दी बिखर गई और क्षेत्रीय बोलियां उभर आईं, जिन्हें अब हम अवधी, बुन्देली, मालवी, ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि प्रांतीय बोलियों या भाषाओं के रूप में देख सकते हैं। इन सबके मूल में हिन्दी या संस्कृत के ही शब्द हैं। समय के साथ भारतीय मनीषियों ने यह आवश्यकता अनुभव की और देश को पुनः भाषा के एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। स्वभाषा का यह सूत्र ही अंग्रेजों से मुक्ति का महामंत्र बना। यह संस्कृत का 'वंदे मातरम्' और हिन्दी में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' उद्घोष ही था कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने के लिये विवश हुए।

संसार में हिन्दी की व्यापकता

हिन्दी संसार में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। पूरी दुनिया में पचास से अधिक देश हैं जिनमें हिन्दी जानने वाले या समझने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। अनेक देशों की अपनी भाषा है, वहां निवासियों ने हिन्दी कभी नहीं पढ़ी फिर भी वे हिन्दी समझ लेते हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यामार, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश हैं जिनके निवासी हिन्दी भले न जाने पर हिन्दी में संदेश समझ लेते हैं। इनके अतिरिक्त अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग हैं और हिन्दी के शिक्षक भी हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल आदि देश ऐसे हैं जहां आम बोलचाल में भी हिन्दी देखी सुनी जा सकती है।

हिन्दी के प्रचार के प्रयास

संसार की वैज्ञानिक भाषा और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण हिन्दी की पुनर्प्रतिष्ठा के लिये भारत में आयोजित यह राष्ट्रीय हिन्दी दिवस एक दिन का नहीं होता। इसके आयोजन पूरे सप्ताह चलते हैं और अलग-अलग दिनों में अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इनमें लेखन, संभाषण, वाद विवाद अथवा तात्कालिक प्रश्नोत्तरी आदि शामिल हैं। आयोजन कार्यालयों में भी होते हैं और विद्यालयों में भी। इनमें अच्छी भाषा शैली का प्रस्तुतिकरण करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार 'राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार' और 'राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार' जैसे नाम से दिये जाते हैं।

यह भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के प्रोत्साहन प्रयत्नों और समाज की जाग्रति का परिणाम है कि अब 'राष्ट्रीय हिन्दी दिवस' के आयोजन केवल औपचारिकता भर नहीं रह गये। पूरा समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी उत्साह से हिस्सा लेती है। भारतीयों में हिन्दी के प्रति अटूट प्रेम है। विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की स्पर्धा में सबसे आगे है और क्यों न हों धरती के हर भू-भाग की अपनी केमिस्ट्री होती है जिसका प्रभाव केवल फसलों की विविधता या प्राणियों की शक्ल सूरत पर ही नहीं होता अपितु मनुष्य के स्वभाव, ज्ञान बुद्धि, प्रतिभा, मेधा और कर्म शक्ति पर भी होता है।

प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भाषा में विविधता होती है। उस भू-क्षेत्र के निवासी जब अपने मूल से जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो शीर्ष की यात्रा सुगम होती है। अपने क्षेत्र की भाषा और मिट्टी की गंध न केवल व्यक्ति में स्वाभिमान को जगाती है अपितु उसकी प्रगति यात्रा में ऊर्जा भी देती है। इसलिए अब नये दौर में स्वभाषा हिन्दी के प्रति भारतीयों का बढ़ता प्रेम ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आशा की जानी चाहिए कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'राष्ट्रीय हिन्दी दिवस' का आयोजन भारतीय युवाओं को स्वाभिमान और प्रतिष्ठा की दिशा में आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

हिन्दी की प्रतिष्ठा में अग्रणी मध्यप्रदेश

भारत में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिये मध्यप्रदेश सदैव अग्रणी रहा है। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ गोविन्द दास ने वर्ष 1948 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विधिवत प्रस्ताव रखा। आधुनिक हिन्दी का व्याकरण ग्रंथ तैयार करने वाले श्री कामता प्रसाद गुरु भी मध्यप्रदेश के ही थे। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी में प्रारंभ करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश ही है। वर्ष 2015 में विश्व हिन्दी सम्मेलन भोपाल में संपन्न हुआ था। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी आये थे। उन्होंने मध्यप्रदेश द्वारा हिन्दी के लिये किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इसी समागम में सभी प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने की घोषणा भी की गई। इसके अनुरूप शासन की अधिकांश योजनाओं का विवरण हिन्दी में आ चुका है। अनेक पोर्टल भी हिन्दी में आरंभ हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गत वर्ष हिन्दी दिवस पर विदेश में रहकर हिन्दी की सेवा करने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया था। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश सरकार शासकीय कार्य हिन्दी में करने को प्रोत्साहित कर रही है।

मध्यप्रदेश सहित देश की कुछ अन्य राज्य सरकारें भी हिन्दी के लिये अपने ढंग से कार्य कर रहीं हैं। लेकिन हिन्दी की प्रतिष्ठा केवल सरकार के निर्णयों से नहीं होगी इसके लिये सामाजिक चेतना भी आवश्यक है। हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिये समाज को संकल्पवान बनना होगा।

- रमेश शर्मा

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञप्ति क्र. - 8223/32/2025/अनु.-10 **इंदौर, दिनांक : 01.09.2025**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024** हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-35/2024/30.12.2024, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 26.03.2025

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/17-44/2024 दिनांक 26.03.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/17-44/2024 दिनांक 17.04.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2024 के आयोजन की सूचना विषयक)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024** जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रात: 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	1	-	1	1	-	3
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser. For Guest faculty)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	-					-

04. अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2022" के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-35/2024/30.12.2024 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है।

अर्हता सूची तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गये 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यत: प्राप्त किया जाये।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2022" में दिये गये निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। उक्त परीक्षा के विज्ञापन में मुख्य भाग हेतु ही पद विज्ञापित है। प्रावधिक भाग के पदों की संख्या निरंक है। उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम में **मुख्य भाग-अ** के लिये साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत कुल-10 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (SANSKRIT LITERATURE)-PART-A (MAIN)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	740002	4.	740046	7.	740120
2.	740015	5.	740067	8.	740189
3.	740021	6.	740096	9.	740193
				10.	740217

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

विज्ञापन क्रमांक :- 35/2024 दिनांक 30.12.2024	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा - 2024
अनुक्रमांक-..	अभ्यर्थी का नाम :- ....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
3	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
7	हाईस्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
8	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
9	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
10	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
11	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
12	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
13	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
14	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) **(म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
15	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
16	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 को वैध प्रमाण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
17	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
18	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
19	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
20	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
21	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
22	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
23	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक **भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी ''अभिवचन'' पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
24	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :- ....

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न अभिलेख के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर **दिनांक 22.09.2025** तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025 तक
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा-2025 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञप्ति क्र. - 8221/38/2025/अनु.-10 **इंदौर, दिनांक : 01.09.2025**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा-2025** हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-03/2025/12.06.2025 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 10.07.2025।

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/03/2025 दिनांक 02.07.2025 (सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा 2025 परीक्षा के आयोजन विषयक सूचना)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा- 2025** जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र वेद दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	-	1	-	-	1
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser. For Guest faculty)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	-					-

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणाम में **मुख्य भाग-अ** के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत कुल-1 अभ्यर्थी की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (VEDA 2025)-PART-A (MAIN)

LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S. No.	Roll No.
1.	810003

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

विज्ञापन क्रमांक :- 03/2025 दिनांक 12.06.2025	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा - 2025
अनुक्रमांक-..	अभ्यर्थी का नाम :- ....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
3	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
7	हाईस्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
8	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
9	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
10	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)/पी.एच.डी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
11	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
12	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
13	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
14	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
15	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
16	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
17	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
18	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
19	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/ पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
20	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
21	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
22	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक **भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी ''अभिवचन'' पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
23	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :- ....

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न अभिलेख के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर **दिनांक 22.09.2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें।** डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025 तक
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा- 2025 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा-2025 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. उपरोक्तानुसार जारी साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक SLP-8764/2023 एवं SLP-12398/2023 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 22.09.2025 तक** निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर **सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख** अवश्य लिखें।

जी-18159/51501/2025 **उप परीक्षा नियंत्रक**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा-2024 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञप्ति क्र. - 8219/36/2025/अनु.-10 **इंदौर, दिनांक : 01.09.2025**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा-2024** हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-42/2024/30.12.2024, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 26.03.2025 ।

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/17-44/2024 दिनांक 26.03.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-2/17-44/2024 दिनांक 17.04.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2024 के आयोजन की सूचना विषयक)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा- 2024** जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र योगिक विज्ञान दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	1	-	-	-	-	1
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser. For Guest faculty)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	-					-

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम में **मुख्य भाग-अ** के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत कुल-3 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (YOGIK VIGYAN)-PART-A (MAIN)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	790031	2.	790055	3.	790170

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

विज्ञापन क्रमांक :- 42/2024 दिनांक 30.12.2024	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा - 2024
अनुक्रमांक-..................................	अभ्यर्थी का नाम :- ....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
3	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
7	हाईस्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
8	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
9	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
10	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)/पी.एच.डी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
11	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
12	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन आयोगिक विज्ञानन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
13	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
14	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) **(म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
15	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
16	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 को वैध प्रमाण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
17	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
18	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आयोगिक विज्ञानन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
19	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
20	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
21	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
22	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
23	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक **भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी ''अभिवचन'' पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
24	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :- ....

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न अभिलेख के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 22.09.2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आयोगिक विज्ञानन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. ऐसे आयोगिक विज्ञानन जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025 तक
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आयोगिक विज्ञानकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा-2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आयोगिक विज्ञानन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रामाणिक मानी जाएगी।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 22.09.2025 तक** निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर **सहायक प्राध्यापक (योगिक विज्ञान) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख** अवश्य लिखें।

जी-18173/51505/2025 **उप परीक्षा नियंत्रक**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 22.09.2025 तक** निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर **सहायक प्राध्यापक (वेद) परीक्षा-2025 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख** अवश्य लिखें।

जी-18160/51502/2025 **उप परीक्षा नियंत्रक**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2024 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञप्ति क्र. - 8225 /33/2025/अनु. 10 **इंदौर, दिनांक : 01.09.2025**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2024** हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-37/2024/30.12.2024 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 26.03.2025

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/17-44/2024 दिनांक 26.03.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/17-44/2024 दिनांक 17.04.2025 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2024 के आयोजन की सूचना विषयक)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा- 2024 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रात: 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत प्राच्य दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	2	-	-	-	-	2
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser. For Guest faculty)	1	-	-	-	-	1
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	-					-

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत कुल 9 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (SANSKRIT PRACHYA)-PART A (MAIN)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	760011	4.	760020	7.	760040
2.	760015	5.	760028	8.	760041
3.	760019	6.	760030	9.	760051

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

विज्ञापन क्रमांक :- 33/2004 दिनांक 30.12.2024	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा - 2024
अनुक्रमांक-..	अभ्यर्थी का नाम :- ....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
3	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
7	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
8	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
9	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
10	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)/पी.एच.डी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
11	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
12	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
13	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
14	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
15	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
16	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 को वैध प्रमाण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
17	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
18	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
19	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
20	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/ पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
21	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
22	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
23	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक **भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
24	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
	कुल संलग्नक दस्तावेजोंकी संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :- ....

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न अभिलेख के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टत: अंकित कर दिनांक 22.09.2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अत: अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णत: प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा- 2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वत: समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रामाणिक मानी जाएगी।
6. उक्त सूची प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 22.09.2025 तक** निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर **सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख** अवश्य लिखें।

जी-18145/51498/2025 **उप परीक्षा नियंत्रक**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञप्ति क्र. - 8217 /30/2025/अनु. 10   **इंदौर, दिनांक : 01.09.2025**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024** हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-38/2024/30.12.2024 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 26.03.2025

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/17-44/2024 दिनांक 26.03.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/17-44/2024 दिनांक 17.04.2025 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2024 के आयोजन की सूचना विषयक)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा- 2022** जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत प्राच्य दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	-	-	-	1	1
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser. For Guest faculty)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	LD-1					-

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम में **मुख्य भाग-अ** के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत कुल-1 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (MARATHI)-PART A (MAIN)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S. No.	Roll No.
1.	770001

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

विज्ञापन क्रमांक :- 38/2004 दिनांक 30.12.2024	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024
अनुक्रमांक-..	अभ्यर्थी का नाम :- ....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
3	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
7	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
8	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	....
9	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
10	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)/पी.एच.डी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
11	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
12	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
13	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
14	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) **(म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
15	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
16	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 को वैध प्रमाण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
17	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
18	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
19	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
20	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
21	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
22	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
23	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक **भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।**	पृष्ठ क्र. - .... से ...... तक	....
24	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र.-... से ... तक	
	कुल संलग्नक दस्तावेजोंकी संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :- ....

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न अभिलेख के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 22.09.2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 22.09.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर **सहायक प्राध्यापक (मराठी) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख** अवश्य लिखें।

जी-18146/51499/2025   **उप परीक्षा नियंत्रक**

SAINIK SCHOOL REWA (M.P.)

(Functioning under Sainik Schools Society, New Delhi)

RECRUITMENT OF PGT BIOLOGY (REGULAR)

(NOTE : THIS IS NOT A STATE OR CENTRAL GOVT JOB)

Sainik School Rewa is inviting applications for the undermentioned post as per following details :-

S. No.	Name of Post	Number of Post & Reservation	Essential Qualification	Desirable Qualification	Age as on 15 Oct. 2025	Pay Scale
(a)	PGT Biology (Regular)	OBC-NCL 01	M.Sc. B.Ed. in the subject concerned from Regional Institute of Education, NCERT, OR Master's degree in Botany or Zoology with Zoology or Botany/Master's Degree in Zoology with Botany at Graduate level/M.Sc. in Life Science with Zoology and Botany at Graduate Level, And B.Ed. or equivalent from any recognised institute.	Candidates having proficiency in teaching in English, Teaching experience in residential English medium school, Proficiency in games, sports and co-curricular activities will be given due weightage. Candidates with knowledge of IT will be preferred.	21-40 Yrs.	Similar to Level 8 of VII CPC + DA as applicable

2. **Other Benefits.** These appointments will be on probation of 01 year (Extendable to further 01 year). Appointments will be confirmed after successful completion of probation period. Rent Free Accommodation/HRA (on case-to-case basis), LTC, Gratuity and Subsidized Education for maximum limit of 02 children only. Pensionary benefits through New Pension System. Retirement Age will be 60 Years (subject to fulfillment of Terms & Conditions).
3. **Structure of Selection Process :-** Selection process will consist of three steps i.e. written examination, Class Demonstration and Interview. After each phase names of shortlisted candidates selected for the next phase will be intimated to the candidates same day.
4. **How to Apply :-** Desirous candidates should apply to the **Principal, Sainik School, Rewa (MP) 486001** in prescribed format available on school website **www.sainikschoolrewa.ac.in** along with attested copies of certificates and testimonials Please superscribe the envelope with the name of post applied for. Applications received late/without deposition of application fee/ not in prescribed format will be rejected without any intimation.
5. **Application Fee :-** Application fee (non-refundable) is Rs. 500/- and to be paid in the form of Demand Draft in favour of Principal Sainik School Rewa Payable at Rewa (MP) only. Application fees deposited in other means will not be accepted. Application forms received without Demand Drafts will be liable for rejection.
6. Last Date for submission of Application is **15 Oct 2025**. The school will not be responsible for any postal delay and no claim will be entertained.
7. **Date of Examination :-** Date of 1st Phase Examination will be published on School website at least 15 days prior to the examination. TA/DA to candidates is not admissible. Candidates are advised to visit School Website for further information.
8. The school administration reserves the right to increase/decrease/cancel the vacancy due to administrative / policy reasons.

Note :- Visit the School website, to get further details and Application Form.

R-51510/2025

मान ग्रुप ऑफ कॉलेज

सुल्तानिया रोड, स्टेट बैंक चौराहे के पास, भोपाल–462001

इन्द्र विहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल–462032

Tel. No. 9425010770, 9425605962

म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल, से मान्यता एवं मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस युनिर्वसिटी जबलपुर से संबंद्ध

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (एम.पी.टी.)	2 वर्ष
2.	मास्टर ऑफ मेडिकल लेब टेक्निशियन (एम.एम.एल.टी.)	2 वर्ष
3.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)– 6 माह इंटर्नशिप	4½ वर्ष
4.	बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्निशियन (बी.एम.एल.टी.)	3 वर्ष
5.	बैचलर इन एक्स–रे (बी.एक्स.आर.टी)	3 वर्ष
6.	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन (डी.एम.एल.टी)	2 वर्ष
7.	सर्टिफिकेट इन एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	1 वर्ष
8.	सर्टिफिकेट इन आपरेशन थ्रियेटर टेक्निशियन (ओ टी)	1 वर्ष

क्रमांक 3 से क्रमांक 8 के लिए योग्यता 12वीं जीव विज्ञान विषय से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शासन अनुसार छात्रवृति की सुविधा। छात्राओं के लिए उत्तम भोजन युक्त छात्रावास की सुविधा।

R-51509/2025

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, ए-2/2, एम.आय.जी., महानंदा नगर, उज्जैन (म.प्र.), Email: mpphcl_ujjain@yahoo.in

मोबा. 9406808103

क्र. 1306/पय/मप्रपुआअविनि/25/ उज्जैन, दिनांक : 01.09.2025

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 18/2025-26

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक-18/2025-26 दिनांक 01.09.2025 के अंतर्गत जिला देवास एवं मंदसौर में विभिन्न मरम्मत कार्यो हेतु ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2025_MPPHC_448393, 2025_MPPHC_448395 आमंत्रित की गई है।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 17.09.2025 17.00 बजे तक** प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/121831/2025 R-51511/2025 **परियोजना यंत्री**

समूह-2 उप समूह-3 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि	ऑनलाइन परीक्षा पद्धति	आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि
09.09.2025 से 23.09.2025 तक	समय सारणी	09.09.2025 से 28.09.2025 तक

संभावित परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 07:00 से प्रात: 08:00 बजे तक	प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (03 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर 03:00 से 06:00 बजे तक (03 घंटे)

आवेदन पत्र भरने की प्रकिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तुत नियमपुस्तिका मण्डल की वेबसाइट **www.esb.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट **www.esb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. **संभावित परीक्षा शहर** - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन।
4. **प्रवेश परीक्षा शुल्क***

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 500/-
केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए	रु. 250/-
ऑनलाइन आवेदन- कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रु. 60/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रु. 20/-

विशेष निर्देश -

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, में से काई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यपित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अत: जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक हैं वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजीटल घड़ी, नकल पर्चा एवं sun glasses (धूप का चश्मा) आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रकिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अत: कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट : मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. : 73/2025

संचालक

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

'चयन भवन' मेन रोड नं. - 1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल - 462011

Fax : +91-755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/121852/2025 R-51512/2025

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल

श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

संस्था स्तर की काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2025-26 (C-17)

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (वास्तुकला परिषद), नई दिल्ली द्वारा जारी Circular Letter Dated 27.08.25 Extension of last date for admission to B.Arch, M.Arch and Diploma Programmes के परिपालन में

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी क्षेत्र संस्थानों में संचालित, (COA) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम)

प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम

डिप्लोमा आर्किटेक्चर (Diploma Architecture)

बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B. Arch.) पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

स्नातकोत्तर आर्किटेक्चर (M. Architecture) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

समय सारणी

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	प्रवेश का अवसर प्राप्त करना
05.09.2025 से 10.09.2025 रात्रि 11:30 बजे तक	11.09.2025 एवं 12.09.2025 प्रातः 10:30 बजे से
13.09.2025 से 21.09.2025 रात्रि 11:30 बजे तक	22.09.2025 एवं 23.09.2025 प्रातः 10:30 बजे से
23.09.2025 से 30.09.2025 रात्रि 11:45 बजे तक	29.09.2025 एवं 30.09.2025 प्रात: 10:30 बजे से रात्रि 11:45 बजे तक

महत्वपूर्ण:-

- प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन करा चुके अभ्यर्थी, अधिकृत वेबसाइट पर संस्था/ब्रांच की उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर उपरोक्त दर्शायी गई तिथियों पर प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये इच्छुक संस्था में प्रातः 10:30 बजे स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक है। तत्पश्चात मेरिट के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची इत्यादि, वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

प्रवेश निरस्त

- **प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।**
- **संपर्क :- 0755-6720205, 2660441, ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक

तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

म.प्र. माध्यम/121899/2025 R-51518/2025

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक-01

कार्यालय भवन 1558, गोरखपुर थाने के पीछे ऋषि काटेज रतन कॉलोनी कटंगा, जबलपुर (म.प्र.) पिनकोड : 482002

फोन : 0761-3585341, E-mail : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्रमांक-01 के अंतर्गत म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्रमांक 01 एवं 02 के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 14 वर्ष 2025-26 (ऑनलाइन निविदा क्र.2025_MPPHC_449132_1, एवं जी.आर.पी. लाइन, जबलपुर में स्थित जीर्ण-शीर्ण घोषित शासकीय आवास गृहों के ध्वस्तीकरण कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 15 वर्ष 2025-26 (ऑनलाइन निविदा क्र. 2025_MPPHC_449134_1), आमंत्रित की जाती हैं। निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 14 के प्रपत्र दिनांक 22.09.2025 तक एवं निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 15 के प्रपत्र **दिनांक 11.09.2025 तक** खरीदकर सायं 05:00 बजे तक सबमिट किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त बेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/121877/2025 R-51515/2025 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)

3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

No./10005/22/D-12/MPRRDA/2025 Bhopal, Dated : 03.09.2025

NOTICE INVITING TENDER EL-90

Online Percentage rate Tenders are invited for "Shifting/Raising of High Voltage (HV)/Medium Voltage (MV)/Low Voltage (LV) lines and poles from alignment of PMGSY/CMGSY Road from contractors having 'A' class valid license issued by Madhya Pradesh Licensing Board (Electrical) and registered with MPPWD in appropriate class of contractors on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in**.

Contractors are to quote rate in percentage below/above or at par of the estimated rates given in BOQ including all Taxes except GST.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Balaghat	1	736000.00
2	Satna	1	160929.00
3	Shajapur	1	3848464.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **04.09.2025 from 17:30 hrs.** and last date for online bid submission is **26.09.2025 (17:00 hrs.)**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed NIT and tender document on the above mentioned portal and concerned PIU.

M.P.M./121879/2025 **CHIEF GENERAL MANAGER (ADMIN./TENDER)**

"मेरी सड़क" ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-51516/2025

MADHYA PRADESH STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPN. (MPSEDC), BHOPAL

(Under Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh)

IT PROFESSIONALS WANTED AT MPSEDC

Reference above titled advertisement published on 14.08.2025, for various positions of MPSEDC. For further clarification and in public interest, this is to inform that the last date of receiving the application for all the positions has been extended **till 07.09.2025.**

All other details mentioned in the advertisement remain unchanged. Candidates are advised to log in to the HR portal via the link **https://geoportal.mp.gov.in/HrRecruitment/** and verify your applied positions under the 'Applied Positions' section of your account. M.P. Madhyam/121863/2025

R-51513/2025

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधो. वि. निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री

संभाग क्र.-1, भदभदा रोड, भोपाल

क्र./1342/तशा/प.यं./2025 **दिनांक : 04.09.2025**

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा गुना एवं अशोक नगर जिले में निर्माण/विशेष/अन्य मरम्मत कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक 2025_MPPHC_449491_1, 2025_MPPHC_449493_1, 2025_MPPHC_449494_1, 2025_MPPHC_449495_1 **दिनांक 18.09.2025 समय अपरान्ह 17:00 बजे तक** खरीदी जा सकती है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/121939/2025 R-51520/2025 **परियोजना यंत्री**

एम.पी. इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय, टी.व्ही. टावर के पास, उद्योग भवन कटंगा, जबलपुर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-एमपी आई.डी.सी./क्षे.का.ज./तक./2025/2830-2834 **जबलपुर दिनांक 01.09.2025**

निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा पोर्टल **mptenders.gov.in-MPIDC RO Jabalpur** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का विवरण	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य की राशि	कार्यावधि
1.	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया फेस-1 विस्तार, जिला-जबलपुर में 11 के.व्ही. लाइन, 100 के.व्ही.ए. ट्रान्सफार्मर एवं 33 के.व्ही. लाइन शिफ्टिंग का कार्य।	रु. 0.85 लाख	रु. 11800.00 जी.एस.टी. सहित	रु. 84.93 लाख जी.एस.टी. अतिरिक्त	04 माह वर्षाकाल सहित
2.	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया फेस-1 एवं 2, जिला-जबलपुर में स्ट्रीट लाइट संचालन एवं संधारण का कार्य।	रु. 0.27 लाख	रु. 2360.00 जी.एस.टी. सहित	रु. 13.28 लाख जी.एस.टी. अतिरिक्त	12 माह वर्षाकाल सहित
3.	औद्योगिक क्षेत्र अमकुही, जिला कटनी में हाईमास्ट लगाने तथा स्ट्रीट लाइट संचालन एवं संधारण का कार्य।	रु. 0.50 लाख	रु. 5900.00 जी.एस.टी. सहित	रु. 49.30 लाख जी.एस.टी. अतिरिक्त	03 माह एवं 5 वर्ष संचालन एवं संधारण अवधि

किसी भी निविदा या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने, निविदा की तिथि बढ़ाने का अधिकार निगम के कार्यकारी संचालक के पास सुरक्षित है। टेंडर डाक्यूमेंट उपरोक्त ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल **mptenders.gov.in** के माध्यम से निर्धारित तिथि तक डाउनलोड व क्रय किये जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/121865/2025 R-51514/2025 **कार्यकारी संचालक**

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल

श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2025-26 (C-17)

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (वास्तुकला परिषद), नई दिल्ली द्वारा जारी Circular Letter Dated 27.08.25 Extension of last date for admission to B. Arch. Programme के परिपालन में

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत प्रवेश

(Institutional Preference Seats)

सत्र 2025-26

संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग उन संस्थानों में आयोजित होगी, जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ आवेदन किया था। संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत COA द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों तक ही प्रवेश की कार्यवाही निम्न समय सारणी अनुसार की जावेगी।

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	काउंसलिंग अवधि
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.)	20.09.2025 से 30.09.2025 सायं 5:30 बजे तक	दिनांक 25.09.2025 एवं सीटें रिक्त रहने पर दिनांक 30.09.2025 रात्रि 11:45 तक

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, उम्मीदवार को इच्छित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही करनी होगी।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची, प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- प्रवेश नियम, समय-सारणी, अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- काउंसलिंग वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है।
- **संपर्क : 0755-6720205, 2660441**
- **ईमेल : dte[dot]helpcenter[at]mp[dot]gov[dot]in**

अतिरिक्त संचालक

म.प्र. माध्यम/121900/2025 R-51519/2025 **तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग जबलपुर परिक्षेत्र, जबलपुर

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED OFFICE

इंदिरा गांधी मार्ग, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर, (म.प्र.) पिन - 482001

Phone No. : 0761-2621541, E-mail : cepwdcentral@mp.nic.in

निविदा सूचना क्रमांक-10/सा/2025-26 **जबलपुर, दिनांक : 04.09.2025**

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

कार्य का नाम : 1. महदुली पौनिया मार्ग लं. 2.40 कि.मी. 2. सादाबोड़ी बानेकट्टा मार्ग लंबाई 3.50 कि.मी. 3. चौखण्डी धनकोसा मार्ग लं. 1.50 कि.मी. 4. बरूड सिरपुर मार्ग लंबाई 1.90 कि.मी. (पोल शिफ्टिंग का कार्य सहित) 5. वरुण तेकाड़ी मार्ग लंबाई 2.30 कि.मी. 6. मोहगांव सुकरी घाट मार्ग लं. 4.00 कि.मी. कुल लं. 15.60 कि.मी. (पोल शिफ्टिंग का कार्य सहित) निर्माण कार्य।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला/ लो.नि.वि. संभाग	आमंत्रण	ठेके की अनुमानित राशि रु. (लाख में)	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र राशि रु.	समयावधि
1.	2025_PWDRB_447927_1	बालाघाट	प्रथम	1130.88 लाख	10,00,000/-	30,000/-	16 माह वर्षाऋतु सहित
कार्य का नाम : आंजनबिहरी राजीटाला जामुनटोला चाकाहेटी जामरापानी मार्ग लंबाई 8.50 कि.मी. का निर्माण कार्य पोल शिफ्टिंग एवं विद्युतीकरण कार्य सहित।							
2.	2025_PWDRB_447928_1	बालाघाट	प्रथम	558.86 लाख	5,58,700/-	20,000/-	10 माह वर्षाऋतु सहित
कार्य का नाम : पांदुर्णा रजोलाकलां पीलापार महाराष्ट्र सीमा मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य लंबाई 11.30 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित।							
3.	2025_PWDRB_447929_1	छिंदवाड़ा	प्रथम	1255.52 लाख	10,00,000/-	30,000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित
कार्य का नाम : जुरतरा से हिवराकलां मार्ग का निर्माण लंबाई 5.50 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित।							
4.	2025_PWDRB_447930_1	छिंदवाड़ा	प्रथम	604.97 लाख	6,05,000/-	20,000/-	10 माह वर्षाऋति सहित
कार्य का नाम : लछुआ गोलीढाना से बडेगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 5.00 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित।							
5.	2025_PWDRB_447931_1	छिंदवाड़ा	प्रथम	610.80 लाख	6,11,000/-	20,000/-	10 माह वर्षाऋतु सहित
कार्य का नाम : मदनपुर चारगांव सांख मार्ग का निर्माण लंबाई 6.00 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित।							
6.	2025_PWDRB_447932_1	छिंदवाड़ा	प्रथम	725.25 लाख	7,25,300/-	20,000/-	10 माह वर्षाऋतु सहित

टीप:- निविदा का विस्तृत विवरण म.प्र. शासन की निविदा पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेंगे। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की **अंतिम तिथि 23.09.2025 समय 5:30 PM तक** है। निविदा में होने वाले संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त बेवसाइट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता, लो.नि.वि.-1

जी-18334/आर-51526/2025 **जबलपुर, परिक्षेत्र जबलपुर**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

क्रमांक : 8397/52/2024/चयन इन्दौर, दिनांक : 03.09.2025

पदनाम - शिशु रोग विशेषज्ञ

चयन - सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **05/2024 दिनांक 24.07.2024** एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद - **शिशु रोग विशेषज्ञ** के कुल - 208 पद (अनारक्षित-55, अ.जा.-28, अ.ज.जा.-50, अ.पि.वर्ग-47, ई.डब्ल्यू.एस.-28) कुल पदों में से महिलाओं हेतु आरक्षित पद - अनारक्षित-19, अ.जा.-10, अ.ज.जा.-18, अ.पि.वर्ग-16, ई.डब्ल्यू.एस.-10, कुल पदों में से म.प्र. के संविदाकर्मियों हेतु आरक्षित पद - अनारक्षित-28, अ.जा. -14, अ.ज.जा.-25, अ.पि.वर्ग-24, ई.डब्ल्यू.एस.-14 (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद-अस्थिबाधित-03, दृष्टिबाधित-03, श्रवणबाधित-03 एवं बहु-दिव्यांग-03 पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **03.07.2025 एवं 11.08.2025 से 12.08.2025 तक** आयोजित किए गए।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/543/2025/17/मेडि-1 दिनांक 21.03.2025 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 03.05.2024 दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 05/2024 दिनांक 24.07.2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत् मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 27.03.2025 में उल्लेखित प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अतएव साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है:-

1. शिशु रोग विशेषज्ञ (म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	55	28	50	24	28	**185**
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	19	10	18	8	10	
इनमें से संविदाकर्मियों के लिए आरक्षित	28	14	25	12	14	

कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	3
कुल पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	3
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	3
कुल पदों में से बहु-दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	3

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1.	1108	KAMAL MALANI	M	प्रावधिक UNR	UNR
2.	1172	NEHA NANDAN CHAURASIYA	F	UNRF	UNR
3.	1121	RAJSHRI SINGH	F	UNRF	UNR
4.	1162	ANKUR YADAV	M	UNR	UNR
5.	1149	POONAM JAIN	F	UNRF	UNR
6.	1216	DHEERENDRA SINGH SIKARWAR	M	UNR	UNR
7.	1173	SANDEEP KUMAR DWIVEDI	M	प्रावधिक UNR	UNR
8.	1210	GOURAV PATEL	M	UNR	UNR
9.	1224	ANKITA MARATHE	F	UNRF	UNR
10.	1176	SUSHANT KUMAR	M	UNR	UNR
11.	1129	MANISH CHANDRA MISHRA	M	UNR	UNR
12.	1120	SWETA JAIN	F	UNRF	UNR
13.	1117	ARVIND KUSHWAH	M	UNR	UNR
14.	1152	RAMSUNDER SHARMA	M	UNR	UNR
15.	1110	ABDUL HAFEEZ	M	प्रावधिक UNR	UNR
16.	1170	SARVESH PANDEY	M	UNR	UNR
17.	1131	SHREYA GUPTA	F	UNRF	UNR
18.	1136	NEERAJ KUMAR DWIVEDI	M	UNR	UNR
19.	1132	SURYAPRAKASH UPADHYAY	M	UNR	UNR
20.	1102	SARIKA KUMARI	F	UNRF	UNR
21.	1156	NITESH KUMAR JAIN	M	प्रावधिक UNR	UNR
22.	1228	SANDEEP KUMAR PATEL	M	UNRCB	UNR
23.	1122	GAURAV GUPTA	M	UNR	UNR
24.	1191	KINSHUKI SHARMA	F	UNRF	UNR
25.	1184	DOLLY GUPTA	F	UNRCB	UNR
26.	1248	ARUN DOHARE	M	SC	SC
27.	1187	MEDHA PRAJAPATI	F	UNRF	UNR
28.	1143	NIDA MIRZA	F	UNRF	UNR
29.	1330	AAPURTI AWASTHI	F	UNRF	EWS
30.	1239	RICHA TANTUVOY	F	UNRF	SC
31.	1168	ROHIT JAIN	M	UNRCB	UNR
32.	1304	SHASHINDRA BHANNARIYA	M	OBC	OBC
33.	1202	APARNA PATIDAR	F	UNRF	UNR
34.	1157	SUDHA JAIN	F	UNRCB	UNR
35.	1112	K VANDANA PANDEY	F	UNRF	UNR
36.	1306	DEEPALI MALVIYA	F	UNRF	OBC
37.	1338	RASHMI VISHWAKARMA	F	UNRF	OBC
38.	1237	DR. MANJULATA ARYA SISODIYA	F	UNRCB	SC
39.	1292	NILESH PATIDAR	M	OBC	OBC
40.	1298	HEMANT YADAV	M	OBC	OBC
41.	1323	BHAWANA PAWAR	F	UNRCB	OBC
42.	1200	NEETU DWIVEDI	F	UNRF	UNR
43.	1240	SUNIL ARYA	M	UNRCB	SC
44.	1118	RIYA JAIN	F	UNRF	UNR
45.	1308	SHEELA AGLECHA	F	UNRF	OBC
46.	1189	NITESH SINGHAI	M	UNRCB	UNR
47.	1302	JITENDRA KUMAR CHAURASIYA	M	OBC	OBC
48.	1312	TANKESHWAR PRASAD PATEL	M	OBC	OBC
49.	1181	ANUPAM JAIN	M	UNRCB	UNR
50.	1301	OM PRAKASH VISHWAKARMA	M	OBC	OBC
51.	1158	OM PRAKASH PRAJAPATI	M	UNRCB	UNR
52.	1299	RITURAJ SINGH PATEL	M	प्रावधिक OBC	OBC
53.	1251	ADARSH VERMA	M	SC	SC
54.	1305	KUMARI PINKY	F	OBCF	OBC
55.	1207	RAM ASHISH SHUKLA	M	UNRCB	UNR
56.	1331	SAPNA THAKUR	F	EWSF	EWS
57.	1310	PRAGATI PATEL	F	OBCF	OBC
58.	1288	KULDEEP SINGH THAKUR	M	ST	ST
59.	1105	RACHNA PATIL	F	UNRCB	UNR
60.	1313	UMASHANKAR PATEL	M	OBC	OBC
61.	1287	BHANUPRIYA KHARTE	F	STF	ST
62.	1259	VINOD KUMAR DAHAYAT	M	SC	SC
63.	1303	KAPIL RAJAK	M	OBC	OBC
64.	1244	SATYAPAL SINGH	M	SC	SC
65.	1348	ANKIT YADAV	M	प्रावधिक OBC	OBC
66.	1263	RAJIV KUMAR RATHORIYA	M	UNRCB	SC
67.	1246	MITHUN	M	प्रावधिक SC	SC
68.	1238	PRIYKANT TOMAR	M	SC	SC
69.	1258	RAJSHEKHAR SATANKAR	M	SC	SC
70.	1295	SUDARSHAN DEV ARYA	M	OBC	OBC
71.	1272	RITU SHREE CHOUHAN	F	प्रावधिक STF	ST
72.	1234	ARVIND PARMAR	M	SC	SC
73.	1253	AMIT KOLI	M	SC	SC
74.	1242	MADHAVI JIGANWAL	F	SCF	SC
75.	1247	DIKSHA PATHYA	F	SCF	SC
76.	1264	ANJALI JATAV	F	SCF	SC
77.	1233	ANKITA RITURAJ	F	SCF	SC
78.	1280	ANIL KUMAR BAGHEL	M	ST	ST
79.	1334	JYOTI SAINI	F	प्रावधिक OBCF	OBC
80.	1273	ROSHAN SARAS	M	ST	ST
81.	1250	RAHUL GEDAM	M	SC	SC
82.	1276	UJJWALA MAVI	F	STF	ST
83.	1283	MONIKA SINGAR	F	STF	ST
84.	1255	DEEPAK VERMA	M	SC	SC
85.	1300	SHUBHAM TADA	M	OBC	OBC
86.	1290	SARIKA BAGHEL	F	प्रावधिक STF	ST
87.	1278	ANJALI SINGH KANWAR	F	STF	ST
88.	1241	AKHILESH AHIRWAR	M	प्रावधिक SC	SC
89.	1342	SURAJ SINGH YADAV	M	OBC	OBC
90.	1260	UNIQUE SAGAR	M	SC	SC
91.	1293	VIVEK DHAKAD	M	प्रावधिक OBC	OBC
92.	1343	ATUL KUMAR	M	OBC	OBC
93.	1284	SHIVA SALONI THAKUR	F	STF	ST
94.	1315	ABHISHEK KUMAR SAHU	M	OBC	OBC
95.	1256	ARJUN SINGH PARIHAR	M	SC	SC
96.	1279	SIDDHANT KUMAR KUNJAM	M	STHO	अस्थिबाधित ST
97.	1337	SANDEEP DUNGARWAL	M	OBC	OBC
98.	1232	DEEPAK PANCHORE	M	SC	SC
99.	1345	SANDEEP YADAV	M	OBC	OBC
100.	1249	KAMINI GOYAL	F	SCF	SC
101.	1277	ROHIT KAROLE	M	ST	ST
102.	1235	NEERAJ SARSIA	M	SC	SC
103.	1341	HARIOM GURJAR	M	OBC	OBC
104.	1281	RAVIKANT AWASE	M	ST	ST
105.	1333	PRIYANKA BORDIYA	F	OBCF	OBC
106.	1316	PUSHPENDRA KUMAR PATEL	M	OBC	OBC

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		श्रेणी
1.	1109	ASHISH VIVEK BHARTIYA	M		UNR
2.	1154	VIDYAPATI SHASTRI	M	प्रावधिक	UNR
3.	1115	ANIKET SHRIVASTAVA	M		UNR
4.	1201	PRASHANT TIWARI	M	प्रावधिक	UNR
5.	1140	HARI SINGH	M		UNR
6.	1141	PRINCE AGRAWAL	M		UNR
7.	1126	KAMAL KRISHNA TIWARI	M		UNR
8.	1219	PREETI GARG	F		UNR
9.	1352	MITALI PANDEY	F		UNR
10.	1182	CHANDA DANGI	F		UNR
11.	1190	PRIYANKA GOSWAMI	F		UNR
12.	1101	RITIKA JAIN	F		UNR

टीप :- 1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत् आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है। 2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा गया है। 3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 4. कुल विज्ञापित पदों में से शुद्धिपत्र दिनांक 27.03.2025 में उल्लेखित मुख्य भाग-87 प्रतिशत हेतु विज्ञापित कुल 185 पदों में से 71 पद (अ.जा.-07 पद, अ.ज.जा.-37 पद, ई.डब्ल्यू.एस.-27 पद) पर्याप्त/योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। विज्ञापित कुल 185 पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 12 पद (अ.बा.-03, श्र.बा.-03, दृ.बा.-03 एवं ब.दि.-03 पद) विज्ञापित है परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण 11 पद (अ.बा.-02, श्र.बा.-03, दृ.बा.-03 एवं ब.दि.-03 पद) रिक्त रहे हैं। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों में से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अतः कुल 11 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित ओपन वर्ग के उपलब्ध 08 पद अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गए हैं। इस प्रकार **कुल 71 + 08 = 79 पद रिक्त** रहे हैं। 5. घोषित चयन परिणाम मान. उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. क्रमांक 8764/2023, एस.एल.पी. क्रमांक 12398/2023 एवं मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 9869/2025 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

सचिव

जी-18184/आर-51507/2025 **म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

लिंक रोड नंबर 3, पत्रकार भवन, भोपाल- 462003

विज्ञापन

विज्ञा.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2025/3211 भोपाल, दिनांक : 03.09.2025

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विज्ञप्ति क्रमांक एनएचएम/एचआर/2025/3191 दिनांक 01.09.2025 द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा जिला डाटा मैनेजर (आर आई) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की गयी।

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु-सीमा
1.	संविदा जिला डाटा मैनेजर (आरआई)	16	36200/- रुपये प्रतिमाह	**Essential Qualifications:** Regular Graduate degree from a recognised university with a one-year diploma in computer application (PGDCA/DCA- Regular) **OR** Regular Bachelor of Computer Application/Bachelor of Science (CS/IT). **OR** Regular MCA/M.Sc. (CS/IT)/MBA (IT) **Experience:** Two years of experience in data handling, data analysis, and data management after acquiring the essential qualification.	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01.01.2025 की स्थिति में)

आवेदन एम.पी. ऑनलाइन के वेब पोर्टल **http:// www.mponline.gov.in** एवं **http://iforms.mponline.gov.in** के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 02.09.2025 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाइन जमा करने की **अंतिम तिथि 22.09.2025 है।** ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

दिनांक 03.09.2025 को प्रकाशित विज्ञप्ति में संविदा जिला डाटा मैनेजर (आर आई) पद के आरक्षण रोस्टर में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यार्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5%	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोकोमीटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5%	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता) 1.5%
संविदा जिला डाटा मैनेजर (आरआई)	16	3	2	2	1	2	1	3	1	1	0	-	-	1	-

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित हैं, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंमेव निरस्त माने जायेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

जी-18161/51503/2025 अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण संभाग, भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 10/सेतु/2025-26/का.यं. **भोपाल, दिनांक : 26.08.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है :-

क्र.	टेन्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2025_PWDRB_447062_1	रायसेन	पुल कार्य	जिला रायसेन में रायसेन-पाटनदेव से धनियाखेड़ी मार्ग में रीछन नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	प्रथम	400.07	मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे।
				योग		**400.07**	

उपरोक्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय कर की **अंतिम तिथि 15.09.2025 (17:30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मूल एफ.डी.आर. का भुगतान केवल ऑनलाइन होगा एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। भौतिक रूप से किसी भी प्रकार के दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं किये जायेंगे।

कार्यपालन यंत्री

जी-18150/51500/2025 **लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल (म.प्र.)**

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री
म.प्र. लोक निर्माण विभाग संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)

Website : www.mp.gov.in/pwdmp, E-mail : eepwdshivpuri@mp.nic.in
Phone : 07492-233353 (0), Fax : 07492-233644

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक : 09/2025-26 **शिवपुरी, दिनांक : 01.09.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

स. क्र.	ऑनलाइन टेण्डर नं.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	2025_PWDRB_448879_1	इंडस्ट्रीयल एरिया करैरा में नेशनल हाइवे से इंडस्ट्रीयल एरिया श्योपुरा पहुंच मार्ग लम्बाई 3.50 कि.मी. जिला शिवपुरी (म.प्र.)	583.33	5,83,330/-	20,000/-	18 माह वर्षाकाल सहित प्रथम आमंत्रण
		योग	**583.33**			

1. उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेन्ट करने के पश्चात् बिड डॉक्यूमेन्ट क्रय किया जा सकता है।
2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:- (1) बिड डॉक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण, (2) अमानत राशि जमा करने का प्रमाण, (3) चेक लिस्ट, (4) शपथ पत्र। विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **दिनांक 03.09.2025 समय 10:00 बजे से दिनांक 17.09.2025 समय 18:00 बजे तक** निर्धारित है।
4. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
5. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाकर, सिर्फ वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर ही किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-18176/51506/2025 **लोक निर्माण विभाग संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)**

कार्यालय प्राचार्य, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (अनु.जा.)
35, श्यामला हिल्स, भोपाल

E-mail ID : petcsc.bpl@gmail.com, दूरभाष क्रमांक : 0755-2666615

पत्र क्र./प्रशि./36/2025/11090 **भोपाल, दिनांक : 01.09.2025**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए
निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन

एस.एस.सी./रेल्वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. आवेदक म.प्र. राज्य का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो।
2. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक न हो।
3. आवेदक ने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 55% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
4. केन्द्र में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष है।
5. **प्रशिक्षण प्रारंभ की संभावित तिथि 01 अक्टूबर 2025 है।**
6. प्रशिक्षण पूर्ण कालिक है अतः प्रशिक्षणार्थी को किसी भी महाविद्यालय/पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। प्रवेश के समय टी.सी. जमा करना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति व आवास सहायता प्रदान की जाती है।
8. प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा।
9. प्रशिक्षण की कुल अवधि 06 माह होगी।
10. आवेदक ने अनुसूचित जाति विकास के अंतर्गत संचालित किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।

उपरोक्तानुसार पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक अभिलेखों की छायाप्रतियों के साथ **दिनांक 25 सितम्बर 2025 तक** संस्थान के **E-mail : petcsc.bpl@gmail.com** अथवा डाक से या व्यक्तिगत रूप से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सम्पर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के दूरभाष क्रमांक 0755-2666615 पर सम्पर्क कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र
श्यामला हिल्स, भोपाल

जी-18171/51504/2025

मध्यप्रदेश में भी दिये जायेंगे स्टेट क्रिएटर्स अवॉर्ड्स - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित भोपाल क्रिएटर्स समिट-2025 को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सूचनाओं और घटनाओं का प्रसार बड़ी तेजी से होता है। ऐसे दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी कंटेंट वायरल करेंगे, वही समाज तक पहुंचेगा। इसलिए अपने प्रभाव और ताकत का समाजहित में और सही दिशा में सदुपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि सभी क्रिएटर्स को अपने दायित्व को समझते हुए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज और देश के विकास में करना चाहिए। यही सच्ची समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव का उपयोग शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में किया जा सकता है। इसीलिए हमारी सरकार प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक नेटवर्किंग को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने क्रिएटर्स से कहा कि वे सरकार के कामों को भी जनता तक पहुंचाये, सरकार क्रिएटर्स को सभी जरूरी मदद और सुविधाएं प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब मध्यप्रदेश में स्टेट क्रिएटर्स अवॉर्ड दिए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां क्रिएटर्स द्वारा आयोजित टॉक शो में भी हिस्सा लिया। टॉक शो में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में सोशल मीडिया से जुड़े क्रिएटर्स को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

समिट में सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि क्रिएटर्स ने दुनिया की सोच बदल दी है। ये एक नई तरह की ऑरेन्ज इकोनॉमी है जो अब दुनिया में 6 ट्रिलियन डालर की हो गई है। उन्होंने कहा कि आप अपनी क्रियेटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, सरकार आपके अच्छे काम में आपके साथ है।

औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति का आधार बनेगी नई हाइड्रोजन निर्माण इकाई - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना में हाइड्रोजन निर्माण इकाई के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

मुरैना, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना जिले के पिपरसेवा में जीएचटू सोलर लिमिटेड की हाइड्रोजन निर्माण इकाई के भूमिपूजन अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरैना के पिपरसेवा में हो रहा हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमिपूजन नई औद्योगिक क्रांति, नई ऊर्जा क्रांति और नए मध्यप्रदेश की नींव है। मुरैना की ऐतिहासिक धरती पर स्थापित हो रही यह इकाई ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की नई विकास यात्रा का प्रतीक बनेगी। चंबल की भूमि उपजाऊ होने के साथ ही टिकाऊ भी है। मुरैना जो कभी बीहड़ों के कारण जाना जाता था, अब प्रगति की नई पहचान बना रहा है। मुरैना अब सिर्फ कृषि प्रधान जिला नहीं रहा बल्कि औद्योगिक हब के रूप में भी उभर रहा है। देश की संसद के पुराने भवन का डिजाइन भी मुरैना के मितावली मंदिर से लिया गया था।

- **मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से किया संवाद और वितरित किए आशय-पत्र।**
- **चंबल के बीहड़ अब बन रहे विकास और प्रगति की नई पहचान।**
- **मुरैना उभर रहा है औद्योगिक हब के रूप में।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों, गरीबों और लघु उद्यमियों के लिए स्वदेशी की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सरकार और प्रदेशवासी पूरी प्रतिबद्धता से उनके साथ हैं। मुरैना में आरंभ हो रही हाइड्रोजन इकाई में कोरिया और ब्रिटेन की अग्रणी कम्पनियां तकनीकी सहयोग कर रही हैं। निकट भविष्य में इससे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 500 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, साथ ही रोज़गार के कई अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित होंगे। सात एकड़ भूमि पर बनने वाली यह परियोजना पूरे देश को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में एक नए आत्मविश्वास और क्षमता के साथ उभर रहा है। जी20 की सफल अध्यक्षता हो, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर जैसी ऐतिहासिक पहल हो या यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हर जगह भारत केवल सहभागी नहीं बल्कि मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में खड़ा है।

नवाचार और ग्रीन एनर्जी का भी केन्द्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र इतिहास और संस्कृति के प्रतीक होने के साथ निवेश, नवाचार और ग्रीन एनर्जी का भी केन्द्र है। यहां उद्योग, पर्यटन, संस्कृति और तकनीक सभी का संगम है।

प्रदेश में वाहन रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में मोबाइल अपडेशन का अभियान

भोपाल, परिवहन विभाग द्वारा मोबाइल नम्बर अपडेट करने के लिये इन दिनों विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। वाहन स्वामी अथवा डीलर नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर (एनआईसी) के वाहन सारथी पोर्टल पर जाकर स्वयं ही आसानी से मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।

प्रदेश में वाहन के पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते वक्त आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य होता है। कई बार वाहन स्वामी की जगह डीलर अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करा देते हैं। वाहन स्वामी और डीलर द्वारा सही मोबाइल नम्बर दर्ज कराने के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा मोबाइल नम्बर कुछ वर्षों बाद परिवर्तित कर देने के कारण डेटाबेस में संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रह पाता है। परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि वाहन सारथी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से मोबाइल नम्बर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आधार में दर्ज आवेदक और उसके अभिभावक के नाम का वाहन पंजीयन और ड्रायविंग लायसेंस के डेटाबेस में दर्ज नाम से मिलान होने पर डेटाबेस में मोबाइल नम्बर तत्काल अपडेट हो जाता है।

सिंहस्थ से जुड़े निर्माण कार्य समय-सीमा में हों पूर्ण

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 महापर्व के सुव्यवस्थित संचालन के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। संबंधित विभाग उनके कार्यक्षेत्र में जारी गतिविधियों की निरंतर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण कार्य दिसम्बर 2027 तक अनिवार्यतः पूर्ण हों। साथ ही भीड़ प्रबंधन तथा समस्त प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आवश्यक समन्वय भी इस अवधि तक सुनिश्चित कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सिंहस्थ-2028 के लिए गठित मंत्रीमंडलीय समिति की चतुर्थ बैठक में ये निर्देश दिए।

- **सिंहस्थ-2028 के लिए 2675 करोड़ रुपये के 33 कार्य स्वीकृत।**
- **धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते हों सुनिश्चित।**
- **भीड़ प्रबंधन, आवागमन, पार्किंग और पदयात्रियों की सुविधा का रखें विशेष ध्यान।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ संबंधी निर्माण कार्यों तथा नगर के भीतर के मार्गों के चौड़ीकरण कार्य एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय निवासियों को सहभागी बनाया जाए और उनके अभिमत को भी महत्व दिया जाए। सिंहस्थ के दौरान पदयात्रियों की सुविधा और वाहनों की पार्किंग का विशेष ध्यान रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसके संबंध में सूचनाओं की सरल, सहज उपलब्धता सभी तक हो। सिंहस्थ अवधि में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेहतर प्रबंधन के लिए उज्जैन को सात जोन में विभाजित करते हुए पेयजल, स्वच्छता, आवागमन, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और आवास आदि का प्रबंधन किया जाए। नगर निगम और विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित संस्थाओं की क्षमता विकास के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम पर राज्यस्तरीय एडवाइजरी बैठक सम्पन्न

भोपाल, मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में भोपाल स्थित एनएचएम सभागार में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की राज्य स्तरीय एडवाइजरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 23 सितम्बर को होने वाले राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस की कार्ययोजना, आई.एफ.ए. अनुपूरण, एनीमिया स्क्रीनिंग, प्राइवेट स्कूलों में क्रियान्वयन की चुनौतियां तथा विभागीय समन्वय पर चर्चा की गई। साथ ही डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रसार एवं एनीमिया स्क्रीनिंग गतिविधि भी आयोजित की गई।

जनजातीय भाषाई विरासत चिरस्थाई बनाने के लिए 'आदि वाणी'

भोपाल, जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने जनजातीय भाषाओं, बोलियों और संस्कृति के संरक्षण की जनजातीय भाषा अनुवाद टूल 'आदि वाणी' विकसित करने की अभूतपूर्व पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष के चलते नई दिल्ली में 'आदि वाणी' का बीटा वर्जन जारी किया। केन्द्रीय जनजातीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके की अध्यक्षता में 'आदि वाणी' का शुभारंभ हुआ।

क्या है 'आदि वाणी'

'आदि वाणी' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अनुवाद उपकरण है। यह जनजातीय समुदायों को जोड़ने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की पहल है, जो भाषाओं के डिजिटलीकरण में सहायता करेगी। मूल भाषाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन तक पहुंच बनाने में मददगार होगी, जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देगी और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान के स्रोत साबित होगी। 'आदि वाणी' को IIT दिल्ली के नेतृत्व में BITS पिलानी, IIIT हैदराबाद, IIIT नवा रायपुर, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। आदि वाणी - AI उपकरण वेब पोर्टल (https://adi-vaani.tribal.gov.in) पर उपलब्ध है।

भारत के गौरवपूर्ण समय को पुनर्स्थापित करेगी वैदिक घड़ी

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अनावरण और उसके ऐप लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष ने अपने ज्ञान से सम्पूर्ण ब्रह्मांड को अलौकिक किया है। कालगणना की पद्धति 300 वर्ष पहले तक हमारे देश से दुनिया तक जाती थी। भारतीय संस्कृति का प्रत्येक पहलु प्रकृति और विज्ञान का ऐसा विलक्षण उदाहरण है, जो विश्व कल्याण का पोषक है। इन्हीं धरोहरों के आधार पर निर्मित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परम्परा का गौरवपूर्ण प्रतीक है। इस घड़ी के माध्यम से भारत के गौरवपूर्ण समय को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास के नवनिर्मित द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का मंत्रोच्चार के बीच अनावरण किया। इस अवसर पर शौर्य स्मारक से आरंभ हुई 'भारत का समय-पृथ्वी का समय' रैली मुख्यमंत्री निवास पहुंची। मुख्यमंत्री ने रैली में शामिल युवाओं का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप का लोकार्पण, राजा भोज पर निर्मित यू-ट्यूब सीरीज के फोल्डर का विमोचन और खगोल विज्ञान पर केन्द्रित फिल्म की सीडी का विमोचन भी किया गया।

- **प्रकृति और विज्ञान के संतुलन पर केन्द्रित भारतीय परम्पराओं का गौरवपूर्ण प्रतीक है वैदिक घड़ी।**
- **मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और ऐप का किया लोकार्पण।**
- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं के मोबाइल में डाउनलोड करवाया विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक ऐप।**
- **मुख्यमंत्री निवास पहुंची शौर्य स्मारक से आरंभ हुई 'भारत का समय-पृथ्वी का समय' रैली।**

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

उर्वरक उपलब्धता और वितरण के संबंध में किसान संगठनों से संवाद बनाए रखे प्रशासन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाए। उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहें। उर्वरक वितरण की व्यवस्था में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। जिलों में यदि उर्वरक वितरण को लेकर अव्यवस्था होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए। साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें, इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक, पैक्स और निजी

- **उर्वरक वितरण व्यवस्था की हो सघन मॉनिटरिंग और अनुचित गतिविधियों पर करें कठोर कार्यवाही।**
- **अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत के लिए हो तत्काल कार्यवाही।**
- **जनहानि और पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलब्ध कराई जाए।**

विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। अतिरिक्त विक्रय केन्द्र की आवश्यकता होने पर उनका संचालन तत्काल आरंभ किया जाए। कृषि, सहकारी बैंक, विपणन संघ के अधिकारी निरंतर सम्पर्क में रहें।

बैठक में खरीफ 2025 के लिए यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के., एस.एस.पी., एम.ओ.पी. तथा डी.ए.पी., + एन.पी.के. की उपलब्धता, ट्रांजिट की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही नेनो एवं जैविक उर्वरक वितरण कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उर्वरक की बेहतर वितरण व्यवस्था में हुए नवाचारों का करें अनुसरण

मुख्यमंत्री ने उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में धार, दमोह, जबलपुर और रीवा जिले के कलेक्टरों से चर्चा की। दमोह कलेक्टर ने बताया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सतत सम्पर्क और संवाद सुनिश्चित करते हुए वितरण व्यवस्था में उनका सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही टोकन वितरण और उर्वरक वितरण को अलग-अलग किया गया है। टोकन तहसील कार्यालय से बांटे जा रहे हैं और वितरण विक्रय केन्द्रों से किया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने बताया कि किसानों के लिए टोकन वितरण की व्यवस्था फोन कॉल द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति में सजग और सक्रिय रहे पुलिस प्रशासन

डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जिन-जिन क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को क्षति हुई है, वहां राहत के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ की जाए। साथ ही जनहानि और पशु हानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलबध कराई जाए।

अपने अनुभव और प्रयासों से वंचित और गरीबों की मदद करें - राज्यपाल

भोपाल, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारी अपने अनुभव को जनकल्याण के कार्यों में लगाएं। हमेशा प्रयास करें कि आमजन की समस्याएं दूर हों। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिले। गरीब, वंचित और जरूरतमंदों की मदद ही सच्ची जनसेवा है। यह पुण्य का काम है। यह बात राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भोपाल में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित 89वें ई-मिड-कैरियर प्रशिक्षण के तहत केंद्रीय सचिवालयीन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, वरिष्ठ अवर सचिवों को संबोधित करते हुए कही।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास' के मूल मंत्र से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। 'पीएम जनमन योजना' और 'धरती आबा' जैसे विशेष कार्यक्रमों से जनजाति कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।

श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनकल्याणकारी राज्य के लिए सचिवालयीन अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका विशिष्ट होती है। सरकारी नौकरी व्यवसाय मात्र नहीं है, वंचितों के जीवन में खुशहाली लाकर समाज और देश का सुखद भविष्य बनाने की प्रतिबद्ध सेवा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आप जब भी दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में जाएं तो गरीब, वंचित और जरूरतमंदों की समस्याओं को देखें, समझें और आत्मीयता से सुनें। सरकारी धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें और इसके ख़र्च में मितव्ययिता का भी विशेष ध्यान रखें। अधिकारी समय-समय पर विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आरंभ होंगे रोज़गारपरक पाठ्यक्रम - मुख्यमंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश में शिक्षा के बदलते दौर में सभी विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत के बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं। वे दिन गए जब भारत किसी बड़े देश के पीछे चलकर पहचान बनाता था। हमें गर्व है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है। भारत के बदलते समय का विश्वविद्यालय के छात्र पूरा उपयोग करें। हमारे युवा बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करें। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ है। हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनें। सरकार हर संभव सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में आईटी रिसोर्स सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर तथा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट व कन्या छात्रावास का भूमिपूजन कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल के सभी क्षेत्रों को विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। भोपाल में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ भोपाल के पास मेट्रो और अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण के लिए बीईएमएल की इकाई का भूमिपूजन हो चुका है।

भारतीय शिक्षा एवं न्याय पद्धति विश्व में सर्वश्रेष्ठ

भोपाल, विद्यार्थियों की परीक्षाओं के मूल्यांकन की पारदर्शिता के लिए, डिजिटल मूल्यांकन की कार्ययोजना बना रहे हैं। इससे विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक हो सकेगी। साथ ही विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की सार्वजनिक उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल स्थित होटल पलाश रेसीडेंसी के सभाकक्ष में, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 'विद्यार्थी संवाद' कार्यक्रम में सहभागिता कर कही।

श्री परमार ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय, आवंटित भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलगु, बांग्ला, असमिया आदि को सिखाने की कार्ययोजना पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। इससे हिंदी भाषी मध्यप्रदेश से, देशभर में सभी भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान के भाव का संदेश जाएगा। श्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में, शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। श्री परमार ने कहा कि भारत का ज्ञान, सार्वभौमिक था। हमारी संस्कृति में ज्ञान का दस्तावेजीकरण नहीं था। हमारे पूर्वजों ने शोध एवं अध्ययन कर, ज्ञान को परंपरा के रूप में समाजव्यापी बनाया था। श्री परमार ने कहा कि भारतीय समाज में विद्यमान परंपरागत ज्ञान को पुनः शोध एवं अनुसंधान के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सापेक्ष युगानुकूल परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजीकरण से समृद्ध करने की आवश्यकता है।

गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट 12 सितंबर से होगी शुरू

भोपाल, मध्यप्रदेश अब पर्यटकों को देने जा रहा है ऐसा सफर, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी। जंगल की रोमांचक रातें, नदी और बैकवाटर्स की शांति और आसमान को छूती साहसिक गतिविधियां, ये सब मिलकर जल्द शुरू करने जा रहे हैं पर्यटन का नया अध्याय। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, ईको-टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से इस वर्ष दो महत्वपूर्ण आयोजनों का शुभारंभ करने जा रहा है। 'गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट' का चतुर्थ संस्करण 12 सितंबर 2025 से मंदसौर जिले के गांधीसागर डैम पर और 'कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट' का द्वितीय संस्करण 5 अक्टूबर 2025 से श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के समीप आयोजित होगा।

- **गांधीसागर और कूनो बने ईको-टूरिज्म एवं साहसिक पर्यटन के केंद्र।**
- **ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ साहसिक गतिविधियों का रोमांच।**

पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि गांधीसागर और कूनो जैसे फॉरेस्ट रिट्रीट केवल पर्यटन आयोजन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। गांधीसागर और कूनो ईको-टूरिज्म व साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरे हैं। गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का उद्देश्य प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म के मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाना है।

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिवशेखर शुक्ला ने कहा गांधीसागर और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट, अनुभव-आधारित पर्यटन के उदाहरण हैं। इन आयोजनों में आने वाले मेहमान उच्चस्तरीय और सर्व सुविधायुक्त ग्लेम्पिंग का आनंद उठाएंगे।

सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र करें पूर्ण

रीवा, उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विंध्य क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बहुती नहर प्रणाली, सीतापुर-हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं नईगढ़ी माइक्रो परियोजना के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। नहर, चैनल आदि अन्य निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को समन्वय से दूर कर किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि आगामी 2 वर्षों में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो जायेगी और आने वाले तीन वर्षों में रीवा एवं मऊगंज जिले में सिंचाई का पानी किसानों को मिलने लगेगा।

स्वदेशी उत्पादों का उपयोग है सच्ची राष्ट्रसेवा - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री एवं जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में जनअभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में 'स्वदेशी से स्वावलंबन' विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय संगोष्ठी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुएं केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, धरोहर और हमारे मान-सम्मान का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 'वोकल फॉर लोकल' अभियान भारतीयता की इसी भावना को आगे बढ़ाने का माध्यम है। हमारे देशी उत्पाद न केवल विदेशी उत्पादों से अधिक मजबूत, किफायती और

गुणवत्तायुक्त हैं, बल्कि इन्हें खरीदने पर हमें अधिकतम लाभ भी मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से आत्मीय आह्वान किया कि हर भारतीय नागरिक को न केवल स्वयं स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यही देश प्रेम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

मुख्यमंत्री ने जनअभियान परिषद द्वारा स्वदेशी अभियान के लिए तैयार किए गए पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया। इस ब्रोशर में स्वदेशी वस्तुओं की सूची दी गई है। कार्यक्रम में जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के मध्य स्वदेशी उत्पादों के प्रचार-प्रसार की जनजागृति के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- **हमारा स्वाभिमान है स्वदेशी उत्पाद।**
- **स्वदेशी भाव से हमारी संस्कृति ही हमें जोड़ती है।**
- **स्वदेशी अभियान के पोस्टर एवं जन अभियान परिषद के ब्रोशर का किया विमोचन।**
- **जनअभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के मध्य हुआ एमओयू।**

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

छतरपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा स्टेडियम - मुख्यमंत्री

छतरपुर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छतरपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छतरपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। जिले में 30 एकड़ क्षेत्र में गौशाला, एक करोड़ रुपये की लागत से कन्या विवाह भवन और सामुदायिक भवन के निर्माण सहित अन्य कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाएगी। इसके पास एक चिकित्सालय भी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत सागर-कबरई फोरलेन का निर्माण हो जाने पर संभागीय मुख्यालय सागर से छतरपुर मात्र दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा।

प्रदेश में हो रहे हैं गौ-संरक्षण के कार्य

भोपाल, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री श्री लखन पटेल ने मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में गौ-संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गो गौ-संरक्षण वर्ष मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश में गौ-संरक्षण एवं गौसेवा के कार्य किए गए। हमारी सरकार ने प्रदेश में स्वावलंबी गौ-शालाएं बनाने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। ये गौ-शालाएं हाइटेक होंगी, जहां गायों की देखभाल के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं सहित जैविक खाद, सीएनजी गैस उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाएगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

'जल जीवन मिशन' की योजनाओं में वृद्धि का अनुमोदन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई सम्पन्न

- उज्जैन में नवीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख स्वीकृत।
- इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग के लिए 2,935 करोड़ 15 लाख स्वीकृत।
- नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के लिए 972 करोड़ 16 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति।

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं में प्रस्तावित लागत में वृद्धि राशि 2,813 करोड़ 21 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुमोदन किया, जो लगभग 13.55 प्रतिशत है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत 15 हजार 947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20 हजार 765 करोड़ रुपये लागत की 27 हजार 990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं और 60 हजार 786 करोड़ रुपये लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत 27 हजार 990 योजनाओं में से 15 हजार 947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 12 हजार 43 योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत हैं। अभी तक कुल 8 हजार 358 योजनाओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई है। पुनरीक्षण कार्यवाही के अंतर्गत 7 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए समस्त परिक्षेत्र के जिलों की प्रस्तुत 8 हजार 358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कुल पुनरीक्षित लागत 9026 करोड़ 97 लाख रुपये की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई। इन योजनाओं की मूल स्वीकृत लागत 6,213 करोड़ 76 लाख रुपये है।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग निर्माण की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग, लंबाई 48.10 किलोमीटर का 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड सहित, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) योजनांतर्गत निर्माण कार्य के लिए भू-अर्जन सहित कुल राशि 2935.15 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पूर्व में जारी लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए परियोजना को 'हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल' पर किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गयी परियोजना के अंतर्गत 34 अंडर पास, दो फ्लाई ओवर, एक आर.ओ.बी., सात मध्यम पुल एवं 02 वृहद जंक्शन का निर्माण सहित सभी जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग आदि कार्य किये जायेंगे। मार्ग के निर्माण एवं संधारण के लिए कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन शहर में हरिफाटक रेलवे क्रासिंग पर 4 लेन और हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति सिंहस्थ मद अंतर्गत प्रदान की गई।

नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रिपरिषद द्वारा नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग कुल लंबाई 72.18 किलोमीटर के दो लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिये 'हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम)' योजनांतर्गत भू-अर्जन सहित राशि 972 करोड़ 16 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के अंतर्गत 2 अंडर पास, 4 बड़े पुल, 37 मध्यम पुल, 14 वृहद जंक्शन एवं 52 मध्यम निर्माण कार्य किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जंक्शन सुधार, सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग और रोड फर्नीचर का कार्य भी किया जायेगा। मार्ग निर्माण और संधारण की कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

फैक्ट फाइल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक 500 गीगावॉट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता का रखा है लक्ष्य

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश

विकसित भारत निर्माण के प्रमुख लक्ष्य में से एक है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का शीर्ष स्थान पर होना, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक 500 गीगावॉट की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री के संकल्प की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश प्रतिबद्ध है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में निरंतर नवाचार किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है।

प्रदेश में स्थापित की गई अनेक अभूतपूर्व परियोजनाओं से सौर ऊर्जा की आपूर्ति न केवल प्रदेश में, बल्कि दिल्ली मेट्रो एवं भारतीय रेल को भी की जा रही है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की है। मुरैना में भी अभिनव सौर परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसमें ऊर्जा भण्डारण कर सुबह और शाम के व्यस्ततम समय में भी प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदाय की जाएगी। इस परियोजना की ऊर्जा भण्डारण क्षमता 600 मेगावॉट होगी।

युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर

मुरैना में स्थापित होने जा रही इस अनूठी परियोजना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस परियोजना में सलाहकार आईएफसी की सेवाएं ली गई हैं। साथ ही डेवलपर और निवेशकों के सुझाव भी सम्मिलित किये गए हैं। मुरैना सोलर पार्क में प्राप्त विद्युत दर भविष्य की सौर ऊर्जा भण्डारण आधारित परियोजनाओं के लिए मानक होगी। परियोजना से प्रदेश में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। इससे चंबल क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुरैना में विश्व-स्तरीय सौर ऊर्जा भण्डारण परियोजना की स्थापना गर्व का विषय है। इस परियोजना से प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुरैना परियोजना से सौर ऊर्जा केवल दिन में ही नहीं, बल्कि सूर्यास्त के बाद भी प्रदाय की जाएगी। ऐसी अन्य आगामी परियोजनाओं से मध्यप्रदेश, देश ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए अक्षय ऊर्जा का एक रोल मॉडल होगा।

प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऊर्जा भण्डारण आवश्यक है। मुरैना सोलर पार्क और ऊर्जा भण्डारण, प्रदेश की पीक ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा करने की दिशा में पहला कदम है। यह सोलर प्लस बैटरी आधारित परियोजना है, जिसके अंतर्गत शाम 6 से रात 10 बजे तथा सुबह 6 से 9 बजे तक मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) की 440 मेगावॉट तक की पीक आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। मुरैना का 600 मेगावॉट का सोलर पार्क शाम के पीक ऑवर्स में आपूर्ति के लिए दिन में बैटरी को चार्ज करेगा एवं रात के समय एमपीपीएमसीएल द्वारा सुबह के पीक ऑवर्स की आपूर्ति के लिए बैटरी चार्ज की जाएगी।

इन्वेस्टर्स का रुझान

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग पौने 6 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इन निवेशों से 1 लाख 85 हजार नए रोज़गार सृजित होंगे। प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा, अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। प्रदेश में 24 हजार 600 से अधिक मेगावॉट बिजली बनाने की वर्तमान में क्षमता मौजूद है। इसे चालू वर्ष में 2 हजार मेगावॉट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है।

नवकरणीय ऊर्जा की प्रमुख उपलब्धियां

ओंकारेश्वर में देश की सबसे बड़ी-फ्लोटिंग सौर परियोजना के पहले चरण में 278 मेगावॉट बिजली बनने लगी है। आगर और नीमच में भी बड़े सौर प्लांट शुरू हुए हैं। मुरैना में 800 मेगावॉट की सोलर परियोजना विकसित की जा रही है।

- शशांक मणि पांडे

(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

बंडारू विल्सनबाबू

तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त

केंद्र सरकार ने मेडागास्कर में पदस्थ भारत के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक बंडारू विल्सनबाबू को तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वे वर्तमान राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे। विल्सनबाबू वर्ष 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विल्सनबाबू को सितम्बर 2022 में मेडागास्कर में राजदूत बनाया गया था, इससे पहले वह विदेश मंत्रालय के यूरेशिया प्रभाग में संयुक्त सचिव थे। विल्सनबाबू के कार्यकाल में भारत और मेडागास्कर के संबंध सौहार्द्रपूर्ण तथा घनिष्ठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर सहयोग बढ़ा है। इसके अलावा मेडागास्कर ने बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का व्यापक समर्थन भी किया है।

फैबियो

सबसे ज्यादा फुटबॉल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने

ब्राजील के अनुभवी गोलकीपर फैबियो ने फुटबॉल में इतिहास रच दिया है। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लूमिनेंसे के लिए खेलने वाले फैबियो ने 26 अगस्त को अपना 1391वां आधिकारिक मैच खेला, इसके साथ ही फैबियो सबसे ज्यादा फुटबॉल मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। 44 वर्षीय फैबियो ने कोपा सुदामेरिकाना टूर्नामेंट में अपना 1391वां मैच खेला। इस तरह उन्होंने सबसे ज्यादा फुटबॉल मैच खेलने के मामले में इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन (1390 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह दिलचस्प बात है कि फैबियो ने ब्राजील के लिए एक भी बार अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा 1287 मैच खेले हैं, इनमें अंतर्राष्ट्रीय और क्लब स्तर के मैच शामिल हैं।

अजीत अगरकर

बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता का कार्यकाल बढ़ाया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। वे जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। पूर्व तेज गेंदबाज अगरकर को जुलाई 2023 में टीम इंडिया की चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया वर्ष 2024 में आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप और इस वर्ष की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा, टीम इंडिया वर्ष 2023 के वन-डे विश्वकप के फाइनल में भी पहुंची थी। इससे पहले बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग-2025 से पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने कई प्रमुख खिताब जीते इसलिए उनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है।

सर्जियो गोर

भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत बनाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि वह सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत बनाने जा रहे हैं। गोर फिलहाल ट्रंप प्रशासन में हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। गोर को ऐसे समय में भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया जा रहा है जब टैरिफ को लेकर अमेरिका से उसका विवाद चल रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्जियो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो कई सालों से मेरे साथ रहे हैं।

संजय रस्तोगी

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक नियुक्त हुए

केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय रस्तोगी को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) का महानिदेशक नियुक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्ष 1991 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी संजय रस्तोगी को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले वे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में पदस्थ थे। आईआईटी दिल्ली से स्नातक रह चुके संजय रस्तोगी कई केंद्रीय मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसके अलावा वे अपने गृह कैडर में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

वीना प्रवीणर सिंह

मिस यूनिवर्स थाईलैंड बनीं

थाईलैंड में भारतीय मूल की 29 वर्षीय वीना प्रवीणर सिंह ने मिस यूनिवर्स थाईलैंड-2025 का खिताब जीता।। वह पहली भारतीय मूल की थाई नागरिक हैं, जिसने यह खिताब जीता है। यही नहीं वह शादी और फिर तलाक लेकर ब्यूटी क्वीन बनने वाली भी पहली ब्यूटी क्वीन हैं। दरअसल वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स पेजेंट में शादीशुदा महिलाओं की एंट्री बैन थी, जिस नियम को अब बदल दिया गया है। नए नियम के बाद अविवाहित और विवाहित कंटेस्टेंट इस ब्यूटी पेजेंट में आ सकती हैं। ऐसे में वीना का ताज जीतना एक तरह से इतिहास रच गया, क्योंकि वह पहली महिला हैं, जिनकी वर्ष 2022 में शादी हुई और फिर वर्ष 2024 में तलाक भी हो गया था।

सतीश कुमार

केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 को समाप्त होना था। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) से सेवानिवृत्त अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक सितंबर, 2025 से एक और वर्ष के लिए अनुबंध आधारित दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। सतीश कुमार की एक सितंबर 2024 को हुई प्रारंभिक नियुक्ति ने उन्हें बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाला पहला अध्यक्ष और सीईओ बनाया।

दिनेश के. पटनायक

कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वे वर्ष 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। इससे पहले वे स्पेन में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यरत थे। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने घोषणा की कि क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह पद इससे पहले कैमरन मैके के पास था। यह नियुक्ति पिछले साल जून में जी-7 सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई सहमति के बाद की गई है। दोनों देशों ने वादा किया था कि वे नए हाई कमिश्नरों की नियुक्ति कर आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे।

न्यायाधीश पंचोली और न्यायाधीश अराधे

सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में हुए पदोन्नत

केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को देश के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन दो नये न्यायाधीशों के पद ग्रहण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में प्राप्त शक्तियों के तहत न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायाधीश विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कॉलेजियम करती है।

कोकिची आकुजावा

102 वर्ष की आयु में फतह की जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी

जापान के 102 वर्षीय पर्वतारोही कोकिची आकुजावा ने इतिहास रच दिया है। आकुजावा ने जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट फुजी (ऊंचाई 3776 मीटर) फतह कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है। वे माउंट फुजी को फतह करने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कहा कि कोकिची आकुजावा का जज्बा बेमिसाल है, उन्होंने दिल की बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और माउंट फुजी पर चढ़ाई की।

सुसान मोनारेज

अमेरिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी की निदेशक बर्खास्त

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने देश की शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की निदेशक सुसान मोनारेज को स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर द्वारा प्रस्तावित टीकाकरण नीति में बदलावों का विरोध करने के बाद बर्खास्त कर दिया है। सुसान का मानना था कि प्रस्तावित टीकाकरण नीति में बदलाव वैज्ञानिक प्रमाणों के विपरीत है। अमेरिका की स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि सुसान मोनारेज अब सीडीसी की निदेशक नहीं हैं। हम उनका अमेरिकी जनता के प्रति समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं।

उर्जित पटेल

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक बनेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर इस फैसले की पुष्टि की। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के बाद उर्जित ने आईएमएफ से अपने कॅरियर की शुरुआत की और वर्ष 1990 से 1995 तक कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, भारत और म्यांमार जैसे देशों के लिए इंडिया डेस्क पर काम किया। उर्जित वर्ष 1996 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त हुए। वे वर्ष 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं।

स्मृति शेष

प्रसिद्ध कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से जसविंदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वे अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया और लाखों दिलों पर राज किया। पंजाबी सिनेमा को उन्होंने अपने अभिनय से नए मकाम तक पहुंचाया। जसविंदर भल्ला पंजाबी सिनेमा में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें पंजाबी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकारों में से एक माना जाता था।

एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन

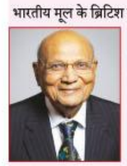

भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्रिटेन स्थित कपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके परिवार के सदस्यों के बीच उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्री स्वराज पॉल जी के निधन से गहरा दुःख हुआ। यूके में उद्योग, परोपकार और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके समर्थन को हमेशा याद किया जाएगा।

फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर प्रेम सागर का निधन

दिग्गज फिल्म निर्माता प्रेम सागर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रेम सागर एक फिल्म निर्माता होने के साथ-साथ जाने-माने सिनेमेटोग्राफर भी थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में सागर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) पुणे के वर्ष 1968 बैच में प्रेम सागर की ट्रेनिंग ने उन्हें फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में एक मजबूत बेस दिया। उन्होंने अपने पिता रामानंद सागर के शुरू किए प्रोडक्शन हाउस, सागर आर्ट्स को आगे बढ़ाया।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) बैतूल
जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश

E-mail : Address-actw.btl@mp.gov.in, Phone No. : (07141) 234343 (O)

क्रमांक/निर्माण/4/2025-26/5141 बैतूल, दिनांक : 29.08.2025

ई निविदा विज्ञप्ति
निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 03/2025-26

विभागीय संस्थाओं में निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाइन मोहरबंद प्रतिशत दर निविदा फार्म ''ए'' पर लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न तालिका में अंकित निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की भवन निर्माण एवं विद्युत कार्य हेतु प्रचलित दर सूची 01.01.2024 से प्रचलित प्रभावशील एवं निविदा दिनांक तक संशोधित है पर कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बैतूल (म.प्र.) में **दिनांक 19.09.2025 सायं 6.00 बजे तक** केवल ऑनलाइन पद्धति से बिड आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सिस्टम टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्णता अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	2025_TAD_448437_1	वि. खण्ड बैतूल अंतर्गत 06 छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक आवास निर्माण कार्य	109.26	1,09,260/-	12,500/-	07 माह वर्षा ऋतु सहित	लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीकृत पद्धति में सिविल कार्य हैंतु पंजीयन
2.	2025_TAD_448478_1	वि. खण्ड घोड़ाडोंगरी, शाहपुर अंतर्गत 07 छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक आवास निर्माण कार्य	127.47	1,27,470/-	12,500/-	07 माह वर्षा ऋतु सहित	
3.	2025_TAD_448483_1	वि. खण्ड चिचोली, भैंसदेही अंतर्गत 07 छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक आवास निर्माण कार्य	127.47	1,27,470/-	12,500/-	07 माह वर्षा ऋतु सहित	
4.	2025_TAD_448488_1	वि. खण्ड भीमपुर अंतर्गत 08 छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक आवास निर्माण कार्य	145.68	1,45,680/-	12,500/-	07 माह वर्षा ऋतु सहित	
5.	2025_TAD_448491_1	वि. खण्ड आठनेर, मुलताई, प्र. पट्टन अंतर्गत 08 छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक आवास निर्माण कार्य	145.68	1,45,680/-	12,500/-	07 माह वर्षा ऋतु सहित	

उपरोक्त कार्य के निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) **https://www.mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन भुगतान कर क्रय एवं प्रस्तुत किये जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र क्रय एवं प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 19.09.2025 सायं 6.00 बजे तक** निर्धारित है। विस्तृत सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, बैतूल

जी-18198/51524/2025

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग, कला मंदिर रोड स्वागत भवन, रीवा (म.प्र.)

Phone No. : 07662-406740, E-mail : dpepiurewa@gmail.com

एन.आई.टी. नं. - 25/2025/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सीई/पी.डब्ल्यू.डी./भवन/2236 रीवा, दिनांक : 26.08.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स. क्र.	पोर्टल टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पी.ए.सी.) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ई.एम.डी.) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2025_PWPIU_448797_1	तहसील हनुमना, जिला-मऊगंज में 2 नग एफ टाइप सिंगलेक्स, 2 नग जी टाइप सिंगलेक्स, 6 नग जी टाइप आवास बहुमंजिला, 9 नग एच टाइप आवास एवं 12 नग आई टाइप आवास बहुमंजिला का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	रीवा	651.11	651110/-	20000	12 माह	हां

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http:// mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 01.09.2025 समय 10:00 से दिनांक 15.09.2025 समय 18:00 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग, रीवा

जी-18250/51522/2025

पीएम-मित्र पार्क मालवा निमाड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों एवं व्यवसायियों के लिए होगी बड़ी उपलब्धि

इंदौर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान प्रदेशवासियों को डोलग्यारस की शुभकामनाएं और धार जिले के बदनावर में स्थापित होने वाले पीएम मित्र पार्क की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पार्क से एक लाख रोज़गार प्रत्यक्ष रूप से तथा दो लाख रोज़गार अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित होंगे। इस दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग होगा। इससे मालवा निमाड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों सहित इससे जुड़े व्यवसायियों के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। डॉ. यादव ने बताया कि पीएम मित्र पार्क दो हजार एकड़ क्षेत्र का बड़ा प्रोजेक्ट है। यह जनजातीय अंचल के धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा आदि समूचे कपास उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा वस्त्र उद्योग का कैंपस बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वयं की योजना है, जिसको मध्यप्रदेश सरकार ने बाकी राज्यों की तुलना में सबसे तेज गति से भूमिपूजन लायक बनाया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में देश और दुनिया के वस्त्र उद्यमियों के साथ इस योजना को शेयर भी किया गया है।

कार्यालय अपर संचालक/प्राचार्य, शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर (म.प्र.)

Office No. 0761-2663471- E.Mail- petcjabalpur@gmail.com

क्रमांक/467/प्राचार्य/पीईटीसी./प्रशिक्षण/2025 जबलपुर, दिनांक 03/09/25

एम.पी.पी.एस.सी. तथा एस.एस.सी., रेलवे एवं बैंकिंग परीक्षा की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये निःशुल्क ऑफलाइन कोचिंग हेतु विज्ञापन।

शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु निम्न शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य एवं म.प्र. का मूल निवासी हो तथा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय **6 लाख रुपये** से अधिक न हो तथा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष हो। आवेदक ने पूर्व में किसी भी अन्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में कोचिंग न लिया।
2. कोचिंग हेतु स्नातक होना आवश्यक है। कोचिंग का माध्यम हिंदी (ऑफलाइन स्वरूप) का होगा। आवेदक के स्नातक परीक्षा में **55 प्रतिशत** या अधिक होने पर **मूल टी.सी. एवं अन्य आवश्यक अभिलेख** जमा करने पर नियमानुसार आवास सहायता राशि 2000/- एवं स्टाइपेण्ड राशि 500/- प्रतिमाह 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर देय होगी।
3. केन्द्र में केवल **महिला प्रशिक्षणार्थियों** हेतु छात्रावास की सुविधा रिक्त सीट्स उपलब्ध रहने पर दी जावेगी। इस हेतु **मूल टी.सी. एवं अन्य आवश्यक अभिलेख** कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा। महिला प्रशिक्षणार्थियों (छात्रावासी) हेतु स्टाइपेण्ड 1650/- प्रतिमाह 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर देय होगी। छात्रावासी महिला प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में सीट्स उपलब्ध न होने पर आवास सहायता योजना अन्तर्गत देय राशि का भुगतान किया जावेगा।
4. कोचिंग संस्था में निःशुल्क स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर लैब एवं लायब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
5. कोचिंग की अवधि एम.पी.पी.एस.सी. हेतु 12 माह एवं एस.एस.सी. हेतु 06 माह रहेगी। एम.पी.पी.एस.सी. की कक्षायें 01 अगस्त 2025 से एवं एस.एस.सी. की कक्षायें 01 सितम्बर 2025 से प्रारंभ हो गई हैं। अतः इच्छुक छात्र/छात्राएं **दिनांक 26.09.2025 तक** आवेदन कर सम्मिलित हो सकते हैं।

उपरोक्तानुसार आवेदक आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री, स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची, 02 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति डाक द्वारा **प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (रामपुर पुलिस चौकी के पास, कौशल विकास संचालनालय/तेज अपार्टमेंट के बाजू में ग्वारीघाट रोड) जबलपुर पिन कोड- 482008** कार्यालयीन पता अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय एवं दिवसों में कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय दूरभाष **0761-2663471** एवं मो.नं. **8889609588 (प्रभारी)** पर कार्यालयीन समय एवं दिवसों में संपर्क कर सकते हैं।

Centre Address Locationlink-
https://www.google.com

अपर संचालक/प्राचार्य
शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर (म.प्र.)

जी-18234/51523/2025

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
विज्ञापन की संक्षिप्त सूचना

क्रमांक : 298/परीक्षा/2025 **जबलपुर, दिनांक : 04.09.2025**

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों की भर्ती - 2025

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	08.09.2025 (दोपहर 12.00 बजे से)
ऑनलाइन आवेदन (भुगतान सहित) करने की अंतिम तिथि	22.09.2025 (शाम 5.00 बते तक)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि	25.09.2025 (दोपहर 12.00 बजे से)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	27.09.2025 (शाम 5.00 बते तक)
ऑनलाइन परीक्षा की तिथि	बाद में अधिसूचित की जावेगी

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का नाम	वर्गवार रिक्तियों की संख्या				
	अनारक्षित	ओ.बी.सी.	अनु.जाति	अनु.जनजाति	कुल पद
असिस्टेंट लाइब्रेरियन	01	01	-	-	02

उक्त पद की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की **वेबसाइट www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध है, योग्य उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर उपरोक्त लिखित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जी-18186/51521/2025 **रजिस्ट्रार जनरल**

मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के उन्नयन की बनायें योजना - उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल, उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर तथा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर एवं जया आरोग्य अस्पताल के उन्नयन एवं विस्तार योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय आवश्यकताओं और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों का विस्तार एवं उन्नयन आवश्यक है। इसके लिए ठोस और व्यवहारिक योजना शीघ्र तैयार की जाये, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने वर्तमान आधारभूत संरचनाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए निर्माण एजेंसी और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम गठित कर विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाये।

ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जया आरोग्य हॉस्पिटल की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीएचबी का उन्नयन कर इसे 200 बेड क्षमता का बनाया जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रावास एक ही परिसर में निर्मित हों और उपलब्ध स्पेस का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने एमपीबीडीसी द्वारा तैयार किए गए विस्तार और पुनर्विकास मॉडल का अवलोकन भी किया और आवश्यक सुझाव दिए।

जबलपुर स्थित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की क्षमता 240 से बढ़ाकर 400 बेड की जाये। उन्होंने अस्पताल की कुल क्षमता को 1 हजार बेड तक विस्तार करने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सकों और कार्मिकों के लिए आवासीय ब्लॉकों के निर्माण को भी योजना में शामिल करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधोसंरचना विकास के साथ उसके रख-रखाव की व्यवस्था को भी प्रस्तावित योजना में सुनिश्चित किया जाये। बैठक में संचालक (प्रोजेक्ट) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री नीरज कुमार सिंह, एमडी एमपीबीडीसी श्री सिबी चक्रवर्ती सहित पीआईयू और एमपीबीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग संभाग आगर मालवा
संक्षेप निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक 06/2025-26 नि. लिपिक **दिनांक : 29.08.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती हैं।

क्र.	ऑनलाइन टेंडर क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनु. राशि (लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	कार्य की निर्धारित अवधि
1.	2025_PWDRB_448089_1	लोक निर्माण विभाग संभाग आगर मालवा के अन्तर्गत ठिकरिया से पाट मार्ग मय विद्युतीकरण सहित लंबाई 3.66 कि.मी. (प्रथम आमंत्रण)	331.03	331030/-	06 माह वर्षाकाल सहित
2.	2025_PWDRB_448091_1	लोक निर्माण विभाग संभाग आगर मालवा के अन्तर्गत ठिकरिया से निपानिया खीची मार्ग एवं बास्या जोड़ में नलखेड़ा बडौदिया मार्ग ठिकरिया बुरलाय डेम मार्ग मय विद्युतीकरण सहित लंबाई 4.00 कि.मी. (प्रथम आमंत्रण)	398.37	398370/-	06 माह वर्षाकाल सहित
		योग	**729.40 लाख**		

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्युमेन्ट) वेबसाइट के माध्यम से **दिनांक 24.09.2025 समय 17:30 तक** क्रय किया जाएगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह प्रकाशित नहीं किया जावेगा। संशोधन वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री
जी-18049/51491/2025 **लो.नि.वि. संभाग आगर मालवा**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग कटनी (म.प्र.)

E-mail : eepwdkatni@mp.nic.in, Phone No. : 07622-224277

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 09/व.ले.लि./2025-26/ **कटनी, दिनांक : 29.08.2025**

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत व्यवस्थापन के अन्तर्गत ठेकेदार से राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की प्रभावशील दर अनुसूची दिनांक 01.01.2024 (भवन) तथा दिनांक 11.04.2025 (सड़क) समस्त संशोधन सहित कार्य हेतु निविदायें ऑनलाइन Appendix 2.10 निविदा में आमंत्रित की जाती है बिड सेल ऑनलाइन **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त की जा सकेगी। निविदायें सम्बन्धित कार्यालय में टेण्डर टाईम शेड्यूल के अनुसार खोली जावेगी।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. राधा स्वामी सत्संग भवन से गुलवारा मोड़ मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 2.0 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित।

टेण्डर आई.डी. क्रमांक	जिला	एस.ओ. आर.	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्रमांक	अनु. लागत राशि (रु. लाख में)	कार्य की अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
2025_PWDRB_447864_1	कटनी	11.04.25	सड़क	प्रथम	320.93	321000.00	15000.00	08 माह वर्षाकाल सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 2.40 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित।								
2025_PWDRB_447865_1	कटनी	11.04.25	सड़क	प्रथम	267.14	267200.00	15000.00	07 माह वर्षाकाल सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. पठरा करहिया जोबीकला डबल गेट मार्ग लंबाई 1.90 कि.मी. का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित।								
2025_PWDRB_447866_1	कटनी	11.04.25	सड़क	द्वितीय	194.81	194810.00	12500.00	04 माह वर्षाकाल छोड़कर
क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्रमांक 1 कटनी के अन्तर्गत शासकीय आवास गृहों में मरम्मत एवं डिस्टेम्परिंग का कार्य।								
2025_PWDRB_447867_1	कटनी	01.01.24	भवन	तृतीय	16.92	33840.00	2000.00	06 माह वर्षाऋतु सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्रमांक 1 कटनी के अन्तर्गत मुख्यालय उपखण्ड के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मत कार्य।								
2025_PWDRB_447868_1	कटनी	01.01.24	भवन	प्रथम	16.64	33280.00	2000.00	06 माह वर्षाऋतु सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्रमांक 1 कटनी के अन्तर्गत मुख्यालय उपखण्ड के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मत एवं वाटर प्रूफिंग का कार्य।								
2025_PWDRB_447869_1	कटनी	01.01.24	भवन	प्रथम	16.21	32420.00	2000.00	06 माह वर्षाऋतु सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 7. लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्रमांक 1 कटनी के अन्तर्गत ढीमरखेड़ा उपखण्ड के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मत एवं वाटर प्रूफिंग का कार्य।								
2025_PWDRB_447870_1	कटनी	01.01.24	भवन	प्रथम	15.18	30360.00	2000.00	06 माह वर्षाऋतु सहित
क्र. एवं कार्य का नाम :– 8. लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्रमांक 1 कटनी के अन्तर्गत बड़वारा उपखण्ड के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मत एवं वाटर प्रूफिंग का कार्य।								
2025_PWDRB_447871_1	कटनी	01.01.24	भवन	प्रथम	13.32	26640.00	2000.00	06 माह वर्षाऋतु सहित
				योग -	**861.15**			

निविदा की कुल अनुमानित राशि रुपये 861.15 लाख (आठ करोड़ इकसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)

उपरोक्त वेबसाइट में ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा ऑनलाइन बिड सबमिशन की **अंतिम तिथि 17.09.2025 सायं 17.30 बजे तक** निर्धारित है। ई.एम.डी. केवल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. एवं अन्य दस्तावेज केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी का विवरण शासन की वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-18061/51492/2025 **लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कटनी**

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल : ce. tender.wrdmp@gmail.com, फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1171/2025-26/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक 28.08.2025**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 24.09.2025 को 17:30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2025_WRD_447520	**टर्न की पद्धति पर :-** निर्माणाधीन खाम्हा उद्वहन सिंचाई परियोजना कार्य हेतु बरगी बाँध की दांई तट नहर की आर.डी. 87.30 कि.मी. पर ग्राम खाम्हा के समीप आर.सी.सी. हेड रेग्यूलेटर का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	जबलपुर	123.79
2.	2025_WRD_447521	**टर्न की पद्धति पर :-** खटोला जलाशय के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य जिसमें नाला क्लोजर, अर्थवर्क, स्लूस, वेस्ट वियर, स्पिल कार्य, नहर निर्माण का मिट्टी कार्य लाइनिंग एवं पक्के कार्यों सहित निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परंतु उस तक सीमित नहीं।	सागर	930.39
3.	2025_WRD_447522	भानपुरा नहर परियोजना एल.बी.सी. नहर एवं माईनर नहर का वार्षिक मरम्मत कार्य।	मंदसौर	27.57
4.	2025_WRD_447523	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नारायणपुरा माईनर एवं सब माईनर का शेष निर्माण कार्य।	पन्ना	631.81
5.	2025_WRD_447524	हनौता सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं पंचायत भवन का निर्माण कार्य।	सागर	221.60

जी-18018/51488/2025 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग रायसेन

क्रमांक/761/जि.दि.पु.के./सा. न्याय/2025 **दिनांक : 01.09.2025**

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म.प्र. भोपाल के क्रमांक/दि.पु.के.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024, पत्र संचालनालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 766 दिनांक 03.09.2024 एवं प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /1957/2024/26-2/07.10.2024 के अनुपालन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र रायसेन के रिक्त पदों पर मानदेय नियुक्ति के लिये निम्नानुसार पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **आवश्यक अर्हता/योग्यता एवं आवेदन प्रारूप एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट www.raisen.nic.in अथवा कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला रायसेन नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन का अवलोकन किया जा सकता है।** निम्नानुसार रिक्त पदों पर विषय- विशेषज्ञों/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिमाह मानदेय पर सेवाएं लिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं विवरण आवश्यक अर्हता/योग्यता है :-

क्र.	मानदेय पद का नाम	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय राशि
1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक/ पुनर्वास मनोचिकित्सक (कोई एक पद)	01	क्लीनिकल मनोचिकित्सक (क) क्लीनिकल मनोचिकित्सक में एम.फिल (ख) मनोचिकित्सा में व्यवसायिक डिप्लोमा पुनर्वास मनोचिकित्सक (क) पुनर्वास मनोचिकित्सक मे एम.फिल (ख) पुनर्वास मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20500/-
2	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट ऑथोटिस्ट	01	आर.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑथोटिस्ट (बी.पी.ओ.) में स्नातक	20500/-
3	सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट	01	ऑडियोलॉजी और स्पीच एण्ड लैंग्वेज पैथेलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या बी.एस.सी. स्पीच एण्ड हियरिंग	20500/-
4	प्रोस्थेटिस्ट ऑथोटिस्ट (टेक्न.)	01	पी. एण्ड ओ. में डिप्लोमा या 03 साल के अनुभव के साथ पी. एण्ड ओ. में प्रमाण पत्र	14500/-
5	मल्टीपरपज रिहेब्लीटेशन वर्कर	01	दसवीं और गतिशीलता सर्टिफिकेट/डिप्लोमा अधिमानता : गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एस.सी) अथवा दृष्टिबाधित में डी. एण्ड विशेष शिक्षा/बी. एड विशेष शिक्षा	14500/-
6	वोकेशनल काउंसलर कम कम्प्यूटर असिस्टेंट	01	व्यवसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डी.वी.आर.)/बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी)/ पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)	14500/-
7	ट्रान्स डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर (एम.आर.)	01	वीआई/आईडी/सीपी/एएसडी/एमडी/डीबी/एसएलडी में डीईडीएसई/बीईडीएसई	14500/-
8	ट्रान्स डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर (एच.आई.)	01	श्रवण बधिता में डीईडीएसई/बीईडीएई	14500/-
9	प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट	01	पीजीडीडीटी/पीजीडीईआई/बीएमआर/बीआरएससी/ बीआरटी/एमआरएसीस/एमएससीईआई	14500/-
10	केयर गिवर	01	सीसीसीजी/आरसीआई-सी सीसीजी/राष्ट्रीय न्यास या कक्षा 8वीं उत्तीर्ण जिसमें दिव्यांगजनों की देखभाल में 3 साल का अनुभव हों	6250/-
11	अटेएडेंट कम प्यून कम मेसेन्जर	01	आठवीं उत्तीर्ण	9500/-

विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से **दिनांक 20 सितम्बर 2025 तक सायंकाल 5.30 बजे तक** कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग रायसेन में स्वयं अथवा डाक के माध्यम से पेटी में जमा किये जा सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा।

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
जी-18080/51493/2025 **जिला रायसेन**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

लिंक रोड नंबर 3, पत्रकार भवन, भोपाल-462003

विज्ञापन

विज्ञा.क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2025/3191 **भोपाल, दिनांक : 01.09.2025**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा जिला डाटा मैनेजर (आर आई) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता हैं, यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु सीमा
1.	संविदा जिला डाटा मैनेजर (आरआई)	16	36200/- रुपये प्रतिमाह	**Essential qualifications :** Regular graduate degree from a recognised university with a one-year diploma in computer application (PGDCA/DCA - Regular) **OR** Regular Bachelor of Computer Application/Bachelor of Science (CS/IT). **OR** Regular MCA/M.Sc. (CS/IT)/MBA (IT) **Experience :** Two years of experience in data handling, data analysis and data management after acquiring the essential qualification.	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01.01.2025 की स्थिति में)

आवेदन एम.पी. ऑनलाइन के वेबपोर्टल **http://www.mponline.gov.in** एवं **http://iforms.mponline.gov.in** के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 02.09.2025 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 22/09/2025 है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5%	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5%	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5%	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलेटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता) 1.5%
जिला डाटा मैनेजर (आरआई)	16	3	2	2	1	2	1	3	1	1	0	-	-	1	-

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जायेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

जी-18105/51494/2025 **अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश**

कार्यालय मुख्य अभियंता

लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 12/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2025-26 **भोपाल, दिनांक : 28.08.2025**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. बैतूल जिले में शाहपुर से बरबतपुर चोपना मार्ग में तवा नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु
2025_PWDRB_447533_1	बैतूल	पुल कार्य	प्रथम	1330.62	केवल ऑनलाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. शिवपुरी जिले में ग्राम खडेदरा से सूड के बीच सिंध नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2025_PWDRB_447534_1	शिवपुरी	पुल कार्य	प्रथम	1073.25	केवल ऑनलाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. नरसिंहपुर जिले अंतर्गत काठोतिया लिंगा मार्ग में बारूरेवा नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।

2025_PWDRB_447535_1	नरसिंहपुर	पुल कार्य	प्रथम	895.01	केवल ऑनलाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. नरसिंहपुर जिले अंतर्गत लालपुर गोरखपुर मुंगवानी मार्ग में माछारेवा नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।

2025_PWDRB_ 447536_1	नरसिंहपुर	पुल कार्य	प्रथम	710.38	केवल ऑनलाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. नरसिंहपुर जिले अंतर्गत नरसिंहपुर सिटी पोर्शन मुख्य जिला मार्ग में सिंगरी नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।

2025_PWDRB_ 447537_1	नरसिंहपुर	पुल कार्य	प्रथम	563.76	केवल ऑनलाइन

क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. डिण्डोरी जिले के गाडासरई बछरगांव मार्ग में चकरार नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य।

2025_PWDRB_ 447539_1	डिण्डोरी	पुल कार्य	प्रथम	557.76	केवल ऑनलाइन
			कुल योग	**5130.78**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 18.09.2025 (17:30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-18047/51490/2025 **लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन)

लोक निर्माण विभाग, कोठी रोड, सिविल लाईस, सतना (म.प्र.)

PHONE No. : 07676-299470, E-mail : dpepiusatna2@gmail.com

एन.आई.टी. नं. -25/2025/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सीई/पी.डब्ल्यू.डी./भवन/2236 **रीवा, दिनांक: 26.08.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है:-

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. रामपुर बाघेलान जिला सतना में उपसंभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग (भ/स) सह 01 एफ टाइप, 05 जी टाइप एवं 02 एच टाइप आवास गृहों का निर्माण कार्य मय जलप्रदाय, सेनेटरी एवं विद्युतीकरण के कार्य (प्रथम आमंत्रण)

पोर्टल टेण्डर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पी.ए.सी.) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ई.एम.डी.) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
2025_PWPIU _447253_1	सतना	434.13	434130.00	15000	12 माह	हां

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 01-09-2025 समय 10:00 से **दिनांक 15.09.2025 समय 18:00 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (भवन)

जी-18045/51489/2025 **लोक निर्माण विभाग, सतना**

OFFICE OF THE KRISHI UPAJ MANDI SAMITI, NIWARI, DISTT. NIWARI (M.P.)

No./NIT/405 **Niwari, Dated : 03.09.2025**

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for **Construction of 14 Nos. Shop cum Godown in new Mandi Yard Niwari (Mudara), Construction of 04 Nos. 200 MT Godown in new mandi yard Niwari (Mudara) Distt. Niwari (M.P.) Tender Number : 2025_MPSAM_449214_1 (PAC amount Rs. 154.00 + 63.84 Total 217.84 Lacs) .** The following works Tender to be received online up to **17:30 PM on 24.09.2025** Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the **http://mptenders.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note :- Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/ Development works and locations & key dates can also be seen on our website **www. mpmandiboard.gov.in**

M.P. Madhyam/121885/2025 R-51517/2025 **SECRETARY**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)
साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञप्ति क्र.-8227/34/2025/अनु.-10 इंदौर, दिनांक : 01.09.2025

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024** हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-32/2024 /30.12.2024 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 26.03.2025

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/17-44/2024 दिनांक 26.03.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/17-44/2024 दिनांक 17.04.2025 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा- 2024 के आयोजन की सूचना विषयक)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024** जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सांख्यिकी दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	2	2	-	3	1	8
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser For Guest faculty)	1	1	-	1	-	3
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	1	1	-	1	-	3
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	LD (OH)-1, HH-1					2

04. अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी "पत्र क्रमांक- एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-32/2024/30.12.2024 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है।

अर्हता सूची तैयार किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022 में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024	3	2	1

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम में **मुख्य भाग-अ** के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत **कुल-20** अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (STATISTICS)-PART A (MAIN)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.
1.	720002	6.	720033	11.	720071	16.	720094
2.	720003	7.	720054	12.	720074	17.	720100
3.	720016	8.	720057	13.	720078	18.	720101
4.	720018	9.	720066	14.	720084	19.	720108
5.	720032	10.	720067	15.	720087	20.	720112

प्रावधिक भाग-ब के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत **कुल-7** अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (STATISTICS)- PART B (PROVISIONAL)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.
1.	720027	3.	720038	5.	720063	7.	720103
2.	720029	4.	720048	6.	720073		

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 32/2024 दिनांक 30.12.2024	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024
अनुक्रमांक :-	अभ्यर्थी का नाम :- ....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
7.	हाईस्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
9.	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षो की अंकसूचियों एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे)। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
16.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 को वैध प्रमाण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
18.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
21.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
22.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक-4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....

(शेष अगले पृष्ठ पर)

ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हुआ पैनल डिस्कशन

ग्वालियर, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में 'ग्वालियर-चंबल राइजिंग : इनबाउंड अपील थ्रू हेरिटेज, लग्ज़री एंड एक्सपिरियंस' और 'पर्यटन एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में ग्वालियर और मध्यप्रदेश के हृदयभूमि का विश्व के लिए ब्रांडिंग' विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। ग्वालियर अपनी शाही विरासत, शास्त्रीय संगीत परंपराओं एवं स्थापत्य धरोहरों का एक सांस्कृतिक खजाना है। पैनल चर्चा का उद्देश्य इस धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की रणनीतियों पर विचार करना रहा।

अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. इलैयाराजा टी., मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सुश्री बिदिशा मुखर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित हुए और अपने विचार रखें।

श्री शुक्ला ने प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र के विजन और मध्यप्रदेश शासन की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने पर्यटन में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2025 में नई पर्यटन नीति लागू की है। निवेशकों को Ease of Doing Business उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि मध्यप्रदेश पर्यटन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी पैनलिस्टों के स्वागत और सम्मान से हुआ, जहां उन्हें शॉल एवं प्रतीक चिह्न भेंट किए गए।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

23.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राविधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी अभिवचन पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्र. .....से.....तक	....
24.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र. ....से.....तक	....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षरः- ....

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त दस्तावेज उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 22.09.2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहें है, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते है वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025 तक
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :–

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राविधक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते है तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्राविधक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्राविधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. उपरोक्तानुसार जारी साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक SLP8764/2023 एवं SLP12398/2023 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख **दिनांक 22.09.2025 तक** निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर **सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु** अभिलेख अवश्य लिखें।

म.प्र. माध्यम/18144/51497/2025 **उप परीक्षा नियंत्रक**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, अलीराजपुर (म.प्र.)

E-mail-eephedalirajpur.com

नि.सू.क्र. 15 एवं 16/टेण्डर/लो.स्वा.यां./2025 **अलीराजपुर, दिनांक : 01.09.2025**

निविदा आमंत्रण सूचना (तृतीय आमंत्रण)

निविदा सूचना ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https//mptenders.gov.in/** पर निविदा प्रपत्र ''अपेन्डिक्स 2.10'' प्रतिशत दर पर आमंत्रित है। निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ई-टेण्डर का क्रमांक	कार्य की अनुमानित लागत रु. लाख में	धरोहर राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि
Labour Only For Minor/Major Repairing Work of Handpumps Including Replacement of Unserviceable Parts As The Case May Be Along With Overhauling of Handpump Set And Transportation Etc. As Per Approved Specification Inclusive of Free Service of Departmental Technicain (Material Will Be Supplied By The Department HandPump Maintenance Block Sondwa & CSA Nagar (36 Months Including Rainy Season)					
1	2025_PHED_423537_3	85.16	85165.00	10000.00	15.09.2025
2	2025_PHED_423545_2	67.92	67916.00	10000.00	15.09.2025

1. यह केवल संक्षिप्त निविदा है, जो प्रकाशनार्थ जारी की जा रही है। निविदाओं से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
2. उपरोक्त निविदाओं में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। उक्त संशोधन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-18128/51496/2025 **लो. स्वा. यां. खण्ड, अलीराजपुर**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र, सागर

फोन नं. 07582-220840, ई-मेल आईडी. cepwdsagar@mp.nic.in

एनआईटी नं. 24/2025-26/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण **सागर, दिनांक : 28.08.2025**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा नवीन एकीकृत पंजीयन प्रणाली ठेकेदारों से आमंत्रण की जाती है।

क्र. कार्य का नाम : 1. सागर सिटी लिंक मार्ग लं. 8.20 कि.मी. पर व्हाईट टॉपिंग कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित अनुमानित लागत रु. 1071.25 लाख

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) लाख में	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण
2025_PWDRB_444835_1	सागर	1071.25	1000000.00	30000.00	12 माह	प्रथम
क्र. कार्य का नाम : 2. संत रविदास स्मारक मकरोनिया पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 2.70 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित अनुमानित लागत 649.13 लाख						
2025_PWDRB_444837_1	सागर	649.13	649130.00	20000.00	10 माह	प्रथम
		1720.38				

1. निविदा से संबंधित डॉक्यूमेंट **वेबसाइट http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 28.08.2025 समय 17.30 बजे से दिनांक 12.09.2025 समय 17.30** तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-18115/51495/2025 **लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र, सागर**

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज
जबलपुर

क्रमांक/पैरा/2025/9023 **जबलपुर, दिनांक : 04.09.2025**

सूचना

वर्ष 2024-25 के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम एम.पी.टी/बी.पी.टी/बी.एम.एल.टी./नेत्र सहायक/डायलिसिस/कैथलैब/ऐनास्थिसिया/ओ.टी./ई.सी.जी. टेकी. कोर्स में प्रवेश हेतु जिन छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है उनकी काउंसलिंग निम्नानुसार दिनांक में मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में **प्रातः 10:30 बजे से होगी।**

क्र.	दिनांक एवं दिवस	काउंसलिंग
01.	10.09.2025 एवं बुधवार	● ST/SC श्रेणी के छात्रों की स्क्रूटनी (मूल दस्तावेज की जांच होगी।)
02.	11.09.2025 एवं गुरुवार	● ST/SC श्रेणी के छात्रों का आवंटन हेतु काउंसलिंग। ● OBC श्रेणी के छात्रों की स्क्रूटनी (मूल दस्तावेज की जांच होगी।)
03.	12.09.2025 एवं शुक्रवार	● OBC श्रेणी के छात्रों के आवंटन हेतु काउंसलिंग। ● UR/EWS एवं विभागीय श्रेणी की स्क्रूटनी (मूल दस्तावेज की जांच होगी।)
04.	13.09.2025 एवं शनिवार	● UR/EWS एवं विभागीय श्रेणी के आवंटन हेतु काउंसलिंग। ● मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के राज्यों के आवेदकों हेतु स्क्रूटनी एवं काउंसलिंग।

नोट : स्क्रूटनी में छात्रों के चाहे गये सूची अनुसार सभी मूल दस्तावेज होना अनिवार्य है, कोई भी दस्तावेज कम होने पर काउंसलिंग भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
जी-18322/51525/2025 **मेडिकल कॉलेज, जबलपुर**

विदेशी भाषा से मिल रहे हैं कॅरियर के वैश्विक अवसर

'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिये 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिये जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुये आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।

यकीनन वर्तमान समय में जहां एक ओर वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच की दूरियां और सीमाएं सिमटकर रह गई हैं, वहीं दूसरी ओर दुनियाभर में डिजिटल तकनीकों, जूम, गूगल मीट जैसे वीडियो कॉलिंग एप्स का ऑफिस या दूसरे कामों के लिए यूजर्स के द्वारा उपयोग किए जाने के ट्रेंड से फॉरेन लैंग्वेजेस (विदेशी भाषाओं) की दक्षता रोज़गार के बेहतरीन अवसर मुहैया करा रही है।

विदेशी भाषा का बढ़ता बाजार

तेजी से बढ़ते वैश्विक कॅरियर अवसरों के युग में विदेशी भाषा सीखना कॅरियर की एक रणनीति बन गई है। परंपरागत अवसरों के साथ ही विदेशी भाषाओं की प्रवीणता कॅरियर के लिए वैश्विक राहें खोलने में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में आगामी दो दशक में करीब 1.6 मिलियन से अधिक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी। इसका प्रमुख कारण वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों का विस्तार है। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय भाषा सेवा उद्योग लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि आने वाले वर्षों में और बढ़ने का अनुमान है।

विदेशी भाषा की बहुआयामी उपयोगिता से रोज़गार अवसर

नि:संदेह वैश्वीकरण के इस दौर में विदेशी भाषा में दक्षता प्राप्त करने का बहुआयामी महत्व है और इससे रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। विदेशी भाषा पाठ्यक्रम कई लाभ प्रदान करते हैं। किसी विदेशी भाषा को सीखने से अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा पर पकड़ मजबूत होती है, जिससे शब्दावली का विस्तार होता है और भाषा कौशल में वृद्धि होती है। विदेशी भाषाओं का अध्ययन सुनने के कौशल को बढ़ाता है, स्मृति धारण क्षमता को बढ़ाता है, तथा संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूत करता है, जिससे व्यापक मानसिक विकास में योगदान मिलता है। विदेशी भाषाओं में दक्षता से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा काफी आसान हो जाती है, जिससे अनुभव अधिक आनंददायक हो जाता है और सार्थक सांस्कृतिक संपर्क संभव हो जाता है। विदेशी भाषाओं का अध्ययन व्यक्ति के विश्वदृष्टिकोण का विस्तार करता है, अधिक समावेशी दृष्टिकोण विकसित करता है और उन बाधाओं को दूर करता है जो अक्सर विभिन्न लोगों के बीच अविश्वास और भय पैदा करती हैं। विदेशी भाषा का ज्ञान व्यक्तिगत समृद्धि और व्यावसायिक उन्नति के क्षेत्रों को जोड़ता है। कई छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जहां विदेशी भाषा में दक्षता अक्सर प्रवेश की एक अनिवार्य शर्त होती है। ये पाठ्यक्रम शैक्षणिक संभावनाओं की एक विविध दुनिया की कुंजी के रूप में कार्य करते हैं। किसी विदेशी भाषा का अध्ययन संज्ञानात्मक विकास और विश्लेषणात्मक कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का काम करता है और यह वृद्धि बेहतर समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देती है। विदेशी भाषाओं में दक्षता, कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले नौकरी बाजार में एक विशिष्ट बढ़त प्रदान करती है। बहुभाषी व्यक्ति दूसरी भाषा में धाराप्रवाह संवाद करने की क्षमता रखते हैं, जिससे उनके चुने हुए कॅरियर में उनके क्षितिज का विस्तार होता है। किसी विदेशी भाषा में निपुणता व्यक्तियों को बहुसांस्कृतिक दुनिया में प्रभावी और जिम्मेदारी से जुड़ने के लिए सक्षम बनाती है। इससे सांस्कृतिक सीमाओं के पार आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। विदेशी भाषाओं का अध्ययन विविध संस्कृतियों और व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करता है।

विदेशी भाषाओं में भारतीय युवाओं के लिए बढ़ते रोज़गार के अवसर

नि:संदेह भारत दुनिया में भरोसेमंद प्रतिष्ठित देश के रूप में उभरकर सामने आया है। इस समय दुनिया के लगभग सभी विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत व्यापार संबंधों का बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। भारत जहां जी-7, जी-20 तथा क्वाड देशों के साथ महत्वपूर्ण कारोबार सहभागी है, वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता की राह पर आगे बढ़ा है। भारत बिम्सटेक सहित विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का अहम सदस्य देश भी है। ऐसे में इन विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों की बड़ी संख्या में आवश्यकता महसूस की जा रही है। यही वजह है कि इस समय छात्रों को परंपरागत विषयों से हटकर फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन ज्यादा लुभा रहा है। विदेशी भाषाओं विशेषकर फ्रेंच, जर्मन, जापानी, स्पेनिश, चीनी, इतावली और रूसी भाषा सहित उन विभिन्न भाषाओं का भारतीय युवाओं के लिए कॅरियर के मद्देनजर महत्व बढ़ गया है, जिन देशों के साथ भारत से विदेश व्यापार और द्विपक्षीय समझौतों की डगर तेजी से आगे बढ़ रही है। यूरोप और एशिया के कई देशों में नौकरी पाने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान एक अनिवार्य शर्त होती है। विशेषकर हेल्थकेयर, कस्टमर केयर तथा सेल्स आदि से संबंधित कार्यक्षेत्रों के लिए जिनमें स्थानीय आबादी के साथ सीधा संवाद शामिल होता है।

विदेशी भाषाओं के रोज़गारोंमुखी पाठ्यक्रमों की अहमियत

फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित पाठ्यक्रम मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और डिग्री पाठ्यक्रम। प्रमाणपत्र और डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मापदंड संबद्ध भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है। छात्रों को किसी भी विदेशी भाषा कोर्स में एडमिशन लेने से पूर्व सभी भाषाओं के विषय में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जो भाषाएं वैश्वीकरण के दौर की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और जो रोज़गारोन्मुखी हैं उनकी ओर विद्यार्थियों को कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे जर्मनी में बतौर डॉक्टर नौकरी के लिए जर्मन भाषा के बी2 या सी1 स्तर का प्रमाणपत्र देना होता है। जापान के लिए जापानी भाषा दक्षता परीक्षा जेएलपीटी टेस्ट देना होता है। बीपीओ एवं केपीओ और टेक कंपनियों में वैश्विक

व्यापार के कारण फ्रेंच, जर्मन, जापानी और कोरियाई भाषाओं के जानकारों की बड़ी मांग है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के कई देश जर्मन बोलते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि आईटी की कई बड़ी कंपनियों की भारत में अच्छी उपस्थिति है। इसी तरह फ्रेंच कई देशों में बोली जाती है। इस भाषा के जानकार आईटी पेशेवर को कई यूरोपीय देशों में डाटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित नौकरियों में वरीयता मिलेगी। विदेशी भाषा के जानकारों की जरूरत एआई सिस्टम को डाटा तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने एवं मानवीय भाषाओं एवं संस्कृति के लिए उपयोगी बनाने के लिए भी पड़ रही है।

कॅरियर के लिए विदेशी भाषा सीखने का निर्णय सूझबूझ पूर्ण हो

कई बार ऐसा होता है कि छात्र-छात्राएं बिना सोचे-विचार किए किसी भी विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें उस संबंधित भाषा को सीखने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरूरी है कि विदेशी भाषा का चयन रुचि, योग्यता और क्षमता के साथ-साथ रोज़गार संभावनाओं के आधार पर किया जाए और कठिनाइयों से भरी तैयारी के बीच भी पीछे न हटें। इस बात को समझना जरूरी है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने और धन कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करना, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। किसी विदेशी भाषा में रोज़गार योग्यता के लिए आपको संबंधित विदेशी भाषा के साहित्य, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा उस विदेशी भाषा की पत्र-पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि पढ़ने के माध्यम से निरंतर भाषा प्रयोग के संपर्क में रहना होता है। इसके अतिरिक्त संबद्ध भाषा बोलने वाले अन्य लोगों से भी संपर्क बनाए रखना होता है, ताकि आप भाषा बोलने के कौशल में सुधार कर सकें और भाषा के सूक्ष्म पहलुओं को समझ सकें। इन पहलुओं की जानकारी भाषा बोलने और उसमें वार्तालाप के जरिए ही हासिल की जा सकती है इसलिए यदि विदेशी भाषा में कोई भी पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से किया जाए तो उस भाषा के निरंतर वार्तालाप की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इससे ही संबद्ध विदेशी भाषा पर मजबूत पकड़ बन पाती है। बेहतर है कि आप अपनी पसंद की विदेशी भाषा के नियमित पाठ्यक्रम को ही चुनें। इसके अलावा, फॉरेन लैंग्वेज को अब ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। आजकल कई सारे एप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां से इसे घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं।

विदेशी भाषा में आकर्षक रोज़गार के मौके

बदलते दौर में फॉरेन लैंग्वेज सीखकर देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में कॅरियर बना सकते हैं। भाषा सीखने के बाद विदेशी दूतावास, कॉरपोरेट कंपनीज के सेल्स एवं मार्केटिंग विभाग तथा सरकारी विभागों में अवसर हासिल करने के साथ-साथ मीडिया क्षेत्र में फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के रूप में अपने लिए कॅरियर तलाश सकते हैं या फिर टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गाइड, एंटरप्रेटर या स्कूल-कॉलेज में अध्यापक प्राध्यापक बन सकते हैं। कुछ वर्ष पहले तक मल्टीनेशनल कंपनियों में ही विदेशी भाषा के जानकारों की ज्यादा जरूरत होती थी, लेकिन अब इंटरनेट मीडिया में भी इनकी जरूरत पड़ रही है। खासकर जब से वर्चुअल मीटिंग और सोशल मीडिया की जरूरत पड़ने लगी है, तब से विदेशी भाषा में स्कोप और बढ़ गया है। इस समय देश में काफी कॉरपोरेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा, जितने भी बीपीओज या केपीओज हैं या फिर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे जितने भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आफिसेज हैं, वहां भी प्रमुख विदेशी भाषाओं की अब ज्यादा जरूरत पड़ रही है। विदेशी भाषा कोर्स करने के उपरांत वैश्विक संगठनों और विदेशों में भी कॅरियर के काफी उजले अवसर विद्यमान हैं।

रिपोर्ट के अनुसार मंदारिन, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कोरियन और जापानी और अरबी भाषाएं इस समय सबसे अधिक कॅरियर और वेतन वाली भाषाएं बन चुकी हैं। अरबी भाषा की जानकारी मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में एनर्जी ट्रेड और फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में काम दिलाती है। विदेशी भाषा इन दिनों कॅरियर विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। आप अपने कॅरियर क्षेत्र के अनुसार भाषा चुनें, तो फायदा होगा। जैसे, तकनीकी क्षेत्र के लिए जापानी या जर्मन, मीडिया-टूरिज्म के लिए कोरियन, फ्रेंच या स्पेनिश। जरूरत के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री लें। इसके बाद पेशेवर, दुनिया की जरूरतों के अनुसार खुद को विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षित करें, जैसे मेडिकल ट्रांसलेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन या बीपीओ। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन (जैसे जेएलपीटी, डीईएलएफ, टीओपीआईके) इसे मजबूत आधार देते हैं।

विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम कहां से करें?

मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न भाषाओं की प्रतिष्ठित अकादमियों एवं विशिष्ट संस्थानों में फॉरेन लैंग्वेजेस के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद की फॉरेन लैंग्वेज चुनने के साथ-साथ किसी गुणवत्तापूर्ण संस्थान का चयन करके फॉरेन लैंग्वेज में कॅरियर की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी
(लेखक, कॅरियर मार्गदर्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

सीपीपीपी मॉडल से उपभोक्ता संघ को मिलेगी नई ऊर्जा

भोपाल, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ता संघ को आर्थिक रूप से सशक्त और प्रासंगिक बनाने के लिये अभिनव कदम उठाने होंगे। संघ को पुनर्जीवित करने के लिये सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को अपनाया जाए, जिससे संघ की व्यावसायिक गतिविधियों में आधुनिकता और प्रतिस्पर्धात्मकता आ सकेगी।

श्री सारंग ने कहा कि उपभोक्ता संघ को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके अंतर्गत बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ कार्य करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित उपभोक्ता केंद्रों को बहुउद्देशीय बनाया जाए, क्योंकि ये केंद्र शहरों की प्रमुख लोकेशन्स पर स्थित हैं और बड़े ब्रांड्स को जोड़ने के लिये आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। बैठक में श्री सारंग ने उपभोक्ता संघ की वर्तमान आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, मानव संसाधन, और व्यवसाय वृद्धि की संभावनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि उपभोक्ता संघ को 'सहकारिताओं से सहकार' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए अन्य सहकारी संस्थाओं के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को जोड़ने की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

मध्यप्रदेश : संक्षिप्त भौगोलिक परिचय

मध्यप्रदेश अनादिकाल से अस्तित्व में रहा है, इसका स्वर्णिम भूगर्भिक इतिहास है। जब धरती पर उत्तर भारत अस्तित्व में नहीं था, तब पृथ्वी के विभिन्न भू-भागों के संयोजन एवं वियोजन से गोंडवाना लैंड का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके मध्य में प्रायद्वीपीय भारत के एक हिस्से के रूप में प्रदेश का जन्म हुआ। संरचना की दृष्टि से मध्यप्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यहां प्राचीन काल की आद्य महाकल्प से लेकर नवीन टर्शियरी काल तक के शैल समूह पाए जाते हैं।

मध्यप्रदेश जिसका शाब्दिक अर्थ है 'मध्य प्रांत', भारत के बिल्कुल केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी केंद्रीय स्थिति के कारण इसे 'भारत का हृदय प्रदेश' भी कहा जाता है। यह स्थान प्रागैतिहासिक काल में आदिम मानव की जन्मस्थली के रूप में पल्लवित हुआ है, भूविज्ञानी डॉ. अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी में 70 हजार साल पुराने मानव कपाल के अवशेष खोजे थे। यह प्रदेश प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न राजवंशों की आश्रय स्थली रहा है। स्वतंत्रता के बाद सेन्ट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन करते हुए पुनर्गठित किया गया। 1 नवम्बर, 1956 को नए मध्यप्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्य भारत, विंध्यप्रदेश, पूर्ववर्ती सेन्ट्रल प्रोविंस और बरार तथा भोपाल की रियासतों को सम्मिलित किया गया। नए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, यह सीहोर जिले की एक तहसील थी जिसे 13 सितम्बर, 1972 को एक जिला बनाया गया। प्रदेश की भौगोलिक आकृति में एक परिवर्तन पुनः उस समय आया जब छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया। 1 नवम्बर, 2000 को मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के उपरांत नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। इन परिवर्तनों के उपरांत भी इस प्रदेश के भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। भौगोलिक रूप से यह एक भू-आवेष्ठित राज्य है, जिसकी सीमाएं पांच राज्यों से मिलती हैं, जो इसे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ती हैं।

भौगोलिक स्थिति और विस्तार

मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.38 प्रतिशत हिस्सा है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21°6'N से 26°30'N और देशांतरीय विस्तार 74°9'E से 82°48'E तक है। देशांतरीय विस्तार के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के मध्य लगभग आधे घंटे समय का अंतर है। राज्य के पूर्वी भाग 82°30'E से भारतीय मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है, जिससे भारत का मानक समय निर्धारित होता है। राज्य की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता कर्क रेखा का इसके बीचों-बीच से होकर गुजरना है, जो यहां की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह रेखा राज्य के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रमुख शहर जैसे उज्जैन, भोपाल, विदिशा और जबलपुर भी शामिल हैं। प्राचीन काल में उज्जैन काल गणना का केंद्र बिंदु होने के कारण ही उज्जैन ज्योतिर्लिंग को काल के आराध्य 'महाकाल' कहा जाता है।

जलवायु और भौतिक संरचना

मध्यप्रदेश की जलवायु ऊष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग से अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों मानसून शाखाओं से वर्षा होती है तथा शीतकाल में पछुआ विक्षोभ से भी वर्षा होती है। मध्यप्रदेश को तीन प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है- मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार (बघेलखंड पठार)। ये विभाजन राज्य की विविध स्थलाकृति और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं।

मध्य उच्च प्रदेश, प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाग है, इसके अंतर्गत मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्यभारत का पठार तथा विंध्यन कगारी प्रदेश आते हैं। राज्य के पश्चिमी भाग पर मालवा का पठार स्थित है, जिसकी जलवायु सम है। चीनी यात्री फाह्यान ने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। इस पठार की ढाल उत्तर की ओर है जिसका निर्माण दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है तथा राज्य के पश्चिमी भाग में अपनी समृद्ध काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है।

मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार स्थित है, यह चंबल नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। यह क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसकी जलवायु महाद्वीपीय है, जहां गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है।

बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत में स्थित एक प्राचीन भू-भाग में से एक है, जो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। यह क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में फैला हुआ है। यह क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी किनारे पर स्थित है। केन, बेतवा और धसान जैसी नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। रीवा-पन्ना का पठार जिसे 'विंध्यन कगारी प्रदेश' कहा जाता है जो रीवा, पन्ना, सतना और दमोह जिलों में फैला हुआ है। इस पठार पर टोंस और केन जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा-मैकल श्रेणी प्रदेश और बघेलखंड के पठार, नर्मदा-सोन घाटी भी यहां की भू-आकृति के प्रमुख उप-विभाग हैं।

मध्यप्रदेश की भौगोलिक विविधता में विभिन्न आकृति की पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत पठारी क्षेत्र एवं नदी घाटियां उच्चावच की प्रमुख विशेषताएं हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं राज्य की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, जो इसे उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती हैं। 'धूपगढ़' सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी एक प्रमुख हिल स्टेशन है। नर्मदा नदी के दक्षिण-पश्चिम में निमाड़ का मैदान है जो खंडवा, खरगोन जिले में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को 'राजपीपला श्रेणी' और पूर्वी भाग को 'मैकल श्रेणी' कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा 'बुरहानपुर' दर्रा है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्यप्रदेश एक खनिज संपन्न राज्य है, यहां कई प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। सिंगरौली जिले का झिंगुरदा कोयला क्षेत्र विश्व की सबसे मोटी बिटुमिनस कोयले की परत के लिए जाना जाता है, वहीं पन्ना जिला हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। ताप विद्युत उत्पादन में अग्रणी होने के कारण सिंगरौली जिले को देश की 'ऊर्जाधानी' कहा जाता है।

अपवाह स्वरूप

मध्यप्रदेश की नदियां बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मध्यप्रदेश को 'नदियों का मायका' कहा जाता है, क्योंकि यहां से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं एवं विभिन्न राज्यों में प्रवाहित होती हैं। अधिकांश नदियां मौसमी प्रकृति की हैं। नर्मदा नदी जिसे राज्य की 'जीवन रेखा' कहा जाता है, भारत की पांचवीं बड़ी नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंशघाटी में प्रवाहित होती है तथा मध्यप्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती हुई अरब सागर के खम्भात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, जो वास्तव में एक कगार है और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा बनती है।

सारांशतः प्रदेश का भौगोलिक परिचय इसके नाम के अनुरूप है, इसकी केंद्रीय स्थिति, उपजाऊ भूमि, समृद्ध जल संसाधन और विविध स्थलाकृति इसे भारत का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट राज्य बनाती है। यहां की भौगोलिक विशेषताएं न केवल यहां की संस्कृति और जीवनशैली को प्रभावित करती हैं, बल्कि इसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक समृद्ध भू-भाग भी बनाती हैं। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीवों और ऐतिहासिक धरोहरों, जनजातीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। जिसका श्रेय इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति है जो 'अतुल्य मध्यप्रदेश' बनाती है।

- प्रवीण कुमार जायसवाल
(लेखक, (भूगोलवेत्ता) जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश, भोपाल)

शिक्षा के महत्व का भाष्य साक्षरता से ही सम्भव है

विश्व में शिक्षा के महत्व को स्थापित करने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन आरम्भ किया था।

विद्वतजन का मानना है कि शिक्षा के महत्व का भाष्य साक्षरता से ही सम्भव है। यूनेस्को ने वर्ष 1965 में 17 नवम्बर को यह निर्णय लिया था कि प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व में साक्षरता के प्रसार के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' मनाया जाए। वस्तुत: शिक्षा के महत्व को दर्शाना, शिक्षा के महत्व की पुनर्स्थापना करना और निरक्षरता को जड़ से मिटाना ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का प्राथमिक लक्ष्य है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वर्ष 1966 में आठ सितम्बर को मनाया गया था और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में आठ सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व में साक्षरता दिवस को भिन्न-भिन्न रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और लोगों का ध्यान शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के साथ ही उन्हें शिक्षा के सही संस्कार देने के अभिप्राय से भी मनाया जाता है।

साक्षरता की परिभाषा और साक्षरता का मानदण्ड

साक्षरता को अब इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि पढ़ने-लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता, यानी पहचान करने, समझने, व्याख्या करने तथा बनाने की क्षमता, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि महत्वपूर्ण जीवन कौशल में दक्ष व्यक्ति ही साक्षर माना जायेगा। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण साक्षर तब माना जाता है, जब वह 95 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त कर लेता है। साक्षरता प्रमाणन के लिये मानदण्ड की यदि हम बात करें तो न्यू इण्डिया लिट्रेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) के अनुसार यदि कोई गैर-साक्षर व्यक्ति बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (फण्डामेन्टल लिट्रेसी एण्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है।

साक्षरता अभियान का लक्ष्य

भारत में साक्षरता अभियान का इतिहास राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (वर्ष 1988) और साक्षर भारत मिशन (वर्ष 2009) से शुरू हुआ, जिसके बाद अब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) को वर्ष 2020 में शुरू किया गया है, ताकि वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल की जा सके। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य निरक्षरता को दूर करना, कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, जीवन कौशल सिखाना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह उल्लास पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों को पंजीकरण करने और 22 भाषाओं में सामग्री तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के निरक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता (पढ़ना-लिखना और अंकगणित) प्रदान करना था। यह मिशन शिक्षा विभाग के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता था। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पुनर्गठन के बाद 'साक्षर भारत मिशन' शुरू किया गया जिसका उद्देश्य गैर-साक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, औपचारिक शिक्षा से समतुल्यता हासिल करना, कौशल विकास कार्यक्रम चलाना और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसके बाद ही वर्ष 2020 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आया।

साक्षरता के प्रसार की एक सोद्देश्य योजना है - एनआईएलपी

भारत में साक्षरता के प्रसार के लिये भारत सरकार ने कुछ सोद्देश्य सरकारी योजनाएं बनाई हैं। इनमें सबसे अहम है- 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' (न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम) यह एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के साथ संरेखित है। इसे समाज में सभी के लिये आजीवन सीखने की समझ के रूप में भी जाना जाता है । इस योजना का दृष्टिकोण- 'जन-जन साक्षर' बनाना है और यह लक्ष्य कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित है तथा इसे स्वैच्छिकता के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के एक करोड़ निरक्षरों को शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन मुख्यतः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है तथा इसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिये शैक्षिक सामग्री और संसाधन एनसीईआरटी के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल के प्रसार के लिये टीवी, रेडियो एवं सामाजिक चेतना केंद्र सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

भारत में समग्र साक्षरता दर अभी अस्सी प्रतिशत है

भारत में समग्र साक्षरता दर अभी अस्सी प्रतिशत के आसपास है जबकि पांच साल बाद वर्ष 2030 तक समग्र साक्षरता दर का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की वर्ष 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए भारत की समग्र साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत है। हालांकि, लैंगिक, शहरी-ग्रामीण और राज्य-स्तरीय विषमताएं अभी भी बनी हुई हैं। मिजोरम जैसे राज्यों में साक्षरता दर बहुत अधिक है (98.2 प्रतिशत तक), जबकि बिहार जैसे राज्यों में दर कम है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, और महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए यह अधिक है। उच्च साक्षरता दर वाले राज्य : मिजोरम (98.2 प्रतिशत) सबसे आगे है। पुरुषों की साक्षरता दर 87.2 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 74.6 प्रतिशत है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 88.9 प्रतिशत है जो ग्रामीण क्षेत्रों 77.5 प्रतिशत से अधिक है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि साक्षरता दर में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार हुआ है, लेकिन लैंगिक, शहरी-ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में, जहां ग्रामीण और जनजातीय आबादी अधिक है, ये अंतर अधिक स्पष्ट हैं। मध्यप्रदेश की साक्षरता दर विभिन्न स्रोतों के अनुसार थोड़ी भिन्न है, लेकिन यह 69.32 प्रतिशत से 75.2 प्रतिशत के बीच बताई गई है। वर्ष 2025 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश की साक्षरता दर लगभग 69.32 प्रतिशत है। आम नागरिक भी साक्षरता के प्रसार में महती भूमिका निभा सकते हैं। एक आम नागरिक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह साक्षरता दिवस पर कोई बड़ा काम या व्यापक अभियान का संचालन करे। वह साक्षरता के बड़े काम की शुरुआत कुछ छोटे-छोटे कामों से भी कर सकता है। यह छोटे-छोटे काम यज्ञ की छोटी-छोटी आहुतियों के सादृष्य होते हैं।

- राजा दुबे
(लेखक, जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

योजना

खेलो भारत नीति-2025

खेल अधोसंरचना के विकास और खेलों को नई दिशा देने में सहायक

विश्व में भारत सबसे बड़ा युवा देश है। यहां की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं की प्रतिभा को विभिन्न खेलों के माध्यम से प्रोत्साहित करने का अनूठा प्रयास किया। यह प्रयास सभी स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में खेलो भारत नीति 2025 का निर्माण किया गया। देश में खेल अब शौकिया नहीं रह गए हैं। युवा इसे अब कॅरियर के रूप में अपना रहे हैं। निरंतर प्रयासों के चलते तीन दशक पहले तक, बच्चों के लिए खेलना एक्टीविटी मात्र थी। धूल भरे आस-पड़ोस के मैदानों पर क्रिकेट या फुटबॉल खेला जाता था, लेकिन खेलों को कभी भी एक व्यवहारिक कॅरियर नहीं माना, एक आम समझ थी। समाज में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी और खेलों को केवल एक शौक के रूप में देखा जाता था।

शुरुआत में, भारत में खेलों के प्रति संस्थागत ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी समर्थन न्यूनतम था और समाज खेलों की तुलना में शिक्षा पर अधिक जोर देता था। सीमित कॅरियर संभावनाओं के कारण, खेल और शारीरिक शिक्षा को अक्सर गतिविधि मात्र माना जाता था। हालांकि, समय के साथ, सहायक सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और अवसंरचना प्रदान करके, इस स्थिति में बदलाव आया, जिससे खेल एक संगठित क्षेत्र बन गया। इन प्रयासों का परिणाम ऐतिहासिक खेलो भारत नीति 2025 के रूप में सामने आया। वर्तमान में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम युवा एथलीटों को राष्ट्रीय युवा लीग, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं और छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इन प्रयासों से सोच में बदलाव आया है, बड़ी संख्या में लोग गर्व के साथ पेशेवर रूप से खेलों को अपना रहे हैं।

खेलो भारत नीति – 2025

यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया स्वरूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह नीति जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें शुरुआती दौर में प्रतिभाओं की पहचान, मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं को बढ़ावा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास शामिल है। इसका उद्देश्य एनएसएफ की क्षमता और संचालन को बढ़ाते हुए, प्रशिक्षण, कोचिंग और समग्र एथलीट सहायता के लिए विश्वस्तरीय प्रणालियों का निर्माण करना है।

नीति का उद्देश्य

खेलो भारत नीति का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण अनुरूप राष्ट्र निर्माण, आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश के लिए खेलों को शामिल करना है।

- वर्ष 2036 के ओलंपिक में मेजबानी के लिए रणनीतिक योजना के साथ भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।
- इस नीति में प्रतिभाओं की पहचान, व्यापक एथलीट सहायता और खेल विज्ञान, चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- खेल पर्यटन को बढ़ावा देकर, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को बढ़ाना, खेल स्टार्टअप्स को सहयोग करना और खेलों को एक प्रमुख आर्थिक संचालक के रूप में रेखांकित करना है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और रचनात्मक वित्तपोषण दृष्टिकोणों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, एक स्थायी खेल उद्योग ईकोसिस्टम को स्थापित करना है।
- महिलाओं, वंचित समूहों, जनजातीय समुदायों और दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्हें खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना।
- शिक्षा एकीकरण और स्वयंसेवा के माध्यम से खेलों को एक व्यवहारिक कॅरियर के रूप में स्थापित करना।
- राष्ट्रीय अभियानों, संस्थानों में फिटनेस सूचकांकों और सामुदायिक स्तर पर पहुंच के माध्यम से खेलों को एक जन आंदोलन बनाना।
- खेलों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को जोड़ना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना, शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन देना और आजीवन फिटनेस की आदतें डालना।

मुख्य बिन्दु

- खेलो भारत नीति 2025 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ एकीकरण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और प्रवासी भारतीयों से जुड़ना।
- बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए, युवा कार्य और खेल मंत्रालय को 3 हजार 794 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं - जो वित्त वर्ष 2014-15 से 130.9 प्रतिशत अधिक है।

खेलों को प्रोत्साहित करने और उपलब्धियां हासिल करने के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा कई पहलें की गईं, जिनमें खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल विकास कोष और लक्षित पुरस्कार जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो एथलीटों के विकास और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देती हैं।

खेलो इंडिया, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसका वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए बजट आवंटन 1 हजार करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2016-17 में शुरू किये गये खेलो इंडिया कार्यक्रम ने देश भर में जन भागीदारी और खेल उत्कृष्टता बढ़ावा जिसका वर्ष 2021 में 3 हजार 790.50 करोड़ रुपये के बजट के साथ विस्तार किया गया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है -

- 3 हजार 124.12 करोड़ रुपये लागत की 326 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी।
- 306 मान्यता प्राप्त अकादमियों के साथ 1 हजार 045 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) और 34 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई) की स्थापना।
- प्रशिक्षण, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और भत्ते के साथ 2 हजार 845 खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) को समर्थन करना।

खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे वार्षिक आयोजन शामिल हैं, जिनके 17 आयोजनों में 50 हजार से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। वर्ष 2018 में शुरू हुए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से वर्ष 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 2023 और वर्ष 2025 के पैरा गेम्स में 1 हजार 300 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया।

खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान (कीर्ति) कार्यक्रम 9-18 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करता है, जिसमें योग्यता-आधारित प्रतिभा खोज के लिए 174 प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों का उपयोग किया जाता है। कीर्ति का लक्ष्य एथलीटों की एक श्रृंखला तैयार करना है ताकि भारत को वर्ष 2036 तक विश्व के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में और वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 में स्थान मिल सके।

वर्ष 2018 में नई दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इसकी शुरुआत हुई और बाद में वर्ष 2019 में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के साथ साझेदारी के बाद इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स (केआईवाईजी) कर दिया गया। यह चार प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के रूप में विकसित हुआ है:

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
- खेलो इंडिया पैरा गेम्स
- खेलो इंडिया विंटर गेम्स

खेलों की उत्कृष्टता के लिए प्रयास

भारत में खेलों के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने एक मजबूत खेल ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए खेल शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे एथलेटिक्स ने मात्र एक मनोरंजन गतिविधि न होकर पेशेवर कॅरियर में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2018 में मणिपुर के इम्फाल में स्थापित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और कोचिंग में खेल शिक्षा के लिए एक समर्पित संस्थान है, जो कैनबरा और विक्टोरिया जैसे विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से वैश्विक सर्वोत्तम को अपनाकर चुनिंदा विषयों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। यह संस्थान वैश्विक प्रतिभाओं को मार्गदर्शन और समर्थन देने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए, शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान और उत्कृष्ट प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। अपने आदर्श वाक्य, "शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से खेल उत्कृष्टता" के अनुरूप, विश्वविद्यालय का लक्ष्य खेल शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में विश्व स्तर पर अग्रणी बनना और विश्वस्तरीय एथलीटों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, कई प्रमुख योजनाएं और पुरस्कार भी हैं जो प्रतिभाओं की पहचान, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए निरंतर सहायता प्रदान करते हैं।

- हितेश शर्मा
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

शहरी क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य में रखी जाये पारदर्शिता - श्री विजयवर्गीय

भोपाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए सड़क मरम्मत से जुड़े कार्यों को विभाग प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में सड़क पर बोर्ड के माध्यम से निर्माण एजेंसी और निविदा शर्तों के बारे में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को उससे जुड़ी आवश्यक जानकारी दी जाये। मंत्री श्री विजयवर्गीय मंत्रालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री विजयवर्गीय ने बताया कि शहरी क्षेत्रों पर लगातार आबादी का दबाव बढ़ रहा है। इसका असर शहरी क्षेत्र की अधोसंरचना पर पड़ रहा है। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में वर्तमान में 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा परिवार शहरी परिधि में निवास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 35 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहे हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में 8 लाख 32 हजार से अधिक किफायती घर बनकर तैयार हो चुके हैं और 10 लाख मकान निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में अक्टूबर 2019 से अब तक लगभग 51 हजार करोड़ रुपये के निवेश से शहरी कल्याण के कार्य चल रहे हैं।

सड़क निर्माण को लेकर दिये दिशा-निर्देश

विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने सड़क निर्माण कार्य से जुड़े अमले को दिशा-निर्देश जारी किये। निर्देश में कहा गया है कि सड़क निर्माण कार्य की निविदाएं केवल ई-निविदा के माध्यम से ही जारी की जायें। सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार करते समय परियोजना प्रबंधन का भी प्रावधान किया जाये। इसी के साथ सड़क निर्माण कार्य की कार्ययोजना तैयार करते समय 3 वर्ष का मेंटेनेंस प्रावधान आवश्यक रूप से रखा जाये। कांक्रीट सड़क निर्माण के वक्त विभागीय अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व एवं समाप्ति के बाद जियो टैग फोटो का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाये। निविदा की शर्तों का डिजिटाइजेशन किया जाये।

नगरीय निकायों को दिये गये निर्देश के अनुसार सड़क निर्माण के बाद संकेतक अनिवार्य रूप से लगाये जायें।

भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा विश्व कल्याण की आधारशिला - मंत्री श्री परमार

शुजालपुर, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में, उच्च शिक्षा विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में 'आधुनिक शिक्षा एवं अनुसंधान में प्राचीन ज्ञान की भूमिका' विषय पर आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार में सहभागिता की। श्री परमार ने कहा कि भारत की समृद्ध प्राचीन ज्ञान परंपरा, वर्तमान परिदृश्य में भी विश्व कल्याण की आधारशिला है। भारतीय शिक्षा पद्धति, जो प्राचीनकाल से ही मानवता को दिशा देती रही है, आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। श्री परमार ने भारत की समृद्ध प्राचीन ज्ञान परंपरा और इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चिकित्सा, दर्शन, शिक्षा और न्याय प्रणाली में भारत ने जो अद्वितीय योगदान दिए, वही स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 के सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला बन रहे हैं। आयुर्वेद, योग और ध्यान की परंपरा ने विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया, तो गणित और खगोल विज्ञान ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। मंत्री श्री परमार ने कहा कि न्याय व्यवस्था और शिक्षा पद्धति ने समाज को संतुलन और सामंजस्य का स्वरूप दिया।

श्री परमार ने कहा कि भारत की जीवन-दृष्टि 'वसुधैव कुटुंबकम्' संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यही जीवन दृष्टि, सदैव से मानवता के कल्याण का मार्गदर्शन करती रही है। यही नीति आज विश्व शांति और सह अस्तित्व की सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में उभर रही है। श्री परमार ने कहा कि अमृतकाल की ओर बढ़ते हुए भारत की यही प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर नए भारत की आधारशिला है, जो न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

अर्थशास्त्र

1. वितरण के सिद्धांत का दूसरा नाम है?
अ. न्याय का सिद्धांत
ब. लागत सिद्धांत
स. साधनों का मूल्य निर्धारण
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- स. साधनों का मूल्य निर्धारण

2. पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण का समीकरण होता है?
अ. AW = ARP = MW
ब. MRP < MW
स. AW = MW = ARP = MRP
द. MRP < MW
उत्तर- स. AW = MW = ARP = MRP

3. ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, किसका कथन है?
अ. कीन्स ब. मार्शल
स. पीगू द. रॉबिन्सन
उत्तर- अ. कीन्स

4. किसी साधन की (सीमांत आगम उत्पादकता) MRP होता है?
अ. MPP X MR
ब. MPP X साधन की कीमत
स. MRP X MA
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. MPP X MR
व्याख्या- MPP = सीमान्त भौतिक उत्पादकता, MR = सीमान्त आगम

5. पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साधन बाजार में संतुलन बिन्दु होता है?
अ. ARP = AFC
ब. MRP - APC
स. MRP = ARP = MFC = AFC
द. MFC > MRP
उत्तर- स. MRP = ARP = MPC = AFC
व्याख्या- ARP = औसत आगम उत्पादकता, MFC = साधन की सीमान्त लागत, AFC = साधनों की औसत लागत

6. किसी साधन की मांग होती है?
अ. प्रभावपूर्ण ब. व्युत्पन्न
स. बाजार द. सामान्य
उत्तर- ब. व्युत्पन्न
व्याख्या- व्युत्पन्न से तात्पर्य है अप्रत्यक्ष मांग किसी वस्तु की मांग की पूर्ति के लिये साधन की मांग की जाती है।

7. अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी की दर निर्धारित होती है?
अ. ARP > AW
ब. AW = mW
स. MW > AW
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- स. MW > AW
व्याख्या- MW = सीमांत मजदूरी, AW = औसत मजदूरी

8. स्थिर अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति होती है?
अ. पूर्ण तथा लोचदार
ब. पूर्णतया बेलोचदार
स. लोचदार
द. बेलोचदार
उत्तर- स. लोचदार

9. वितरण के सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत से कौनसे अर्थशास्त्री संबंधित हैं?
अ. क्लार्क ब. डाल्टन
स. पीगू द. मार्शल
उत्तर- अ. क्लार्क

10. अनिश्चितता वहन करने के लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है?
अ. नाईट
ब. शुमीटर
स. क्लार्क
द. मार्शल
उत्तर- अ. नाईट

11. प्रो. लिटिल की कसौटी किससे संबंधित है?
अ. सामाजिक कल्याण में परिवर्तन से
ब. वास्तविक कल्याण में परिवर्तन से
स. सीटोवस्की विरोभास से
द. पैरेटियन अनुकुलता से
उत्तर- ब. वास्तविक कल्याण में परिवर्तन से

12. अवसर लागत से तात्पर्य है?
अ. एक निश्चित समय की लागत से होता है
ब. फर्म की उत्पादन लागत से होता है
स. आय की उस मात्रा से होता है, जो साधन इकाई को उसके अन्य सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती है
द. उपरोक्त में से कोई भी
उत्तर- स. आय की उस मात्रा से होता है, जो साधन इकाई को उसके अन्य सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती है

13. लगान उत्पन्न होता है?
अ. जबकि भूमि गतिशील हो
ब. भूमि उपजाऊ हो
स. भूमि की पूर्ति लोचदार हो
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- ब. भूमि उपजाऊ हो

14. किसी भी उद्योग में एक साधन का पूर्ति मूल्य निर्भर करता है?
अ. उसकी इच्छा पर
ब. उसकी कार्य कुशलता पर
स. उसकी अवसर लागत पर
द. उसकी सीमान्त उत्पादकता पर
उत्तर- स. उसकी अवसर लागत पर

15. भूमि की समग्र पूर्ति होती है?
अ. पूर्णयता बेलोचदार
ब. पूर्णता लोचदार
स. लोचदा
द. अनिश्चित
उत्तर- अ. पूर्णयता बेलोचदार

16. एक फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिये किसे बराबर करती है?
अ. MP = AR
ब. MP = MFC
स. MRP = MPP
द. VMP = MRP
उत्तर- ब. MP = MFC

17. साधनों की मांग निर्भर करती है?
अ. साधन की कीमत पर
ब. साधन की उत्पादकता पर
स. साधन की लागत पर
द. व्यक्तियों की मांग पर
उत्तर- ब. साधन की उत्पादकता पर

18. आभास लगान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
अ. मार्शल ब. एडमस्मिथ
स. रिकार्डो द. पीगू
उत्तर- अ. मार्शल

19. आभास लगान का सूत्र है?
अ. TR - TVC
ब. TR - TC
स. P -AC
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- अ. TR - TVC
व्याख्या- TR = कुल आगम, TVC = कुल परिवर्ती लागत

20. वे साधन जिनकी पूर्ति अल्प एवं दीर्घ दोनों कालों में स्थिर रहती है उन्हें क्या मिलता है?
अ. आभास लगान
ब. हस्तांतरण आय
स. आर्थिक लगान
द. लाभ
उत्तर- स. आर्थिक लगान

21. चैम्बरलीन के अनुसार श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रमिक की मजदूरी दर?
अ. सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए
ब. सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक हो जाये
स. सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर हो जाये
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- अ. सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए

22. सबसे निम्न कोटि की भूमि को कहा जाता है?
अ. भूमि
ब. सीमांत भूमि
स. अधिसीमांत भूमि
द. पूर्ण सीमांत भूमि
उत्तर- ब. सीमांत भूमि

23. व्यक्ति अपनी आय को किस उद्देश्य के लिये सरल रूप में रखता है?
अ. दैनिक व्यवहार - उद्देश्य
ब. सट्टा उद्देश्य
स. आकस्मिक भावी उद्देश्य
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- द. उपरोक्त सभी

24. मोटर साइकिल बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी तब बढ़ती है, जब मोटर साइकिल की.....?
अ. कीमतें बढ़ जायें
ब. मोटर साइकिल के उपभोक्ता बढ़ें
स. सरकार कर घटा दे
द. इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाये
उत्तर- अ. कीमतें बढ़ जाये

25. कुल ब्याज में कौनसे तत्व सम्मिलित होते हैं?
अ. जोखिमों का भुगतान
ब. शुद्ध ब्याज
स. असुविधाओं का भुगतान
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- द. उपरोक्त सभी

26. किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वन्द्वी का उत्पादन स्थिर मान लेता है?
अ. एजवर्थ ब. कौरनोट
स. बर्ट्रेंड द. उपरोक्त सभी
उत्तर- ब. कौरनोट

27. लाभ के समाजवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?
अ. डेविन पोर्ट ने
ब. टासिंग ने
स. शुम्पीटर ने
द. कार्ल मार्क्स ने
उत्तर- द. कार्ल मार्क्स ने

28. कौनसा लाभ उत्पादन लागत का भाग है?
अ. सामान्य
ब. अधिसामान
स. उपरोक्त दोनों
द. कोई नहीं
उत्तर- अ. सामान्य

29. सामान्य साम्य विश्लेषण किससे संबंधित है?
अ. फर्म
ब. उद्योग
स. संपूर्ण अर्थव्यवस्था
द. अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से
उत्तर- स. संपूर्ण अर्थव्यवस्था

30. अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य के प्रवर्तक हैं?
अ. मार्शल
ब. एडमस्मिथ
स. पीगू
द. रॉबिन्सन
उत्तर- अ. मार्शल

31. स्थिर संतुलन की अवस्था में, संतुलन भंग होने पर अर्थव्यस्था?
अ. नई संतुलन स्थिति में आ जाती है
ब. पुनः पूर्व स्थिति में आ जाती है
स. फिर से कभी भी प्रारंभिक स्थिति आ जाती है
द. उपरोक्त में से कोई भी
उत्तर- ब. पुन: पूर्व स्थिति में आ जाती है

32. पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति में MCC सीमांत लागत वक्र MRC सीमांत आगम वक्र को कहां से काटता है?
अ. ऊपर से
ब. नीचे से
स. समानांतर रहते हैं
द. नहीं काटते हैं
उत्तर- ब. नीचे से

33. स्थैतिक साम्य में समयावधि कैसी होती है?
अ. स्थिर ब. अस्थिर
स. बढ़ती जाती है द. अनिश्चित
उत्तर- अ. स्थिर

34. सामान्य संतुलन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
अ. लियॉन वालरस
ब. कूर्नो
स. मेगोल्ड
द. मार्शल
उत्तर- अ. लियॉन वालरस

35. पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण को किसमें मापा जाता है?
अ. सोना ब. चांदी
स. मुद्रा द. वस्तु
उत्तर- स. मुद्रा

36. पीगू के अनुसार भारी पेंदी वाला जहाज संबंधित है?
अ. स्थिर साम्य से
ब. अस्थिर साम्य से
स. तटस्थ साम्य से
द. उपरोक्त सभी से
उत्तर- अ. स्थिर साम्य से

37. सामाजिक कल्याण फलन का संबंध किससे है?
अ. काल्डोर
ब. सीटोवस्की
स. टिटेनर
द. हिक्स
उत्तर- स. टिटेनर

38. पैरेटो का कल्याणकारी विचार आधारित है?
अ. गणनावाचक विश्लेषण
ब. क्रमवाचक विश्लेषण
स. उपरोक्त दोनों पर
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- ब. क्रमवाचक विश्लेषण

39. क्षतिपूर्ति सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है?
अ. नवीन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था
ब. पैरेटियन अनुकूलनम्
स. वास्तविक अर्थशास्त्र
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- अ. नवीन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था

40. नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दोहरा मानदण्ड किसने प्रतिपादित किया?
अ. मार्शल ब. काल्डोर
स. स्किटोव्स्की द. लिटिल
उत्तर- स. स्किटोव्स्की

41. लिटिल द्वारा प्रतिपादित विचार है?
अ. सम्भाव्य कल्याण विचार
ब. वास्तविक कल्याण विचार
स. सापेक्षा कल्याण विचार
द. उपरोक्त सभी
उत्तर- ब. वास्तविक कल्याण विचार

42. सामाजिक अनुकुलतम का विचार किसने दिया?
अ. पैरेटो ब. रेडर
स. काल्डोर द. एजवर्थ
उत्तर- अ. पैरेटो

43. हिक्स ने सामाजिक कल्याण अनुकूलतम की कौनसी दशाएं प्रस्तुत की है?
अ. प्रथम श्रेणी की
ब. द्वितीय श्रेणी की
स. उपरोक्त दोनों
द. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- ब. द्वितीय श्रेणी की

44. पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण स्थिति किस प्रतियोगिता में प्राप्त हो सकती है?
अ. पूर्ण ब. अपूर्ण
स. एकाधिकार द. किसी में भी
उत्तर- अ. पूर्ण

45. उपभोक्ता की बचत में प्रत्येक वृद्धि समाज के आर्थिक कल्याण को बढ़ाती है यह विचार किसका है?
अ. मार्शल ब. पीगू
स. हिक्स द. केनन
उत्तर- अ. मार्शल

- डॉ. माया राठी
(लेखिका, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका हैं।)

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद का नाम - वरिष्ठ अध्यापक
पदों की संख्या - 6,500
योग्यता - यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री या अन्य समकक्ष।
अंतिम तिथि - 17 सितम्बर, 2025
वेब. - https://rpsc.rajasthan.gov.in

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

पद का नाम - सांख्यिकी क्लर्क, सहायक लोक स्वास्थ्य निरीक्षक, राज मिस्त्री, सहायक सुरक्षा अधिकारी, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, तकनीकी पर्यवेक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक लेखा अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेक्षक, प्रोग्रामर, सर्वेयर, संरक्षण सहायक, सहायक अधीक्षक, आशुलिपिक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर, मुख्य लेखाकार, लेखाकार, सहायक संपादक, उप संपादक, प्रधान लाइब्रेरियन, केयर टेकर, वन रक्षक, ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर, म्युजिक टीचर, जूनियर इंजीनियर, निरीक्षण अधिकारी, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, सहायक स्टोरकीपर, कार्य सहायक, अपर डिवीजन क्लर्क, तकनीकी सहायक, फार्मासिस्ट
पदों की संख्या - 615
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 16 सितम्बर, 2025
वेब. - https://dsssb.delhi.gov.in

उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग

पद का नाम - प्रवक्ता (लेक्चरर)
पदों की संख्या - 1518
योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय स्नातकोत्तर डिग्री।
अंतिम तिथि - 12 सितम्बर, 2025
वेबसाइट - https://uppsc.up.nic.in

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद का नाम - लेक्चरर
पदों की संख्या - 3225
योग्यता - स्नातकोत्तर डिग्री या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) की डिग्री।
अंतिम तिथि - 12 सितम्बर, 2025
वेब. - https://rpsc.rajasthan.gov.in

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम - टेक्निशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस
पदों की संख्या - 425
योग्यता - टेक्निशियन अप्रेंटिस पद के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए मैट्रिक के साथ संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय आईटीआई कोर्स किया हो तथा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीए/बीकॉम/बीएससी/बीबीए की डिग्री।
अंतिम तिथि - 15 सितम्बर, 2025
वेबसाइट - https://iocl.com

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

पद का नाम - प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर
पदों की संख्या - 98
योग्यता - भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अनुरूप जरूरी अर्हता।
अंतिम तिथि - 18 सितम्बर, 2025
वेबसाइट - https://jipmer.edu.in

इंटेलिजेंस ब्यूरो

पद का नाम - जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II
पदों की संख्या - 394
योग्यता - किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री।
अंतिम तिथि - 14 सितम्बर, 2025
वेब. - https://www.mha.gov.in

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

पद का नाम - ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तकनीशियन अप्रेंटिस
पदों की संख्या - 96
योग्यता - ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए संबंधित विषय में बीई/बीटेक/बीए/बीकॉम/बीएससी की डिग्री तथा तकनीशियन अप्रेंटिस पद के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग।
अंतिम तिथि - 11 सितम्बर, 2025
वेबसाइट - https://www.isro.gov.in

संघ लोक सेवा आयोग

पद का नाम - लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, लेक्चरर (रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान)
पदों की संख्या - 84
योग्यता - लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री तथा लेक्चरर पद के लिए संबंधित विषय में बीएड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है।
अंतिम तिथि - 11 सितम्बर, 2025
वेबसाइट - https://upsc.gov.in

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल समूह-2, उप समूह-3 पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा

पद का नाम - कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, फील्ड ऑफिसर, रसायनज्ञ, सहायक प्रोग्रामर, बायोमेडिकल इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक यंत्री (सिविल, विद्युत, मैकेनिकल), प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब असिस्टेंट, मत्स्य निरीक्षक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बायोकेमिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, निरीक्षक नापतौल, स्टुवर्ड, स्टेटिशियन, प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, डेयरी डॉक सहायक, कनिष्ठ डेयरी डॉक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर
पदों की संख्या - 339
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 23 सितम्बर, 2025
संभावित परीक्षा तिथि - 28 अक्टूबर, 2025 से प्रारंभ
वेबसाइट - https://esb.mp.gov.in

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

मध्यप्रदेश की नदियां

जनजीवन, कृषि, अध्यात्म और पर्यटन का भी महत्वपूर्ण आधार बनी कुंदा नदी

मध्यप्रदेश की धरती को प्रकृति ने नदियों की विपुलता से समृद्ध किया है। इसलिए प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियां जीवन और प्रकृति संवर्धन का आधार है। नदी तट पर कई संस्कृतियों का निर्माण और विकास हुआ है। जल, जीवन की इस विरासत से आपको परिचित करवाने के लिए रोज़गार और निर्माण में मध्यप्रदेश की नदियां स्तम्भ शुरू किया है। इस अंक में प्रस्तुत है मध्यप्रदेश की कुंदा नदी का परिचय -

मध्यप्रदेश की धरती अनेक नदियों से पोषित है। यहां की हर नदी अपने साथ सिर्फ जल ही नहीं लाती, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक धारा भी बहाती है। इन्हीं नदियों में से एक है कुंदा नदी, जो अपनी भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय जीवन से गहरे जुड़ाव के कारण विशेष पहचान रखती है। कुंदा नदी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जनजीवन, कृषि, अध्यात्म और पर्यटन का भी महत्वपूर्ण आधार है।

कुंदा नदी खरगोन की एक प्रमुख नदी है इसके साथ ही ये नर्मदा नदी की सहायक नदी भी है। इस नदी का उद्गम स्थल अंबा गांव के पास के जंगलों से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 169 किलोमीटर है। इस नदी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह खरगोन जिला के चार ब्लॉक से होते हुए बहती है जो की भगवानपुर, गोगांवा, खरगोन और कसरावद हैं। कुंदा नदी में दो डैम बनाए गए हैं, इनका नाम देजला देवड़ा डैम और वनिहार डैम है। यह नदी खरगोन सिटी को पीने का पानी उपलब्ध कराती है और पानी की उपलब्धता के लिए ही इस नदी में बांध का निर्माण किया गया है।

कुंदा नदी का संगम

खरगोन की जीवनदायनी कुंदा नदी सिपटान स्थित जाकर वेदा नदी से मिल जाती हैं। सिपटान खरगौन जिले के कसरावद तहसील के पास स्थित एक गांव है। खरगोन शहर से सिपटान उत्तर दिशा में 22 किलोमीटर दूर स्थित हैं। सिपटान वह स्थान है जहां से कुंदा नदी समाप्त हो जाती है। इस जगह के बाद कुंदा नदी को वेदा नदी के नाम से जाना जाता है।

नदी की लंबाई और प्रवाह क्षेत्र

कुंदा नदी लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करती हुई अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है। अपने इस प्रवाह क्षेत्र में यह कई गांवों, कस्बों और खेतों को जीवनदायिनी जल उपलब्ध कराती है। नदी का अधिकांश हिस्सा खरगौन और उसके आसपास के जिलों में बहता है, किंतु आगे जाकर यह अन्य छोटी धाराओं से मिलकर एक बड़ी जलधारा का रूप ले लेती है।

ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व

कुंदा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि इतिहास और पौराणिक परंपराओं से भी जुड़ी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस नदी का उल्लेख प्राचीन लोककथाओं और जनश्रुतियों में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में यहां के घने जंगलों और नदियों के किनारे तपस्वियों का निवास हुआ करता था। कुंदा नदी उन तपस्वियों की साधना का साक्षी रही है। कई धार्मिक अनुष्ठान इस नदी के तट पर सम्पन्न होते हैं। छठ पूजा, कार्तिक स्नान और स्थानीय पर्व-त्योहारों के दौरान कुंदा नदी के घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस कारण नदी का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान

कुंदा नदी के किनारे बसे गांवों और कस्बों में इस नदी को मां का स्वरूप माना जाता है। ग्रामीण जीवन में इसका योगदान इतना गहरा है कि बिना कुंदा के यहां की संस्कृति अधूरी मानी जाती है। अनेक लोकगीत और लोककथाएं इस नदी को आधार बनाकर रची गई हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु जैसे संस्कारों में इस नदी का जल आवश्यक रूप से प्रयोग होता है।

कृषि कार्यों में योगदान

मध्यप्रदेश का यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहां धान, गेहूं, चना और सोयाबीन जैसी फसलें होती हैं, जिन्हें पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुंदा नदी इस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ कही जा सकती है। नदी के किनारे बने छोटे-छोटे बांध और नहरें खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करती हैं।

ग्रामीण किसान आज भी पारंपरिक तरीके से नदी के जल का उपयोग करते हैं। वर्षा कम होने पर भी कुंदा नदी खेती को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि इस नदी को स्थानीय लोग "अन्नदाता की सहचरी" कहते हैं।

पर्यटन की दृष्टि से महत्व

कुंदा नदी केवल जीवनोपयोगी संसाधन नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत स्थल भी है। नदी का उद्गम क्षेत्र और इसके किनारे बने प्राकृतिक कुंड, झरने और हरियाली पर्यटन के लिए अत्यंत आकर्षक हैं। यहां का वातावरण शांत और रमणीय है, जो प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।

बरसात के मौसम में कुंदा नदी का रूप और भी मनमोहक हो जाता है। नदी के तट पर पिकनिक मनाने वाले परिवार, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने वाले श्रद्धालु और प्राकृतिक छटा को कैमरे में कैद करने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यदि इस क्षेत्र को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाए तो यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

पर्यावरणीय महत्व

कुंदा नदी सिर्फ मानव जीवन के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह जैव विविधता का भी केंद्र है। इसके तटों पर वन्यजीवों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों की विभिन्न प्रजातियां नदी के जल को जीवंत बनाए रखती हैं। यह नदी आसपास के भू-जल स्तर को बनाए रखने में भी सहायक है।

आज जब जलवायु परिवर्तन और जल संकट की समस्या बढ़ रही है, तब कुंदा नदी जैसी स्थानीय नदियों का संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। यदि इन नदियों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाया जाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जलधारा जीवन का वरदान सिद्ध होगी। कुंदा नदी मध्यप्रदेश की नदियों में भले ही गंगा या नर्मदा जैसी प्रसिद्ध न हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका महत्व उतना ही गहरा और व्यापक है। यह नदी क्षेत्र की कृषि को संजीवनी देती है, संस्कृति और अध्यात्म को आधार प्रदान करती है, और पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं अपने भीतर समेटे हुए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि कुंदा नदी को सिर्फ जल का स्रोत न मानकर एक जीवित धरोहर के रूप में देखा जाए। यदि इसका संरक्षण किया जाए तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन और संस्कृति की धारा बनी रहेगी।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

खेल चर्चा

भारत करेगा विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप की मेजबानी

पेरिस, भारत अगले वर्ष होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए नई दिल्ली को मेजबान शहर के तौर पर चुना गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने इसकी घोषणा की है। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले वर्ष 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पेरिस ने जो उत्कृष्टता और भव्यता दिखाई है, भारत उन मानकों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए अपना शत-प्रतिशत प्रयास करेगा। हम वैश्विक बैडमिंटन परिवार का दिल्ली में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की आठ वर्ष के बाद एशिया में वापसी होगी। इससे पहले चीन के नानजिंग ने वर्ष 2018 सत्र की मेजबानी की थी।

डायमंड लीग फाइनल

नीरज ने लगातार तीसरी बार जीता रजत पदक

ज्यूरिख, भारत के स्टार भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल-2025 में दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक अपने नाम किया। नीरज का डायमंड लीग में लगातार तीसरा रजत पदक है। उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल में 85.01 मीटर का थ्रो किया। स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में आयोजित हुए फाइनल में जर्मनी के जूलियन वेबर ने शानदार 91.51 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वालकॉट ने 84.95 मीटर के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

लय में नहीं दिखे नीरज

भारतीय स्टार एथलीट नीरज ने डायमंड लीग फाइनल के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन प्रतियोगिता में वह लयहीन नजर आये, जिसकी वजह से वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके। नीरज ने पहले प्रयास में 84.35 मीटर थ्रो किया। इसके बाद दूसरा थ्रो 82 मीटर रहा। इसके बाद उन्होंने लगातार तीन बार मीटर फाउल किया। आखरी प्रयास में नीरज ने 85.01 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल किया।

इस सत्र में नीरज के लिए शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई थी। मई में उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का थ्रो कर पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूरी का थ्रो किया था।

- **नीरज चोपड़ा भालाफेंक खेल में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक तथा पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं।**
- **नीरज ने वर्ष 2022 में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीता था।**
- **इसके बाद नीरज वर्ष 2023, 2024 और अब 2025 में डायमंड लीग के उपविजेता हैं।**
- **नीरज ने इस सत्र में सात प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, इनमें से 4 प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती हैं।**

उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने कॅरियर का बेस्ट थ्रो किया। वहीं पेरिस डायमंड लीग में नीरज 88.16 मीटर के प्रयास के साथ पहले स्थान पर रहे। उन्होंने पहले ही राउंड में 88.16 मीटर का थ्रो फेंककर जीत सुनिश्चित कर ली।

प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन पर नीरज ने कहा कि मेरे लिए ये दिन थोड़ा मुश्किल था। खेल में हमेशा कुछ कठिन दिन आते हैं, और आज ऐसा ही था। फिर भी, मैंने आखिरी थ्रो में 85 मीटर से ज्यादा की दूरी हासिल की। मेरा रन-अप और टाइमिंग सही नहीं थी। मुझे कुछ कमी महसूस हुई, लेकिन विश्व चैंपियनशिप के लिए अभी तीन हफ्ते बाकी हैं। मैं अपनी टाइमिंग को बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा।

भारत ने राष्ट्रमंडल खेल-2030 की मेजबानी का दावा किया पेश

नई दिल्ली, भारत ने दो दशकों के बाद राष्ट्रमंडल खेलों को देश में लाने की महत्वाकांक्षा के साथ वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह औपचारिक बोली भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ और गुजरात सरकार के प्रतिनिधित्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को प्रस्तुत की गई। इस बोली में अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले खेलों के मेजबान शहर के रूप में स्थान दिया गया है।

डेफलिंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी गौरांशी

भोपाल, मध्यप्रदेश की युवा खिलाड़ी गौरांशी शर्मा इस वर्ष नवंबर में आयोजित होने वाले 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह टूर्नामेंट जापान में आयोजित होगा। गौरांशी ने अहमदाबाद स्थित गुजरात खेल प्राधिकरण में आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया, इसके बाद उन्हें भारतीय दल में जगह मिली। डेफलिंपिक्स के लिए चयनित होने वाली गौरांशी शर्मा मध्यप्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं। गौरांशी इससे पहले 24वें डेफलिंपिक्स-2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में जीता स्वर्ण पदक

अहमदाबाद, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही चानू ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों-2026 के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा में चानू ने कुल 193 किलोग्राम (84 किलोग्राम स्नैच + 109 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क) वजन उठाकर न केवल स्वर्ण पदक हासिल किया, बल्कि स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में नए कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने 49 किलोग्राम वर्ग को हटा दिया है। इस वजह से चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में वापसी की। इस भार वर्ग में चानू ने वर्ष 2018 में हिस्सा लिया था। वह इस भार वर्ग में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं।

मीराबाई की स्वर्णिम वापसी

पेरिस ओलंपिक के बाद मीराबाई चानू पहली बार किसी बड़े मंच पर उतरी थीं। लंबे अरसे बाद उनकी वापसी स्वर्णिम रही। जीत के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि मैं स्वर्ण पदक जीतकर बहुत खुश हूं। पेरिस ओलंपिक के एक साल बाद घरेलू धरती पर प्रतिस्पर्धा करना इस पल को और भी खास बना देता है। यह जीत अथक परिश्रम, मेरे कोचों के मार्गदर्शन और प्रशंसकों से मिलने वाले प्रोत्साहन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए यह मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है।

प्रगाननंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के लिए क्वालिफाई किया

सेंट लुईस, भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रगाननंदा ने सिंकफील्ड कप में उपविजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिये क्वालीफाई कर लिया, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो ने प्लेऑफ मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। वेस्ली ने नौवें एवं अंतिम दौर में नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराया और प्रगाननंदा और फाबियानो कारुआना से ड्रॉ खेला। वेस्ली ने प्लेऑफ में दो में से 1.5 अंक प्राप्त किए।

मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट से लिया संन्यास

मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने यह फैसला मुख्य रूप से अपने टेस्ट क्रिकेट कॅरियर को आगे बढ़ाने और आगामी वन-डे विश्वकप-2027 के लिए खुद को ताजा और फिट बनाए रखने के लक्ष्य से लिया है। स्टार्क ने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर यह साफ कर दिया है कि उनकी नजर अब लंबी पारी पर है।

प्रणव ने जीता फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज खिताब

फुजैरा, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी और विश्व जूनियर चैम्पियन प्रणव वेंकटेश ने स्पेन के ग्रैंडमास्टर एलेन पिचोट को हराकर फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। प्रणव ने नौ में से सात अंक बनाये और अमेरिका के ब्रैंडन जैकबसन, मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्तिनेज और ईरान के अमीन टाबाटाबाइ से एक अंक आगे रहे।

प्रतियोगिता में भारत के अन्य शतरंज खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर आदित्य मित्तल और शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन 5.5 अंक लेकर संयुक्त पांचवें स्थान पर रहे। आदित्य कुल छठे और निहाल 12वें स्थान पर रहे। 18 वर्षीय के प्रणव ने नौ दौर के टूर्नामेंट में एक भी पराजय का सामना नहीं किया। उन्होंने पांच जीत दर्ज कीं जबकि चार मुकाबले ड्रॉ रहे।

प्रणव को इस प्रदर्शन के साथ 23 हजार डॉलर और 28 ईएलओ रेटिंग अंक मिले। अब वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट खेलेंगे।

ट्वेंटी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने राशिद

मैनचेस्टर, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया। राशिद खान ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाज टिम साउथी को पीछे छोड़ा। राशिद ने यह उपलब्धि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ खेले गए मैच में तीन विकेट लेकर हासिल की। राशिद ने अपने 98वें ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 165 विकेट लेकर टिम साउथी (164 विकेट) को पीछे छोड़ा। मैच में राशिद खान ने यूएई के खिलाफ 4 ओवर के अपने कोटे में केवल 21 रन देकर तीन विकेट झटके।

विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप

चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता कांस्य पदक

पेरिस, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया और पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन के चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी के हाथों 19-21, 21-18, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में जगह बनाने की वजह से भारतीय जोड़ी कांस्य पदक जीतने में सफल रही।

पहला गेम रहा चीन के नाम

सेमीफाइनल मुकाबले में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चीनी जोड़ी को कड़ी टक्कर दी। शुरुआत में सात्विक और चिराग ने शानदार प्रदर्शन किया। लगातार दो स्मैश नेट में मारने की चीनी जोड़ी की गलतियों का फायदा उठाते हुए सात्विक-चिराग ने 4-0 की बढ़त बना ली। कुछ ही देर में वे 9-3 से आगे हो गए। पहले गेम के मध्यांतर में भारतीय जोड़ी 11-5 से आगे थी। लेकिन चीनी जोड़ी ने मजबूत वापसी करते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया।

- **सात्विक और चिराग की जोड़ी ने दूसरी बार विश्व चैम्पियनशिप में जीता है कांस्य पदक।**
- **इससे पहले इस भारतीय जोड़ी ने वर्ष 2022 में भी जीता था कांस्य पदक।**
- **भारत ने चैम्पियनशिप में अब तक एक स्वर्ण, चार रजत और दस कांस्य सहित 15 पदक जीते हैं।**

दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने फिर से शानदार शुरुआत की और 6-2 की बढ़त बना ली। लेकिन चीनी जोड़ी ने फिर से वापसी की और स्कोर 8-8 पर बराबर कर लिया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने अपनी रक्षा को मजबूत किया और हर मौके का फायदा उठाकर 15-11 की बढ़त हासिल की। चीन की जोड़ी ने शानदार पलटवार किया और एक बार फिर 17-17 पर स्कोर बराबर किया, लेकिन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए गेम को 21-18 से अपने नाम किया।

मैच के तीसरे और निर्णायक गेम में सात्विक और चिराग की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे जल्द ही 0-6 से पीछे हो गए और लगातार 9 अंक गंवा दिए। हालांकि बाद में कुछ अंक हासिल किए, लेकिन बड़ी बढ़त बना चुकी चीनी जोड़ी को रोक पाना मुश्किल था। आखिरकार चेन और लियू ने 21-12 से गेम और मैच जीत लिया।

द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के कोच पद से दिया इस्तीफा

जयपुर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने आईपीएल फ्रैंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया है। राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। राजस्थान ने बताया कि आईपीएल-2026 सीजन से पहले द्रविड़ ने फ्रैंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। द्रविड़ पिछले वर्ष सितंबर में राजस्थान के मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे। द्रविड़ ने भारतीय टीम को वर्ष 2024 आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप का विजेता बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स से करार किया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

डीआरडीओ ने नौसेना के लिए नेवल फ्लेयर विकसित की

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए एक विशेष नेवल फ्लेयर विकसित किया है, जो पनडुब्बी युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा। यह फ्लेयर पुणे स्थित डीआरडीओ की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (एचईएमआरएल) द्वारा तैयार किया गया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में डीआरडीओ ने इसे औपचारिक रूप से नौसेना शस्त्र निरीक्षण महानिदेशक (डीजीएनएआई) रियर एडमिरल रूपक बरुआ को सौंपा। डीआरडीओ ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, एचईएमआरएल ने सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर सफलतापूर्वक विकसित किया है।

इजरायल के हवाई हमले में हूती प्रधानमंत्री की मौत

इजरायल के हवाई हमले में हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री अहमद-अल-रहावी मारे गए हैं। ईरान समर्थित हूतियों ने बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ। एक बयान में कहा गया कि रहावी कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाए गए थे। इजरायली सेना की ओर से कहा गया कि यमन के सना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया। अगस्त 2024 से ही अहमद अल-रहावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती-नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वे एक रुटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते वर्ष में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी।

जिम ओनील अमेरिकी सीडीसी के कार्यवाहक निदेशक बने

अमेरिका में प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के नए प्रमुख को लेकर जारी चर्चाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने जिम ओनील को अमेरिका की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है। ओनील को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में सौंपी गई है जब एजेंसी बड़े बदलावों, इस्तीफों और विवादों से गुजर रही है। जिम ओनील पेशे से चिकित्सक नहीं हैं और ना ही उनका कोई वैज्ञानिक या मेडिकल बैकग्राउंड है। उनके पास मानविकी में स्नातक और मास्टर डिग्री है। वे टेक अरबपति पीटर थिएल के सहयोगी रह चुके हैं और उनके इन्वेस्टमेंट फंड और अन्य प्रोजेक्ट्स संभाल चुके हैं, जिनमें एक ऐसा गैर-लाभकारी संगठन भी शामिल था, जो अमेरिका के बाहर तैरते हुए आजाद द्वीप बसाने की योजना पर काम कर रहा था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया

भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया को बदलाव की ओर ले जाएगी - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित 'सेमीकॉन इंडिया-2025' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में जापान यात्रा के दौरान, उन्हें जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरु इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा करने का अवसर मिला। प्रौद्योगिकी के प्रति मेरा झुकाव बार-बार ऐसे लोगों के बीच लाता है। इस कार्यक्रम में भारत की नवाचार और युवा शक्ति भी इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से उपस्थित है। उन्होंने कहा कि यह अनूठा संयोजन एक स्पष्ट संदेश देता है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत में विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। सभागार में उपस्थित सभी अतिथि विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि फाइल से फैक्टरी तक का समय जितना कम होगा और कागजी प्रक्रिया जितनी कम होंगी, काम उतनी ही जल्दी शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने स्मृति चिह्न भेंट किया

भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की

इस वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर, भारत ने हर आशा, हर अनुमान और हर पूर्वानुमान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक निज स्वार्थ से प्रेरित चिंताओं और चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वहीं भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि यह वृद्धि सभी क्षेत्रों, विनिर्माण, सेवा, कृषि और निर्माण में दिखाई दे रही है और हर क्षेत्र में उत्साह साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत का त्वरित विकास सभी उद्योगों और प्रत्येक नागरिक में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। विकास की यह गति भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर कर रही है।

- कागजी कार्रवाई जितनी कम होगी, कार्य उतनी ही शीघ्रता से शुरू हो सकता है।
- वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था।
- वह दिन दूर नहीं जब भारत की चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव की आधारशिला रखेगी।
- भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

भारत में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2023 तक, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्वीकृत हो चुका है। वर्ष 2024 में कई और संयंत्रों को स्वीकृति मिल गई है और वर्ष 2025 में पांच अतिरिक्त परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर, दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं वर्तमान में जारी हैं, जिनमें अठारह अरब डॉलर से अधिक यानी 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश शामिल है।

यह भारत में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

21वीं सदी की शक्ति अब छोटी चिप में केंद्रित है

सेमीकंडक्टर की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि 'तेल काला सोना था, लेकिन चिप डिजिटल हीरे हैं', इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल ने पिछली सदी को आकार दिया और दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव इस बात पर निर्भर करता था कि इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकाला गया। हालांकि, 21वीं सदी की शक्ति अब छोटी चिप में केंद्रित है। आकार में छोटे होने के बावजूद, ये चिप वैश्विक प्रगति को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पहले ही 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले वर्षों में इसके 1 ट्रिलियन डॉलर को पार करने की आशा है।

समुद्री सुरक्षा में प्रयोग समुद्र में हलचल का पता लगाएगी स्मार्ट केबल

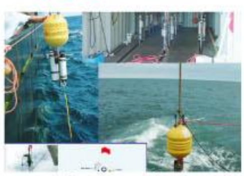

सुनामी से जुड़ी आपदाओं की समय पर चेतावनी देने की दिशा में नई पहल शुरू की जा रही है। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) अगले पांच वर्षों में पूर्व और पश्चिमी तटों पर अंडरवॉटर लैंडस्लाइड जोन की मैपिंग करेगा। इससे गैर-भूकंपीय घटनाओं जैसे समुद्री भूस्खलन और ज्वालामुखीय गतिविधियों से घटने वाली सुनामी को भी ट्रैक करना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम होगी।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सबसे संवेदनशील

आईएनसीओआईएस के अनुसार यह स्टडी देश के दो प्रमुख सबडक्शन जोन-अंडमान (बंगाल की खाड़ी) और मकरान (अरब सागर) में होगी। ये क्षेत्र समुद्र के नीचे भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए अधिक संवेदनशील हैं। अध्ययन में ढलानों और गहराई (सेडिमेंट) की संरचना की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी 1 सितम्बर से मछुआरों की सुरक्षा के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का ट्रायल शुरू कर चुका है।

प्रभावी बनेगा वॉर्निंग सिस्टम

नए सिस्टम के तहत बंगाल की खाड़ी में 275 किलोमीटर गहराई तक एक स्मार्ट केबल ऑब्जर्वेटरी बिछाई जाएगी। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स के साथ गहराई मापने वाले यंत्र, सिस्मोमीटर और हाइड्रोफोन लगाए जाएंगे, जो समुद्र के भीतर दबाव और हलचल का पता लगाएंगे। इसके अलावा अंडमान में एक रीजनल डेटा सेंटर बनाया जाएगा। जहां रीयल-टाइम डेटा रिसीव होगा। विशेषज्ञों ने चेताया कि अंडमान क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप से सुनामी की संभावना बनी रहती है।

थाईलैंड में प्रधानमंत्री को पद से हटाया

थाइलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया है और उनकी कैबिनेट भंग कर दी है। वह वर्ष 2008 के बाद अदालत द्वारा हटाई गई पांचवीं प्रधानमंत्री बन गई हैं। ज्ञात रहे कि कंबोडिया सीनेट के अध्यक्ष हून सेन के साथ उनकी फोन कॉल लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दोस्ताना रवैया दिखाया। अदालत ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के नियमों का उल्लंघन किया है। पैतोंगटार्न देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री थीं। उनके कार्यकाल को अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था।

लचीलेपन, सुधार और जिम्मेदारी को अपनाकर हम एक अधिक टिकाऊ विश्व की ओर मार्ग तैयार करें

सीआईआई-आईटीसी सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने लचीले, पुनर्योजी और उत्तरदायी विकास की दिशा में भारत की यात्रा का वर्णन किया। श्री यादव ने कहा कि भारत का विकास मॉडल आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में गहराई से निहित है। स्थायित्व को केवल एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए। मेरा मानना है कि यह एक जीवनशैली विकल्प है, लचीला, पुनर्योजी और जिम्मेदार बनने की एक उभरती हुई प्रतिबद्धता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यापार तनाव, नीतिगत अनिश्चितताएं, भू-राजनीतिक संघर्ष और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक वित्तीय निवेश में बाधाएं मिलकर एक कमजोर वातावरण का निर्माण करती हैं। उन्होंने सभी देशों से आह्वान किया कि वे अर्थव्यवस्था-व्यापी समाधानों को अपनाकर स्थिरता को विकास का आधार बनाएं, जिसमें वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल, प्रकृति-सकारात्मक कार्य, हरित विनिर्माण और जिम्मेदाराना व्यवहारों के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल हो।

स्थायी भविष्य के निर्माण में योगदान

श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, मंत्रालय ने हाल ही में एक स्थायी भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की हैं। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त 2025 को, भारत सरकार ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 को अधिसूचित किया, जो पूरे देश में पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करेगा।

सतत विकास को सफलतापूर्वक अपनाया

भारत की व्यापक स्थिरता उपलब्धियों पर विचार करते हुए, श्री यादव ने कहा कि देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और साथ ही जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व भी कर रहा है। उन्होंने कहा, "भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लक्षित योजना कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे में निवेश, स्थानीय प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर महत्वपूर्ण उपलब्धियों के माध्यम से नीतिगत परिदृश्य में सतत विकास को सफलतापूर्वक अपनाया है।"

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- डॉ. सुदाम खाड़े, मुद्रक- डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।